राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ३१वां दिवस [संख्या २०

गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री पी.के. चौधरी।

कलेक्टर जयपुर द्वारा पुलिस लाइन्स में सस्ती दर पर बन्दूकों का बेचा जाना

८४१ श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Home Minister be pleased to state–

(a) Is it correct that in January, 1958 65 police guns of 12 Bore were sold at the rate of Rs. 46/-each in Police Lines, Jaipur by the Collector, Jaipur ?

(b) Is it correct that on 31. 3. 58 the Collector, Jaipur went to Police-Lines, Jaipur and fixed the selling price at Rs. 72/-each for 41 Police guns of 12 Bore and they were sold at this rate on 1. 4. 58 ?

(C) Is it correct that the market price of these guns were ten times the rate at which they have been sold ? A list of persons to whom these guns have been sold along with the price may be placed before the House.

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (अ) ६५ नहीं परन्तु ६२ बन्दूकें ४६ रु० ४० नये पैसे (बिक्री-कर सहित) की दर से जनवरी १९५८ से अप्रैल १९५८ तक बेची गई।

(ब) कलेक्टर ही नहीं किन्तु एस. पी. व. डी. वाई. एस. पी. लाइन्स भी दिनांक ३१–३–५८ को पुलिस लाइन्स, जयपुर में एक बैठक में मिले और ७४ रु० २५ नये पैसे इन ४१ बन्दूकों का विक्रय मूल्य बिक्री कर सहित नियुक्त किया ये बन्दूकें दिनांक १–४–५८ व इसके पश्चात् उत्तर कीमत पर बेची गई।

(स) जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि इन बन्दूकों का बाजार भाव बेची गई दर से दस गुना अधिक था। मूल्य जिन पर यह बेची गई है भाग 'अ'व'ब' के उत्तर में दे दिया गया है।

जिन व्यक्तियों को बेची गई उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि

Page No.2

(डॉ० बहादुरसिंह)

१२ बोर हिन्दुस्तान की बनी हुई बन्दूकों का भाव ४५०) रु० है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नई का हो सकता है । ये तो बहुत पुरानी थीं ।

श्री श्रीभानसिंह : Did the Government enquire about the market price of these second hand guns ?

श्री रामकिशोर व्यास: पहले कोटेशन्स मांगे गये थे ।

श्री श्रीभानसिंह : Were these guns of foreign make ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना तो मैं अभी नहीं दे सकता ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या कहा आपने ?

यह उपलब्ध नहीं तो फिर सेकन्ड हैंड गन्स की मार्केट प्राइस कैसे असर्टेन कराई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो चीज़ थी उनकी कराई । मैंने आपको बताया कि इसके लिए पहले कोटेशन्स मांगे गये थे ।

श्री श्रीभानसिंह : इन आर्टिकल्स की मार्केट रेट असर्टेन कराई कि किस वेल्यू की हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल्ड इन्फोर्मेशन दी जा सकती है । वैसे नहीं मांगी गई ।

श्री श्रीभानसिंह : इसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी गई है । मार्केट वेल्यू से कितनी कम कीमत में बेची गई ?

श्री पी० के० चौधरी : On what basis or criteria the prices of these guns were fixed ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोटेशन्स मांगे गये थे । बाजार में लोग कितने में खरीदने के लिये तैयार थे इसी बेसिस पर थे।

श्री श्रीभानसिंह: What were the market quotations for these second hand guns ?

श्री रामकिशोर व्यास : आम तौर से औसत ४०)–५०) रु० है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन बन्दूकों की कीमत एक कमेटी ने तय की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, यह मैंने अपने जवाब में अर्ज किया था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी सही है कि किसी लाइसेन्स डीलर को इसमें कन्सल्ट नहीं किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जरूरत भी नहीं थी । ?

श्री भैरोंसिंह : बिना डीलर के ही उस कमेटी का कोरम पूरा हो गया था ?

श्री अध्यक्ष: कोटेशन्स ले लिये गये थे ।

श्री श्रीभानसिंह : किससे ले लिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : He said categorically that the quotations were taken.

श्री भैरोंसिंह : प्राइस फिक्स करने से पहले कोटेशन्स कैसे मांगे थे ?

Page No.3

श्री अध्यक्ष : डीलर्स से कोटेशन्स मांगे गये थे ।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि आपने नाम सुना है तो वह जोडल एन्ड कम्पनी है, उसका कोटेशन है ; बड़ी मशहूर कम्पनी है ।

एक माननीय सदस्य : उसके कोटेशन्स क्या थे?

श्री अध्यक्ष : बताया कि ४०)-५०)रु० ।

श्री पी. के. चौधरी : Was it advertised before selling that the guns will be sold on so and so.........

श्री रामकिशोर व्यास : फिक्स कर देने के बाद कोई जरूरत नहीं रहती ।

श्री पी. के. चौधरी : About selling. How the purchaser will obtain the information ? Whether they were sold after being advertised ?

श्री रामकिशोर व्यास : पब्लिक ऑक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्राइस फिक्स थी ।

श्री श्रीभानसिंह : प्राइस फिक्स करने के बाद जनता को और लाइसेन्स होल्डर्स को कैसे सूचित किया कि इन रेट्स पर बन्दूकें बेची जा रही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी कोई जरूरत नहीं थी ।

श्री पी. के. चौधरी : This is a very vague reply.

श्री अध्यक्ष : It is not a vague reply. He has said that it was not advertised.

श्री पी. के. चौधरी : Were these guns given to some of their favourites ?

श्री अध्यक्ष : It is for you to interpret. He has said that it was not so.

(विराम)

प्रश्न संख्या ८४६

नेक्स्ट; रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

लालसोट से गंगापुर रोड़ पर डामर बिछाने का ठेका

८४७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) लालसोट से गंगापुर रोड पर डामर बिछाने का ठेका किस ठेकेदार को किस सन् में दिया गया था ?

(२) अब उपरोक्त कार्य कब पूरा होगा ?

(३) वर्तमान समय में सड़क की दशा कैसी है ?

(४) क्या डामर न पड़ने से सड़क में गड्ढे पड़ गये हैं ?

(५) यदि हां, तो डामर बिछा कर सड़क को कब ठीक किया जावेगा ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) अभी ठेका नहीं दिया गया ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) मील २-३ कुछ अधिक खराब है, बाकी मामूली मरम्मत चाहती है ।

('श्री नाथूराम मिर्धा)

(४) कहीं कहीं वर्षा के कारण ।

(५) टैंडर मांगे जा रहे हैं ।

श्री मनरूपराम परिहार : ये टेन्डर्स कब तक मांग लिये जावेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि मांगे जा रहे हैं ।

प्रश्न संख्या ८४८

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी

जयपुर जिले में मुख्य सड़कें एवं फीडर रोड्स

८४६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister in charge of Public Works and Roads Development be pleased to state :

(a) What are the main roads and feeder roads in Jaipur District which are included in the Second Five Year Plan ?

(b) Has the Government received any representation from Block Advisory Committee, Jobner Block as well as Congress Committees to construct a road from Hingoonia, connecting that village with the road running between Maroth and Nawa and passing through the villages of Bhojpura, Manda Bhimsingh, Bhaislana and Bhadwa ? If so, what action the Government has taken to construct the road ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) The list is appended herewith.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : I have not got the list.

श्री नाथूराम मिर्धा : I have sent it.

(b) No represenlation has been received from Block Advisory Committee, Jobner Block. The Jaipur District Congress Committee did write to the Executive Engineer on 24-9-58 to construct a road, but for want of funds this could not be included in the Plan.

श्री पी० के० चौधरी : It is wrong. The Block Advisory Committee has definitely recommended for construction of this road. I can tell you for your information.

श्री नाथूराम मिर्धा : You can tell but I have not received.

श्री पी० के० चौधरी : Will you please like to ascertain it ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I have told you, after ascertaining all this.

उम्मेदाबाद पंचायत के सरपंच का पूर्णरूप से अशिक्षित होना

८५०. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.5

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) क्या तारीख २६-५-५७ को उम्मेदाबाद, तहसील जालौर पंचायत का चुनाव, जालौर के तहसीलदार श्री मदनलाल ने कराया था ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त चुनाव में गांव के करीब करीब सभी फिरकों के लोगों ने विरोध किया और वाक-आउट हो जाने के बाद कुछ थोड़े से लोगों ने झूठे अंगूठे लगा कर चुनाव की घोषणा की थी ?

(३) क्या यह सत्य है कि श्री गनेशदान जिसे उक्त तहसीलदार ने सरपंच घोषित किया है वह अशिक्षित है और कुछ भी लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि उक्त श्री गनेशदान पहले का सजायाफ्ता है व पुलिस का हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है ?

(५) क्या पंचायत नियमों के अनुसार बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति सरपंच नहीं हो सकता है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव क्यों किया गया ?

(६) क्या यह भी सही है कि चीफ पंचायत ऑफिसर, राजस्थान ने उपरोक्त सरपंच को सरपंच के पद से हटाने के ऑर्डर दिये, लेकिन किसी विशेष कारण से उस आदेश की तामील नहीं कराई गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं। अकेले सरपंच का चुनाव दिनांक २६-५-५७ को हुआ था।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) सजायाफ्ता होने की कोई जानकारी नहीं है। हां, पुलिस का हिस्ट्री शीटर अवश्य रह चुका है।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(६) कोई आदेश हटाने का नहीं दिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : हिस्ट्री शीट क्यों खुली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हिस्ट्री शीट तो पहले जमाने में मेरी भी खुली हुई थी। उनकी क्यों खुली यह मुझे नहीं मालूम है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या हिस्ट्री शीटर चुनाव में खड़ा हो सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानूनन ऐसी कोई रोक नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : पढ़े लिखे की डेफिनेशन क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किताब पढ़ सके और लिख सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

जिला झालावाड़ में सन् १९५७-५८ में पनवाड़ी की फसल में बीमारी

८५१. श्री रामचंद्र (डग) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि जिला झालावाड़ में १९५७-५८ में पनवाड़ी की फसल में

(श्री रामचन्द्र)

एक विशेष प्रकार की बीमारी का आक्रमण हुआ था ?

(२) क्या यह भी सच है कि इस बीमारी से सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई थी ?

(३) क्या जिला कृषि अधिकारी ने इस बीमारी का पता लगाने का प्रयत्न किया था ? यदि हां, तो वे किस नतीजे पर पहुंचे तथा सरकार अब भविष्य में इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय सोच रही है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जिला झालावाड़ में सन् १९५७-५८ में पनवाड़ी की फसल में कोई बीमारी नहीं हुई ।

(२) सवाल नहीं उठता ।

(३) यदि भविष्य में कोई बीमारी हुई तो उसका यथोचित उपचार किया जावेगा ।

श्री रामचंद्र : क्या इससे पहले कोई बीमारी उठी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५५ में उठी थी।

श्री रामचंद्र : ५७-५८ में कोई बीमारी नहीं उठी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५७-५८ में कोई बीमारी नहीं उठी थी किन्तु ५५ में उठी और उस समय लेबोरेटरी में टैस्ट कराके बीमारी का पता लगाया और उपचार किया और फिर कोई बीमारी होगी तो उपचार करेंगे !

श्री मूलचंद डागा : उस बीमारी का नाम क्या था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसका नाम फुट नोट ऑफ पान था ।

श्री रामचंद्र : ५७-५८ में बीमारी उठी थी और आपने ना में जवाब दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५७-५८ में नहीं उठी थी किन्तु ५५ में उठी थी और क्या उठी, यह मैंने नाम बता दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

अकोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच के निर्वाचन का स्थगन

८५२. **श्री पी०के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Local Self Government Minister be pleased to state :

(a) Is it correct that the election of all the Panchas to Akoda village Panchayat had been completed long ago ?

(b) Is it also correct that the election of the Sarpanch was postponed by the Returning Officer, Tehsildar, Phulera ?

(c) Is it correct that the public of Akoda have sent representations to the Collector for holding the election of the Sarpanch at an early date ?

(d) Is it also correct that the dates of election of the Sarpanch postponed everytime ? If so, why ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (अ) जी हां। दिनांक ११-५-५८ को।

(ब) जी हां। शान्ति भंग होने का अन्देशा होने से ।

(स) जी हां ।

(ड) दिनांक ११-५-५८ को सम्पूर्ण

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पंचायत के निर्वाचन के लिये निर्वाचन दिनांक निश्चित किया गया, किन्तु इस दिन केवल समस्त पंचों का निर्वाचन हो सका। शान्ति भंगहोने का अन्देशा उत्पन्न हो जाने से सरपंच का निर्वाचन स्थगित करना पड़ा। पुन: उस निर्वाचन के लिये दिनांक ११-६-५८ निश्चित की गई। सूचना-पत्र आदि के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण इस दिनांक को भी निर्वाचन नहीं हो सका। पुन: ३०-७-५८ तारीख निश्चित की गई। किन्तु हाईकोर्ट एजीटेशन जयपुर में चलने से पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था न होने से उस दिन भी चुनाव नहीं हो सका। अब इस निर्वाचन के लिए तारीख ८-१२-५८ निश्चित की जा चुकी है। उस दिन चुनाव होने का ख्याल है।

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that though all the Panchas have taken their oath but they are not allowed to function and the old Panchas who have been defeated they are allowed to function ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I don't know. I have not got this information.

श्री अर्जुनदास : The question is which Panchayat is functioning; the old panchayat or the new panchayat ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरे पास जानकारी नहीं है कि नया बोर्ड काम कर रहा है या पुराना।

श्री पी० के० चौधरी : नये को फन्क्शन नहीं करने दिया जाता और पुराना ही काम कर रहा है, यह मेरी जानकारी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरे पास जानकारी नही है, यह आपने यहां पूछा है। मैं इसकी जानकारी करूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : ८ दिसम्बर को चुनाव कर देंगे या पोस्टपोन करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : न तो मैं चुनाव करता हूं और नहीं करवाता हूँ। ख्याल है कि चुनाव हो जावेंगे, लेकिन यदि ब्रीच ऑफ पीस हो जाय तो यह दूसरी बात है, और वह मेरे वश की बात नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : चार-चार बार पोस्टपोन किये गये तो क्या यह जयपुर आन्दोलन के कारण किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने चार बार का कहा नहीं।

प्रश्न संख्या ८५३

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ८५४

श्री लच्छूराम

(अनुपस्थित)

बीकानेर म्यूनिसिपल बोर्ड के हिसाब का ऑडिट

८५५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) **:** क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बीकानेर म्यूनिसिपल बोर्ड के हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट सन् ५४ से ५७ तक की सरकार ने देखी है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट में कहीं गबन के मामले आये हैं ?

(३) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रश्न के भाग (२) के उत्तर में आपने फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो क्या यह सत्य है कि इस जांच के अन्दर ऐसा मसला भी सामने आया कि एक भैंसावाड़ा का भैंसा मरा हुआ पाया गया और लगभग १३ दिन तक दाना खाता रहा ? क्या यह घटना सत्य है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इस प्रकार की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर आपने जांच क्या की ? जांच के दौरान में क्या इस प्रकार की बात सामने आयी कि एक म्यूनिसिपल कमेटी के भैंसावाडा का भैंसा लगातार मरने के बाद भी १३ दिन तक दाना और चारा खाता रहा, तो किस प्रकार खाता रहा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने जांच के विषय में कभी नहीं कहा, आपने जो प्रश्न पूछा उसके भाग पहले का उत्तर 'जी हां', दूसरे का 'जी नहीं' और तीसरे का 'प्रश्न नहीं उठता,' यह दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने गबन के बारे में प्रश्न पूछा, उससे यह संबंध रखता है। क्या इस प्रकार जो भैंसा मरा हुआ था उसको बताकर दाना और चारे का खर्चा बताया जाता रहा ?

श्री अध्यक्ष : आप जब किसी फैक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो स्पेशियली, उसी के बारे में पूछ लेते तो आपको साफ जवाब मिल जाता। आपने जनरल तौर पर प्रश्न पूछा वैसा जवाब मिल गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने इन्क्वायरी तो कराई होगी, उसमें इस प्रकार की बात आपके ध्यान में आयी है क्या ? रिपोर्ट में कोई गबन का जिक्र है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो राय का प्रश्न है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप फैक्ट्स सामने रखते और उसी के बारे में प्रश्न पूछते तो हम यहां से आदेश दे सकते थे।

श्री मूलचन्द डागा : इस ऑडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार की इर्रेगुलेरिटी पॉइन्ट आउट की गई है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इर्रेगुलेरिटी पॉइन्ट आउट की है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि जिस तरह से कितने ही दिन मरे हुए बताया गया बाद में वह जी गया और उसको नये भैंसे के तौर पर रखा गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीकानेर स्टेट क्लब में गैर कानूनी ढंग से शराब पीते हुए पकड़े जाना

८५६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तरदेने की कृपा करेंगे :

(श्री मुरलीधर व्यास)

बीकानेर स्टेट क्लब में गत वर्ष कितने आदमी गैर कानूनी ढंग से शराब पीते हुए पकड़े गये ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कोई नहीं।

(२ व ३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आपके पास नहीं पहुँची कि वहां पर अफसर लोग शराब पीते हुए पकड़े गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कानूनी ढंग से शराब पीते हुए पकड़े गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : पकड़े ही नहीं गये।

ग्राम सुल्तानपुर, तहसील दीगोद की पंचायत में सही प्रतिनिधियों का अभाव

८५७. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सुल्तानपुर, तहसील दीगोद में वार्डों का गठन पंचायत चुनाव की दृष्टि से ठीक नहीं है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त अव्यवस्था के कारण वर्तमान पंचायत में सही प्रतिनिधियों का अभाव है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम के वार्डों का ग्राम के शिक्षित व्यक्तियों की सलाह के पुनः गठन करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान दिवस समारोह पर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के लिए स्वीकृत धन-राशि

८५८. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान दिवस समारोह सन् १९५६ के लिये सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से संबन्धित कार्य के लिये कितनी धन-राशि स्वीकृत हुई, कितनी खर्च हुई तथा अन्तर किस प्रकार से एडजस्ट किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि यह हिसाब अभी तक पेश नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान दिवस समारोह १९५६ के लिये सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को २० हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। अब तक इस रकम में से १८,७१६ रु० ५० न. पै. के बिल चुकाये गये हैं।

(२) २०,००० रु० की उपरोक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है और अभी कुछ भुगतान शेष है। चूंकि इसमें से कोई रकम अग्रिम रूप से नहीं ली गई थी, इसका हिसाब पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि इसमें खर्चा ६० हजार रुपया हुआ है ?

Page No.10

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो अलग अलग डिपार्टमेन्ट्स का है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह बीस बीस हजार की सेंक्शन एक बार नहीं हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान दिवस मनाने से पहले १० हजार रुपये की स्वीकृति हुई थी, उसके बाद फिर दस हजार की हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस बारे में पक्की जानकारी नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बीस हजार रुपये की स्वीकृति किस दिन हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह रकम दो बार में मन्जूर हुई या एक ही दफा में ?

श्री अध्यक्ष : इससे आपका क्या मतलब हल होने वाला है, इन्होंने कह दिया कि यह जानकारी उनके पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि बिना मन्जूरी हुए ही खर्च कर दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : तो उसको रेगुलेराइज कर देंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : ९० पर्सेन्ट तो मुझे यह मालूम है एक ही दफा में सेंक्शन हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने अपने सवाल में यह पूछा है कि यह बीस हजार रुपये की मन्जूरी कब हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका प्रश्न यह था कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय से सम्बन्धित कार्य के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई ? वह मैंने बता दी ।

श्री भैरोंसिंह : तो मेरा सप्लीमेन्टरी यह है कि कब स्वीकृति हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेट मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जितनी रकम खर्च हुई क्या उसके अकाउन्ट्स पेश कर दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि २० हजार रुपये में से १८,७१६ रु० ५० न० पै० के बिलों का भुगतान हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : २० हजार रुपये की जो मन्जूरी हुई उसमें से कितना खर्चा हुआ, कितनों का पेमेन्ट करना है और अब तक कितना खर्चा हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : १८,७०० रुपयों का पेमेन्ट हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि १८ हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष : १८ हजार का भुगतान हो चुका है यह आपने कहा । आप यह जानना चाहते हैं कि टोटल खर्च कितना हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : १८,७०० रुपयों का तो भुगतान हो चुका उतना तो खर्च हो ही गया, उसके अलावा कुछ रुपयों के बिल आये नहीं, उनके बिल आने पर पेमेन्ट करना है ।

Page No.11

श्री भैरोंसिंह : तो यह मान लिया जाय कि जो कुछ खर्चा हुआ है वह बीस हजार से ज्यादा नहीं हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया है कि १८,७०० रुपये का भुगतान हो चुका और कुछ बिल आने बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या आप यह कह सकते हैं कि वह अमाउन्ट बीस हजार से ज्यादा नहीं होगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इसका दफ्तर में हिसाब नहीं रहता ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका प्रोसीजर ऐसा है कि जी० ए० डी० से मन्जूरी होती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय द्वारा राजस्थान दिवस समारोह के लिये जो जो खर्च किया गया उसका कोई अकाउन्ट नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अकाउन्ट नहीं होता तो बिल्स का वेरीफिकेशन किस प्रकार हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या बिल्स बनाने के बारे में डाइरेक्टर के ऑर्डर्स हैं और उनका हिसाब मेन्टेन किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : याददाश्ती के आधार पर भी पेमेन्ट हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार के उत्तर इवेजिव हैं । जो कुछ भी सेंक्शन हुई उसमें से कितना खर्चा हुआ, इसका ब्योरेवार हिसाब मिलना चाहिये । जिन जिन फार्म्स को ऑर्डर्स दिये गये उसका भी कोई अकाउन्ट नहीं रखा गया क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो इन्फॉर्मेशन चाही थी उसके अनुसार में यह कह दूं कि वह खर्च बीस हजार से एक्सीड नहीं करेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि अब तक हिसाब पेश नहीं हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक डेढ हजार रुपये का बाकी है। १८,७०० का पेमेन्ट हो चुका उसको निकाल दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्टरी रेज होते हैं उसका जबाब बराबर नहीं दिया जाता । बीस हजार रुपये में से कितना खर्च हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : १८,७०० खर्च हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : जो २० हजार रुपया स्वीकृत हुआ उसमें कितना खर्च हुआ ? १८ हजार, ७०० रु० का पेमेन्ट हो चुका तो आप बताइये कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री अध्यक्ष : He has assured you that it would not exceed 20 thousand. That should satisfy you.

श्री भैरोंसिंह : आप तो खर्चा बताइये, कितना हुआ, बीस हजार से कम या ज्यादा ?

श्री अध्यक्ष : बीस हजार से कम।

जयपुर जिला बोर्ड के भूतपूर्व सदस्यों को मोटर का टी० ए० देना

८५६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.12

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(क) जयपुर जिला बोर्ड के भूतपूर्व सदस्यों में किन किन सदस्यों को मोटर का टी० ए० दिया गया ?

(ख) उक्त सदस्यों में कितने ऐसे हैं और कौन कौन हैं जिनके पास मोटर घरू नहीं थी और मोटर का टी० ए० दिया गया ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) इस विभाग में ऐसी जानकारी नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के स्टोर्स का फिजिकल वेरीफिकेशन

८६०. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के स्टोर्स का फिजिकल वेरीफिकेशन हुआ है ? यदि हां, तो उसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) क्या यह सही है कि फिजिकल वेरीफिकेशन से शॉर्टेज पाई गई ? यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) फिजिकल वेरीफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार के सामने आई नहीं है ।

(ख) फिजिकल वेरीफिकेशन का कार्य पूरा होने पर ही सारी स्थिति बताई जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : जो फिजिकल वेरीफिकेशन अब तक हुआ है उसके कारण कोई शॉर्टेज फाइन्ड आउट हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वक्तन फवक्तन इन स्टोर्स का फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं कराया जाता ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह पहला ही मौका है कि राजस्थान बनने के बाद जबकि पहले पहल फिजिकल वेरीफिकेशन कराया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : यह काम कितना हो गया कितना बाकी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रजिस्टरों से वेरीफाई करना है सो किया जा रहा है । इसमें यह कहना कठिन है इस समय कि कितना हो गया और कितना बाकी है ?

श्री भैरोंसिंह : जो डिपार्टमेन्ट के द्वारा पर्चेजेज की जाती हैं उसका इन्दराज रजिस्टरों में नहीं होता इसलिये देरी हो रही है, क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्टाफ की कमी की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है । उस काम पर उस क्लर्क को लगाया जाता है जो अपने काम के अतिरिक्त इसको भी देखता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान एग्जीविशन के सम्बन्ध में जो

(श्री भैरोंसिंह)

सामान खरीदा गया था उसकी एन्ट्री किसी रजिस्टर में नहीं हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप डेफीनेट प्रश्न पूछते तो मैं इसका भी जवाब दे सकता था।

श्री भैरोंसिंह : आज तक उस सामान की एन्ट्री नहीं हुई। उनकी साडियां, पेम्फलेट, प्लास्टर्स, मैप्स आदि आये थे वे गायब हो गये। उनमें से एक की भी एन्ट्री नहीं है और माननीय गृह मन्त्री को मैं वहां ले जाकर दिखाना चाहता हूँ कि इसकी कहीं रजिस्टर में एन्ट्री नहीं है और सामान मौजूद नहीं है। मैंने शिकायत भी उनसे की है। पर वे जांच नहीं करते।

श्री रामकिशोर व्यास : उसके बारे में तो सवाल ही है ? शुरू में मैंने अर्ज किया कि फिज़िकल वेरीफिकेशन हो रहा है। रिपोर्ट आने पर मैं कह सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल पक्षपात हो रहा है इस डिपार्टमेन्ट के साथ में।

उम्मेद मिल्स पाली के मजदूरों को मिलने वाला वेतन, मंहगाई भत्ता

८६१. **श्री मूलचन्द डागा (पाली) :** क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के साल खाते के मजदूरों को तीसरी पाली चलाने के पहले कुल कितना वेतन मय मंहगाई भत्ते वगैरह के प्रति मास मिलता था और तीसरी पाली चलाने के बाद उन मजदूरों को कितना पगार मय मंहगाई-भत्ता आदि के मिलता है ?

(ख) क्या इसके लिये उम्मेद मिल्स, पाली के मजदूरों ने कोई विरोध किया है ? अगर हां, तो क्या और उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) महाराजा श्री उम्मेद मिल्स, पाली के साल-खाते के मजदूरों को तीसरी पाली चलाने के पहले जो वेतन या मंहगाई भत्ता मिलता था उसमें तीसरी पाली चलने के बाद कोई कमी नहीं की गई। अन्य भत्ते जैसे पर्सनल अलाउन्स, पर्सनल डियरेनेस अलाउन्स और अटेन्डेन्स प्राइज़ को मूल वेतन (स्टेन्डर्ड वेसिक वेजेज़) में सम्मिलित कर दिया गया है।

(ख) सूती मिल मजदूर सभा नामक संस्था द्वारा विरोध किया गया कि तारीख २६-२-५८ का समझौता गैर कानूनी है। इस सम्बन्ध में जांच भी कराई गई थी पर इससे नुकसान हुआ, ऐसा प्रकट नहीं हुआ।

श्री मूलचंद डागा : पहिले कुल कितना वेतन आदि मिलता था मजदूरों को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : साल खाते के मजदूरों को पहिले कितना मिलता था और अब क्या मिलता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: हमारे डिपार्टमेन्ट में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : आप यह बताने की कृपा करें कि इस एग्रीमेन्ट से पहले क्या मिल रहा था और बाद में क्या मिल रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं निवेदन कर

Page No.14

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

चुका हूँ कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेन्ट में नहीं है, यह मिल का काम है। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिये जवाब देने से मजबूर हूं। एग्रीमेन्ट वेलिड है या नहीं, यह भी कहा गया है और इस वजह से इसको इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी को रेफर किया है। अगर वहां से कोई जवाब आया और जरूरत महसूस हुई तो इसको ट्रिब्युनल को रेफर कर देंगे। गवर्नमेन्ट का इतना ही तोल्लुके है इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से।

श्री मूलचन्द डागा : इस ऐग्रीमेन्ट की कॉपी सरकार के पास है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, है; इस वक्त भी मौजूद है।

श्री मूलचन्द डागा : अब ऐग्रीमेन्ट में क्या तनख्वाह है ?

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह प्रश्न नहीं होता। पहले समझौते की बातें होती है फिर डिस्प्यूट होता है, इस पर इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी को रेफर किया जाता है तो इस तरह से यह मामला विचाराधीन है।

श्री मूलचंद डागा : That was not a valid Agreement. जब मजदूरों ने उसको चैलेन्ज कर दिया तब वेलिड होने का सवाल नहीं रहता।

श्री अध्यक्ष : That was a valid Agreement तभी रेफर किया गया है इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के पास। नहीं तो इम्प्लीमेन्ट कर दिया जाता।

श्री मूलचन्द डागा : वह तो इम्प्लीमेन्ट कर दिया गया है न ? तभी तो बात है। That has b en challerge.

श्री अध्यक्ष : That is for the Implementation Committee to decided.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इम्प्लीमेन्ट करने के बाद चैलेन्ज किया है और इसलिये उसे इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी को रेफर किया है।

श्री मूलचन्द डागा : इसकी रिपोर्ट कब तक आ जावेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हिंदुस्तान भर के लिये एक इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी बना रखी है। हमने वहां रेफर कर दिया है। अब जब उनके यहां से हमारे पास सूचना आ जावेगी तो हम वह सूचना दे देंगे।

प्रश्न संख्या ८६२

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

जिला बोर्ड का रुपया सार्वजनिक काम में न लगा कर घरू काम में लगाना

८६३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बस्सी तहसील के सामरिया ग्राम के कुछ लोगों के खिलाफ जिला बोर्ड का रुपया सार्वजनिक काम में न लगाकर घरू काम में लेने की शिकायत आई है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) जी हां।

Page No.15

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों को रुपये का हिसाब भेजने या रुपया जिला बोर्ड कोष में जमा कराने हेतु लिखा गया और ओवरसियर को मौके पर भेज कर जांच करवाई गई।

प्रश्न संख्या ८६४

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

(अनुपस्थित)

म्यूनिसिपल क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी देख रेख

८६५. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या म्यूनिसिपल क्षेत्र में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-रेख करने की कोई जिम्मेदारी है ? यदि हां, तो वह क्या जिम्मेदारी है ? यदि नहीं, तो ऐसे क्षेत्र में जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किस पर है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : वस्तुतः म्यूनिसिपल क्षेत्र में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की नहीं बल्कि नगरपालिका की स्वास्थ्य सम्बन्धी देख रेख रखने की जिम्मेदारी है। पर आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग से भी कार्यवाही की जाती है।

श्री रामचन्द्र: भयंकर बीमारी फैलने पर भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी उस म्यूनिसिपल एरिया का निरीक्षण करता है या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जरूर करता है। जयपुर में ही देखिये। अभी जब बीमारी चली तो देखा था।

श्री रामचन्द्र : पिछली बार झालावाड़ क्षेत्र में स्मॉल पोक्स की बीमारी बहुत अधिक फैली थी। तो उस वक्त कितनी बार उन्होंने इन्सपेक्शन किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने यह तो पूछा नहीं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचंद्र : माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये मैं बतला दूं कि स्वास्थ्य अधिकारी इन बातों की कोई परवाह नहीं करते कि चाहे भयंकर से भयंकर बीमार हो या कैसी भी हालत हो, वे अपने दफ्तर से निकल कर बाहर घूमने का भी कष्ट नहीं करते। यही परिस्थिति रही तो जनता की खैर नहीं है।

मदनगंज पुलिस कर्मचारियों के अनैतिक कामों की जांच की मांग

८६६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहर बाजार, जयपुर) : क्या गृहमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मदनगंज पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मदनगंज जनता ने सार्वजनिक सभा में कर्मचारियों के अनैतिक कामों की जांच करने की मांग की है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस, अजमेर के पास कब कब रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजे गये हैं ?

(ग) उक्त प्रस्ताव पर क्या कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हाँ। एक ऐसा प्रस्ताव भारतीय जनसंघ, मदनगंज की सभा में पास किया गया।

(ख) इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि आई० जी०, डी०आई०जी०, और एस० पी, अजमेर के कार्यालयों में भिन्न भिन्न तारीखों को प्राप्त हुई।

(ग) मामले की जांच करने पर एलीगेशन निराधार पाये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस० पी० ने।

श्री मूलचन्द डागा : ये अनैतिक काम क्या हैं, यह बतलायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपस में मारपीट का झगड़ा था।

श्री मूलचन्द डागा : मारपीट को अनैतिक काम में शामिल क्यों कर लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने लिखा है हमने नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवाहियां वगैरह जांच के वक्त ली गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : केस को ही अदालत में चालान कर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निराधार फिर क्या बात हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपके और कई ऐलीगेशन्स थे।

पंचायत २३ बी० बी० के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

८६७. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को विदित है कि पंचायत २३ बी० बी०, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर के सरपंच के विरुद्ध तारीख ३०-९-५७ को अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने के बावजूद सरपंच पंचायत के कागजात उठा कर अपने घर ले गया है और पंचायत की बैठकें अपने घर पर ही बुला रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में कानूनी प्रश्न आजाने से विधि विभाग से सम्मति ली जा रही है। सरकार इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में शीघ्र ही आदेश देगी।

श्री बैजनाथ आत्मज रामचन्द्र मीना, ग्राम ढ़ावा, तहसील दीगोद की भूमि

८६८. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) श्री बैजनाथ आत्मज रामचन्द्र मीना, ग्राम ढ़ावा, तहसील दीगोद की कितनी जमीन नहर में गई है ?

(ख) जमीन की कीमत एवं फसल के नुकसान का कितना रुपया अलग अलग बनता है ?

Page No.17

(श्री रामनारायण वर्मा)

(ग) क्या गत वर्ष उसको उक्त रकम में से कुछ रुपया मिला ?

(घ) यदि हां, तो वह रुपया फसल के नुकसान का था या जमीन की कीमत का ?

(ङ) अब कितनी रकम राज्य सरकार को देनी है तथा यह धन-राशि कब तक दे दी जावेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास):

(क) श्री बैजनाथ आत्मज रामचन्द्र मीना, ग्राम ढ़ाबा, तहसील दीगोद की पृथक् खेत की कोई जमीन नहर में नहीं आई है। बल्कि श्री बैजनाथ पुत्र रामचन्द्र, माधो पुत्र रामचन्द्र व गुलाब बेवा जगन्नाथ के सम्मिलित खेत की कुल ७४ बीघा दो बिस्वा भूमि ग्राम ढ़ावा के दाहिनी मुख्य नहर के कार्य में आई है।

(ख) जमीन की कीमत एक फसल के नुकसान का रुपया अनुक्रम में ८,७३८) व १,६१८) रुपया बना है।

(ग) जी हां।

(घ) फसल के नुकसान का।

(ङ) राज्य सरकार के लैण्ड एक्विजीशन की धारा ३४ के तहत भूमि के मूल्य का सूद चार प्रतिशत से और देना है जिसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही जारी है और इसके अवार्ड शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।

आयुर्वेदिक विभाग में हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति

८६६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) आयुर्वेदिक विभाग में हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति की निर्धारित संख्या व अनुपात क्या है ?

(ख) इस समय विभाग में कितने इन्सपेक्टर्स, कितने वैद्य तथा कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरिजन हैं ?

(ग) यदि संख्या निर्धारित अनुपात या संख्या से कम हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) सन् ५८–५९ में कितनी नई नियुक्तियां इस विभाग में की गईं और उनमें हरिजन कितने हैं ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) आयुर्वेदिक विभाग एक टैक्नीकल विभाग है, जहां केवल आयुर्वेद विज्ञान के विशेषित व्यक्ति ही लिए जाते हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में जहां हरिजन उपलब्ध हो सके हैं उनको लेने की व्यवस्था की गई है। आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर व उदयपुर, आयुर्वेदिक चिकित्सालय बूंदी, उदयपुर, जयपुर प्राकृतिक चिकित्सालय, उदयपुर व आयुर्वेदिक चिकित्सालय जामोला, आदि स्थानों में स्थाई पदों पर हरिजन कार्य कर रहे हैं जिनका अनुपात करीब करीब प्रतिशत व संख्या ८ है। प्रत्येक विभाग में साढ़े बारह प्रतिशत का अनुपात है, किन्तु शिक्षित व्यक्तियों के अभाव में करीब करीब दो प्रतिशत के अनुपात की पूर्ति हो सकी है।

(ख) इस विभाग में एक भी इन्सपेक्टर व वैद्य हरिजन नहीं है। केवल ८ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरिजन हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार अधीनस्थ निरीक्षकों आदि को भी हैं। अतः यदि कहीं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हरिजन कर्मचारी लिये गये हैं तो जानकारी चाही गई है ।

(ग) आयुर्वेद शिक्षित हरिजन कर्मचारी का अभाव निर्धारित अनुपात से कमी का कारण है । एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज से किसी हरिजन के वैद्य या चतुर्थ श्रेणी पद के लिये आवेदन-पत्र भी प्राप्त नहीं हुए ।

(घ) सन् १६५८-५६ में ३५ वैद्य, ४० उपवैद्य, धात्री व २५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति इस विभाग में विभिन्न स्थानों पर की गई है । उनमें कहीं हरिजन नहीं हैं ।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारियों को रखते हैं तो आयुर्वेद विभाग में इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से क्या काम लिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो चतुर्थ श्रेणी का ही काम करते हैं, दूसरी श्रेणी का नहीं ।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, उन हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टट्टी साफ करवाने के लिए या झाड़ू लगवाने के लिए रखा जाता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणीके कर्मचारियों के लिए जो निर्धारित कोटा है उसकी पूर्ति के लिए कई हरिजनों ने दरख्वास्तें दीं और वे रिजेक्ट कर दी गईं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी जानकारी नहीं है । ऐसा नहीं है कि कोई दरख्वास्त दी हो और वह रिजेक्ट कर दी हो ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास ही अभी दरख्वास्त हैं, थैले में । उनको रिजेक्ट कर दिया गया । क्या कारण था कि जो हरिजनों ने दरख्वास्तें दीं उनको रिजेक्ट कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : अब आप दरख्वास्त भेज दीजिए ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर कोई ऐसा केस हो तो बता दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वर्तमान डाइरेक्टर हरिजनों से नफरत करते हैं और हरिजनों की नियुक्ति इसी कारण नहीं की जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात सही नहीं है ।

प्रश्न संख्या ८७०

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल

कस्बा बौंली में नगरपालिका की मांग

८७१. **श्री पृथ्वीराज** (श्री रिद्धिचंद पल्लीवाल की अनुपस्थिति में) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कस्बा बौंली की जनसंख्या ७,५०० है ?

(२) क्या वहां की जनता ने नगरपालिका निर्माण की मांग की है ?

(३) यदि हां, तो वहां नगरपालिका की स्थापना अब कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार बौंली की जनसंख्या ८,५९९ है।

(२) जी हां।

(३) कस्बा बौंली में नगरपालिका स्थापित किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : यह कस्बा बौंली में जनता ने नगरपालिका बनाने की माँग कब से की ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : ८-१०-५८ से।

डॉ० चन्द्रकला : यह नगरपालिका कब तक बना दी जायेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिए कलेक्टर, सवाई माधोपुर को लिखा गया है। वह वहाँ से जांच करके वहां की जनता की राय लेकर फिर यहां भेजेगा। उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। उसके बाद में जो कानूनी कार्यवाही होगी वह होगी। इसमें करीब साल डेढ़ साल लगेगा।

प्रश्न संख्या ८७२

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचंद पल्लीवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७३

श्री लादूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७४

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७५

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

उपाध्यक्ष, नगरपालिका किशनगढ़, के विरुद्ध शिकायतें

८७६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) उपाध्यक्ष, नगरपालिका किशनगढ़, जिला अजमेर ने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट की धारा १७६ के मातहत कितने मामलों को कम्पाउन्ड करने के आदेश दिये ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार के अधिकार नगरपालिका किशनगढ़ ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को नहीं दिये ?

(३) उपाध्यक्ष की इस प्रकार के अवैधानिक कार्य के खिलाफ कब कब सरकार के सामने शिकायत पेश हुई ?

(४) उक्त शिकायतों पर क्या एक्शन लिया गया ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) किसी मामले में आदेश नहीं दिये गये।

(२) यह सही है।

(३) दिनांक २७-६-५८ व १७-७-५८ को।

(४) इस संबंध में प्रादेशिक निरीक्षक, जयपुर द्वारा जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष महोदय को

Page No.20

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

दिनांक ६-११-५८ को चेतावनी दी गई है कि राजस्थान टाउन म्यूनिसिपेलिटी एक्ट १६५१ की धारा २५ (२) के अनुसार उनका अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करना अवैधानिक था क्योंकि उस समय अध्यक्ष महोदय अवकाश पर नहीं थे ।

प्रश्न संख्या ८७७

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८७८

श्री हीरा ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

जयपुर की गन्दी बस्तियों को समाप्त करने की योजना

८७६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर की गन्दी बस्तियों को समाप्त करने हेतु क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना राज्य सरकार को दी है और उसके लिए आवश्यक धन राशि अनुदान के रूप में एवं ऋण के रूप में देना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो कब और कितनी धन राशि ?

(२) इस योजना को अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

(३) क्या इस सबंध में राज्य सरकार ने भी कोई योजना बनाई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे डिपार्टमेन्ट से निकलकर प्लानिंग डिपार्टमेन्ट में चला गया है । इसलिए प्लानिंगवाले दिन इसका जवाब दिया जायेगा । अब की टर्न पर जवाब दे देंगे । अब उसका लोकल सैल्फ से ताल्लुक नहीं रहा ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

तहसील दीगोद ग्राम पोलाई कलां की बलाइयों की बस्ती में चक्की लगाना

८८०. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि तहसील दीगोद, ग्राम पोलाई कलां की बलाइयों की बस्ती में कोई चक्की लगाई गई है ?

(२) क्या स्वास्थ्य एवं आवागमन की असुविधा के कारण बलाइयों ने इसका विरोध किया है ?

(३) उक्त चक्की लगाने की स्वीकृति कहां से और कब प्राप्त की गई ?

(४) क्या स्वीकृति देते समय बलाइयों के कष्टों का ध्यान रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) सम्बन्धित पंचायत ने चक्की लगाने की स्वीकृति नहीं दी ।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर ।

आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०, ७२ आर० बी० को भाखड़ा क्षेत्र में भूमि अलॉट करना

८८१. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड, ७२ आर० बी० तहसील रायसिंहनगर को भाखड़ा क्षेत्र में कब और कहां भूमि अलॉट की गई ?

(२) क्या यह सच है कि उनसे रुपये ५,३१२,५० नये पैसे भूमि की कीमत तारीख १८-१२-५६ को वसूल की जा चुकी है ?

(३) क्या यह सच है कि इस समिति को अलॉट शुदा भूमि का कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह प्रश्न रेवेन्यु मिनिस्टर साहब का है और इसका जवाब वह अपनी तारीख पर दे देंगे ।

श्रीमती सतवन्तकौर : कब दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब रेवेन्यु मिनिस्टर साहब अपनी तारीख पर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

शेरगढ़ तहसील के ग्राम सांई में पीने के पानी की कमी

८८२. **श्री सूरजमल** (फलोदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या शेरगढ़ तहसील के ग्राम सांई व उसके आसपास की ढाणियों वालों को पीने के पानी की कमी है ?

(२) सरकार द्वारा वहां कुआ खुदवाने व उनकी मरम्मत कराने के लिए कितनी सहायता स्वीकृत की गई, उनमें से कितनी किश्त दी व किनके मारफत दी ?

(३) क्या अब बकाया धनराशि की किश्त सरकार देना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ।

(१) सूची संलग्न है ।

(३) सन् १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष में स्वीकृत पूरी रकम गांव वालों को दी जा चुकी है । १९५६-५७ में स्वीकृत धनराशि की केवल दो तीन किश्त ही गांव वालों को दी गई । शेष रकम ग्राम वाले समय पर और गांवाई हिस्से की सहायता की व्यवस्था नहीं कर सके, इस कारण लैप्स हो गई ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये :

सरकार द्वारा जलबोर्ड का वाइन्ड-अप करना

८८३. **डॉ० चन्द्रकला** (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थित में) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(डॉ० चन्द्रकला)

(१) क्या यह सही है कि सरकार जल बोर्ड को वाइन्ड-अप करने जा रही है ?

(२) अगर हां, तो क्या राजस्थान में पानी समस्या हल हो चुकी ?

(३) क्या जब से जल बोर्ड कायम हुआ तब से अब तक डिस्ट्रिक्ट टोंक के जल बोर्ड का ऑडिट और कार्य का निरीक्षण हो चुका है ?

(४) अगर हां, तो किसके द्वारा ? ऑडिट और निरीक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । भिन्न भिन्न जिलों में जहां पानी की समस्यायें हैं उन्हें कलेक्टर के द्वारा हल कराया जा रहा है । ब्लॉक्स में यह कार्य ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा तथा नॉन-ब्लॉक्स में जिला जल बोर्ड समितियों द्वारा यह कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है ।

(३) जी हां ।

(४) ऑडिट का कार्य लोकल फण्ड विभाग द्वारा तथा मूल्यांकन का कार्य सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर हैल्थ, राजस्थान, जयपुर की देखरेख में चल रहा है । चूंकि उपरोक्त कार्य अभी पूरे नहीं हुये हैं अतः रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना अभी सम्भव नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : ऑडिट और निरीक्षण की रिपोर्ट का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह हो रहा है । मगर किस महीने तक पूरा हो जायेगा, यह नहीं कहा जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऑडिट और निरीक्षण की रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर दी गई है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दे दें ।

सन् १९५२ से आज तक जिला बाड़मेर में बन्दूकों के नये बने लाइसेन्स

८३२. **श्री लक्ष्मीचन्द्र** (श्री अनूपसिंह की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५२ से आज तक बाड़मेर जिले में कितने बन्दूकों के लाइसेन्स नये बने ? इनमें कितने हिन्दू और कितने मुसलमानों के हैं ?

(२) इसी अर्से में कितने हिन्दुओं के लाइसेन्स खारिज हुए और क्यों ?

(३) क्या केन्द्रीय सरकार के ये आदेश हैं कि सरहद के मुसलमानों को विशेष सुविधा से बन्दूक लाइसेन्स दिये जायें ?

(४) क्या सरकार को सरहद पर इस आसानी से लाइसेन्स देने से वहां इन शस्त्रों का मिसयूज़ होने का खतरा नहीं है ?

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(५) अगर नहीं, तो वहां हिन्दुओं के लाइसेन्स खारिज क्यों किये जाते हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) सन् १९५२ से आज तक बाड़मेर जिला में १२८ बन्दूकों के लाइसेन्स नये बने, जिनमें से १०६ हिन्दुओं को तथा २२ मुसलमानों को दिये गये हैं।

(२) इस अर्से में १५ लाइसेंस हिन्दुओं के खारिज किये गये और हर एक लाइसेन्स के खारिज करने के कारण संलग्न सूची में बताये गये हैं।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं।

(५) इस प्रश्न के भाग २ के उत्तर से इस भाग के उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

गांव काणूजा से झाला की चौकी तक सड़क बनाने की कार्य निमित्त सर्वे

८७०. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील में गांव काणूजा से झाला की चौकी तक सड़क बनाने के कार्य निमित्त सर्वे की गई थी ?

(२) यदि हां, तो यह सर्वे कब की गई थी और उसका नतीजा क्या रहा ?

(३) सरकार इस कार्य को कब तक कराने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

श्री रामकिशोर व्यास : प्रश्न संख्या ८७२ का उत्तर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

किशनगंज तहसील में स्थित तलावड़ा के तालाब का पुनः निर्माण

८७५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या किशनगंज तहसील में स्थित तलावड़ा के तालाब को सिंचाई योग्य बनाने के हेतु विकास विभाग की ओर से उसका निर्माण कराया गया है ?

Page No.24

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(२) यदि हां, तो इसमें कितना व्यय अब तक हो चुका है तथा उसका वास्तविक एस्टीमेट क्या था ?

(३) क्या इसके निर्माण के लिये टेन्डर्स कॉल किये गये थे ?

(४) क्या यह सही है कि इस तालाब के नाले की दीवार में चिराड़ चली गई है ?

कृषि मंत्री (श्रीनाथूराम मिर्धा) : (१) हां कृषि विभाग द्वारा दी गई रकम से यह कार्य कराया जा रहा है।

(२) इसमें अब तक ५,०००) रु० व्यय हो चुके हैं जिसमें से ५० प्रतिशत जन-सहयोग भी सम्मिलित है। उक्त कार्य का एस्टीमेट १०,०००) का है।

(३) जी नहीं।

(४) नहीं, वास्तव में दीवार में कोई चिराड़ नहीं है वरन् चट्टान में दरार है। अब चट्टान को दरार की गहराई से २, ३ फीट अधिक काट कर उसमें सीमेन्ट भर दी जावेगी जिससे पानी निकलना बन्द हो जावेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : टेन्डर्स नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेन्डर्स ऐसे छोटे काम के लिए नहीं लेते हैं। एग्रीकल्चर विभाग में २० हजार के नीचे के काम के लिए यह तय कर रखा है कि ५० पर्सेन्ट राज्य सरकार देती है और ५० पर्सेन्ट लोगों से लेते हैं। इस प्रकार से दोनों का मिलजुल कर काम होता है। थोड़ी सी टैक्नीकल गाइडेन्स के बाद में कलेक्टर की देख रेख में यह काम होता है।

श्री मूलचन्द डागा : तालाब से कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये आंकड़े नहीं हैं मेरे पास में इस समय।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि तालाब की दीवार जहां से उठाई गई है, उसके नीचे जगह रह जाने की वजह से बाहर पानी बह रहा है, और पानी रोकने के लिए जो ५,०००) रु० खर्च किया गया है वह बेकार गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चट्टान के खुद के बीच में जब दरार हो जाती है तो पानी लीक हो जाता है तो उस चट्टान के बीच में दरार की वजह से वहां पानी लीक हो रहा है। उसमें सीमेन्ट भर देंगे तो पानी नहीं निकलेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : चट्टान से दीवार उठाने के लिए कुछ नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले वह जगह नोटिस में नहीं आई। बहुत टैक्नीकल आदमी वहां पर थे नहीं। चट्टान में दरार के कारण पानी लीक हो सकता है, यह ऑर्डिनरी आदमी की समझ में नहीं आ सका। प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स हुआ तो अब ग्राउटिंग कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह

(अनुपस्थित)

श्री हीरा।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न संख्या ८५३ का जवाब दे दिया जाय तो ठीक हो।

श्री अध्यक्ष : दो दफा कॉल कर चुका हूं।

डॉ० चन्द्रकला : कॉल नहीं हुआ।

निवाई, डिस्ट्रिक्ट टोंक से बिजली का पावर हाउस हटाना

८५३. **डॉ० चन्द्रकला** (रावराजा श्री सरदारसिंह की अनुपस्थिति में : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि निवाई, डिस्ट्रिक्ट टोंक से बिजली का पावर हाउस हटा दिया गया है ?

(२) अगर हां, तो कब और क्यों और उस पावर हाउस की मशीन और दीगर सामान कहां ले जाया गया ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि एक मशीन वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाई गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां पावर हाउस की जो मशीनें हैं उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। नई मशीन लगाने की बात है। वह निवाई में नहीं लगेगी और टोंक में लगेगी।

डॉ० चन्द्रकला : जो मशीनें वहां काम कर रही हैं क्या वे वहां काम करती रहेंगी और जो दूसरी मशीनें हटाकर टोंक चली गई टोंक में कायम रहेंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, जो मशीनें वहां रह गई हैं वे वहीं रहेंगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

११ . ५३ म० पूर्व०

सदन की कार्यवाही में से कुछ विवादास्पद शब्द हटाने विषयक

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न संख्या ८६० के संबंध में श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि इस विभाग के साथ पक्षपात हो रहा है। यह मंत्री महोदय पर खुला आरोप लगाया था। लिहाजा इस वर्ड को एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह सही आरोप है। मैं समझता हूं कि मुझे आरोपों को साबित करने का मौका दिया जाय तो मैं साबित कर सकता हूँ कि इस विभाग के साथ खुला पक्षपात किया जा रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां सही और गलत का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ये जो 'पक्षपात' शब्द काम में लाये गये हैं माननीय सदस्य द्वारा ये अनपार्लियामेन्ट्री हैं। क्वेश्चन का मकशद यह होता है कि माननीय सदस्य इनफॉर्मेशन लें और इनफॉर्मेशन लेने के दौरान में यह काउन्टर आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्थिति तो ऐसी है कि अगर इससे भी कोई तकड़ा शब्द हो तो उसको प्रयोग में लाया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : आप इससे भी कड़ा शब्द प्रयोग में लाइये, हमें कोई एतराज नहीं है।

११.५५ म० पू०

दिनांक २० नवम्बर को उपाध्यक्ष द्वारा मत-दान में भाग लेने संबंधी आपत्ति

श्री अध्यक्ष : दिनांक २० नवम्बर, १९५८ को श्री भैरोंसिंह, विभाजन संख्या १४ ने राजस्थान टिनेन्सी (चतुर्थ संशोधन) विधेयक के खंड ६ पर किये गये विभाजन के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष के मतदान करने के विषय में आपत्ति उठाई है। यह तो निर्विवाद है कि माननीय उपाध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार है, लेकिन श्री भैरोंसिंह की आपत्ति यह है कि उस समय सभापति-तालिका के एक माननीय सदस्य अध्यक्ष के पद पर आसीन थे; अतः उपाध्यक्ष महोदय को चाहिए था कि वे अपना मत नहीं देते और स्वयं अध्यक्ष पद ग्रहण कर सदन की कार्यवाही का संचालन करते। जैसा कि उस दिन की कार्यवाही को देखने से विदित है, उपरोक्त आपत्ति विभाजन का परिणाम घोषित करने तथा उक्त विधेयक के खण्ड ७ के भी पारित किये जाने के पश्चात् उठाई गई थी और राजस्व मंत्री महोदय ने इस पर एतराज किया था कि इस प्रश्न को विभाजन के परिणाम घोषित करने के पूर्व ही उठाया जाना चाहिए था। मेरी भी राय यही है कि विभाजन के परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् ऐसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न के अन्य पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

११.५८ म० पू०

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

(अग्रेत्तर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज २ से शुरू करें। श्री पी० के० चौधरी और मंत्री महोदय के अमेंडमेंट्स हैं। जो क्लॉजेज़ डेफ़र हो चुकी थीं, उनको लिया जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : इसमें, अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के दो पार्ट्स हैं जिनके ऊपर मेरे लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में अमेंडमेन्ट्स हैं। पार्ट (ए) में मेरा संशोधन है ? "In part (a) of the proviso after the words 'already done' insert 'or suffered, or any action already taken'."

यह लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में है।

दूसरा पार्ट (बी) के बारे में है। "In part (b) of the proviso befor the word 'elected' occurring for the last time in the penultimate line, insert 'appointed or'."

नोमीनेटेड नहीं रख रहे हैं, इसलिए अपोंइन्टेड हो रहा है।

तीसरा संशोधन है "Omit parts (c) and (d)."

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ के पार्ट (बी) में मेरा अमेंडमेन्ट है :

"In part (b) of the proviso the following words be deleted :

(a) in line 4 and 5 'nominated, appointed or' and 'limits defined'.

Page No.27

(श्री पी० के० चौधरी)

(b) in line 9 'so far as may be '

(c) in line 10 'unless the State Government directs otherwise'."

These words may be deleted....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : On a point of information, Sir, इन अमेंडमेन्ट्स को ऑलरेडी मूव्ड समझा जाय, जब कि ये डेफर हुए क्लॉजेज़ हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंहजी के अमेंडमेंट मूव हो चुके हैं, मंत्री महोदय और श्री पी० के० चौधरी के बाकी थे। उस स्टेज पर ये क्लॉजेज़ डेफर कर दी गई थीं। इसलिए इसी स्टेज पर वापिस चालू की गई हैं।

१२ मध्यान्ह

श्री पी० के० चौधरी : क्लॉज़ २ इस प्रकार है : "On this Act coming into force, the laws and enactments specified in the First Shedule appended to this Act shall be repealed."

यहां इस प्रोविज़ो से यह किया जाता है कि किन किन स्थितियों में रिपील नहीं होंगे। एग्ज़िस्टिंग लॉ, तो इसमें यह बताया जाता है कि : "all municipal boards, corporations, councils, town boards or other municipal authorities established under any of the said laws or enactments shall be deemed to be municipal boards established under this Act and all municipalties costituted, members nominated, appointed or elected, committees formed, limits defined, appointments, rules, orders and bye-laws made, notifications and notices issued, taxes imposed, contracts entered into and suits and other proceedings instituted under the said laws or enactments or under any laws or enactments thereby repealed, shall, so far as may be, be deemed unless the State Government directs otherwise, to have been respectively constituted, elected, formed defined, made, issued, imposed, entered into and instituted under this Act."

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो फर्स्ट अमेन्डमेन्ट है वह नोमिनेटेड और अपोइन्टेड मेम्बर्स के रिमूवल के लिये है। आज तक जो नोमिनेशन का तरीका था, उसको हम इस बिल से हटा रहे हैं और म्युनिसिपल बोर्ड कम्पलीटली इलैक्टेड मेम्बर्स द्वारा कांसटिट्युटेड होगा और नोमिनेटेड मेम्बर्स को हटाने का विशेष कारण है और वह यह है कि आज तक ज्यादातर कम से कम ३० पर्सेन्ट म्युनिसिपेलिटीज़ ऐसी मिलेंगी, जिनमें नोमिनेशन के कारण पर्टिकुलर ग्रुप को मेजोरिटी मिली है। इलेक्शन में उक्त ग्रुप की मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन नोमिनेशन करने के कारण उनकी मेजोरिटी हो गई या किसी म्युनीसिपेलिटी में सर्टेन ग्रुप की मेजोरिटी हो गई, तो उस मेजोरिटी वाले ग्रुप को नोमिनेशन के कारण माइनोरिटी में ला दिया। कम से कम ३० पर्सेन्ट ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं जिनमें मेजोरिटी को नोमिनेशन के कारण माइनोरिटी बना दिया गया। दो आदमियों को गवर्नमेन्ट की तरफ से नोमिनेट किया जाता है और इन आदमियों को नोमिनेट करके माइनोरिटी को मेजोरिटी बना देते हैं। ये दो नोमिनेटेड आदमी जिस ग्रुप का साथ देते हैं, उसी ग्रुप का चेयरमैन बनता है और उसी ग्रुप के हाथ में सब कुछ एग्ज़ी-

(श्री पी० के० चौधरी)

क्युटिव पॉवर्स रहती हैं। और यदि हम सभी मेम्बर्स का इलेक्शन करते हैं तो उसका मकसद यह है कि जिन लोगों को पोपुलर रिप्रज़ेन्टेशन मिला हो, उन्हीं के द्वारा म्युनिसिपेलिटीज़ की व्यवस्था चलाई जाय। जिन लोगों को मेजोरिटी ऑफ पीपुल चाहते हैं, वे ही लोग व्यवस्था चलायें। लेकिन नोमिनेशन का एक ऐसा जरिया था कि जिनको मेजोरिटी नहीं चाहती थी उन्हीं लोगों को ऊपर से थोप देते थे और म्युनिसिपेलिटी की सारी बागडोर उन्हीं के हाथ में सौंप देते थे। इसीलिये नोमिनेशन करने के प्रोविज़न को हम हटा रहे हैं।

जब नोमिनेशन के प्राविज़न को हटा रहे हैं तो यह जो सेविंग क्लॉज है कि एग्ज़ीक्युटिव द्वारा जो नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं वे भी बाद तक रहेंगे यानी during the rest of the tenure उनको प्रोपरली इलेक्टेड मान लिया जायगा; तो मैं समझता हूं कि ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होवे, तब तक भी कम से कम जो पोपुलर रिप्रज़ेन्टेशन है, आज जिनको नोमिनेशन के द्वारा आर्टिफिशियल मेजोरिटी बनाया है, उसके स्थान पर इलेक्टेड मेजोरिटी बनानी चाहिये, इस ख्याल से जब नोमिनेशन का क्लॉज़ नहीं रह रहा है, तो उसको यहां लाने की जरूरत नहीं है और जहां तक आज तक नोमिनेटेड रखे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाय, यह प्रोविजन यहां नहीं है इसलिये सेविंग क्लॉज को रखने की जरूरत नहीं है।

दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट है : "delete 'limits defined'-" लिमिट्स डिफाइन्ड (limits defined) का मतलब यह होता है कि एक्ट में लिमिट को डिफाइन किया है और पोपुलेशन को भी आगे जाकर तय करते हैं कि इतनी पोपुलेशन के बेसिस पर एक म्युनिसिपेलिटी होगी। आज जब यह एक्ट अमल में आता है तो इसमें लिमिट रखी है कि एक माइल से ज्यादा फासले के गांव इसमें नहीं रहने चाहिये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो गांव एक्ट के माफिक नहीं रहते हैं, उनको जबर्दस्ती रखने की जरूरत क्या है? इसलिये लिमिट डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है और करना ही चाहते हैं तो आगे जाकर कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि प्रोवीज़ो के पार्ट (बी) में है : "...so far as may be, be deemed, unless the State Government otherwise directs otherwise to have been respectively constituted." इसमें अमेन्डमेन्ट मेरा है, वह इस प्रोविज़ो के शब्द "unless the State Government directs otherwise" को रिमूव करने का है। सारे के सारे को वेलिडेट कर रहे हैं, जो आज मौजूद हैं उनको सेविंग्ज क्लॉज से वेलिडेट कर रहे हैं, लेकिन एक डिस्क्रीशन की सत्ता गवर्नमेंट के हाथ में रहती है' unless the State Government directs otherwise.' तो सेविंग क्लॉज़ के बावजूद भी ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ हो सकती हैं जिनसे गवर्नमेन्ट नाराज हो तो उनको खत्म करने के लिये जो नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं उनको हटा सकती है। किसी तरह की चैन्जेज करनी है तो नोमिनेटेड मेम्बर्स को हटा सकती है या लिमिट चैन्ज कर सकती है; तो मैं नहीं समझ सका कि बिल पास करने के बाद उसको जल्दी से जल्दी एन्फोर्स करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? इसके बाद भी स्टेट गवर्नमेन्ट को डिस्क्रिशनरी पॉवर्स देने की क्या जरूरत है? यह मैं महसूस नहीं करता हूं as to why there should

(श्री पी० के० चौधरी)

be a discriminatory power given to the State Government to act against this saving clause. अगर सेविंग का प्रोविज़न किया जाय तो जो एग्ज़िस्टिंग म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, उन सब के लिये किया जाय और नहीं किया जाय तो किसी के लिये भी नहीं किया जाय। लेकिन यदि ऐसे सेविंग क्लॉज को रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम स्टेट गवर्नमेन्ट को ऐसे भी अधिकार देते हैं, 'unless the State Government directs otherwise.' स्टेट गवर्नमेन्ट चाहे तो एग्ज़िस्टिंग को रख सकती है और नहीं चाहे तो कह सकती है कि फलां नोमिनेटेड मेम्बर्स को डिस्कंटिन्यु करते हैं या सेविंग क्लॉज के अंतर्गत उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ये सब चीजें लाने की कोशिश कर सकती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि डिस्क्रीशन देने की क्या जरूरत है? What are the circumstances, इसको विस्युअलाइज़ करिये? Framers of the Bill or Minister-in-charge ने किस सिचुएशन को सामने रखकर यह प्रोविज़न रखा है। यहां सेविंग क्लॉज रखा है वह तो ठीक है, यह होना ही चाहिये नहीं तो इस एक्ट के अमल में आने के बाद इसके इम्प्लीमेन्टेशन में डिले होगी और इससे वेक्युम क्रिएट हो सकता है, यह मैं समझता हूँ, इसके लिये सेविंग क्लॉज जरूरी है। लेकिन सेविंग क्लॉज को एप्लाई करने के लिये यह हो कि किसी जगह एप्लाई करें, किसी जगह एप्लाई न करें, यह उनकी मर्जी पर क्यों रखा गया है, इसके रीज़न्स समझ में नहीं आते। इसका कोई कारण नहीं है। जो ऐसी चीजें हैं जिनके लिये सेविंग की जरूरत नहीं है उनको लिस्ट से हटा सकते हैं। सेविंग के लिये जो लिस्ट दी है उसमें से इसको डिलीट कर दें तो कोई झगड़ा नहीं रहता है। लेकिन जब इसको लिस्ट में रखते हैं तो जब तक लिमिट डिफाइन न हो जाय तब तक के लिये इसको रखने की जरूरत नहीं है। जो एक्सेप्शन दिया है वह बेजरूरी है और महसूस होता है कि सेविंग की जरूरत नहीं है, तो इसे लिस्ट से हटा दिया जाय। इसलिये मेरे ये जो अमेन्डमेन्ट्स हैं उनको मैंने सदन के सामने रखा है और मैं समझता हूँ सदन इन्हें मंजूर करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में संशोधन का जो प्रस्ताव फुलेरा के माननीय सदस्य ने रखा है और इनसे पूर्व भी सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के प्रस्ताव रखे थे, मैं उनका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ में जो पूर्व व्यवस्था थी जिसके अनुसार राजस्थान में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं और जिनमें नोमिनेशन या किसी प्रकार का अपॉइन्टमेन्ट सदस्यों का राज्य सरकार ने पहले किया था, वे सारे के सारे नोमिनेशन्स खत्म कर दिये जायें और भविष्य में इस प्रकार के नोमिनेशन की व्यवस्था नहीं होगी, इस प्रकार की व्यवस्था की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर सदन में बड़ा वाद-विवाद हुआ और सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों की राय थी कि राजस्थान में जिन नगरपालिकाओं के चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद यदि सरकारी पक्ष या कांग्रेस का बहुमत उन नगरपालिकाओं में नहीं आता है तो नोमिनेशन की पद्धति के अनुसार, नोमिनेशन के नियमों के अनुसार राज्य सरकार अपने प्रतिनिधि उसमें नियुक्त करके बहुमत प्राप्त कर लेती है। माननीय

Page No.30

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय प्रश्नोत्तर काल में भी कई दफा जब इस प्रकार की आपत्तियां उठाई जाती हैं, बड़ी आसानी से यह तर्क दे देते हैं कि हमने कलेक्टर की सिफारिश पर नोमिनेशन किया है। नोमिनेशन की जो व्यवस्था अभी तक कानूनों में थी, मैं यह समझता हूँ, राज्य सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय को उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि लोसल की म्युनिसिपेलिटी सीकर जिले में बनाई है, वह आठ सदस्यों की नगरपालिका है। आठ सदस्यों की नगरपालिका में पिछली बार सात सदस्य जन संघ के थे और एक कांग्रेस का था और इस बार के चुनावों में पांच जनसंघ के चुनकर आये और तीन कांग्रेस पार्टी के चुन कर आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो व्यक्तियों का नोमिनेशन करना बाकी था। कलेक्टर महोदय ने सिफारिश की कि एक व्यक्ति इस दल का लिया जाय और एक व्यक्ति उस दल का लिया जाय और उसने दो दलों के विभिन्न व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किये, लेकिन राज्य सरकार ने, इसका माननीय मंत्री जी बाद में स्पष्टीकरण करेंगे, दोनों कांग्रेस द्वारा समर्थित व्यक्तियों का नोमिनेशन किया और इस प्रकार कांग्रेस के सदस्यों की संख्या तीन से पांच हो गई। जनसंघ ने कंटेस्ट नहीं किया और चेयरमैन कांग्रेस का हो गया। अब प्रश्न पैदा होता है कि एक दल म्युनिसिपेलिटी में अल्पमत में रहता है और स्पष्ट रूप से चुनावों के अन्दर वहां की जनता ने अपना विश्वास अमुक पार्टी के साथ व्यक्त कर दिया तो आप नोमिनेशन के आधार पर अपने व्यक्तियों का नोमिनेशन कर देते हैं और इस प्रकार बहुमत प्राप्त करके नगरपालिकाओं पर कब्जा करके वहां की व्यवस्था करते हैं जो कानून की मन्शा नहीं थी। चाहिए यह था कि ऐसे स्थानों पर, जहां पर बहुमत दूसरे दल का होता है, ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी कई बार देते हैं बातचीत के दौरान में कि जहां बहुमत हमारा नहीं होगा, वहां पर जिस दल का बहुमत होगा उस बहुमत के दल की सिफारिश पर उन लोगों की नियुक्ति की जायगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुभव यह बताता है, गत अनुभव इस बात का साक्षी है कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में घोर पक्षपात किया है। राज्य सरकार जिन किन्हीं को चाहती है नगरपालिकाओं में उनका नोमिनेशन करती है। इस प्रकार की नोमिनेशन की व्यवस्था राजस्थान में खत्म कर दी जाय तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में ऐसी नगरपालिकायें हो सकती हैं जहां कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो जायगा। इस कानून में दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, यह कानून हम पास करें कि हम नोमीनेशन की व्यवस्था भविष्य में समाप्त कर देंगे, क्योंकि जिन नगरपालिकाओं में जनता ने अपना विश्वास दूसरे दल में प्रकट किया है, और जहां कानून की व्यवस्था के अनुसार, नोमिनेशन के नियमों के अनुसार कांग्रेस दल का बहुमत है, उस व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं तो कांग्रेस से हट कर सत्ता दूसरे दल के हाथ में चली जायगी। हम चाहते हैं कि भविष्य के लिए हमने यह सिद्धान्त स्वीकार किया है कि नोमिनेशन की प्रथा नहीं रहेगी। हम चाहते हैं कि राजस्थान में आगे आने वाली नगरपालिकाओं में नोमिनेशन की पद्धति हटा देनी चाहिए, फिर चाहे वह रिज़र्वेशनके आधार पर हो,चाहे दूसरे किसी आधार पर हो, नोमिनेशन नहीं होगा और अल्पमत को बहुमत में नहीं बदला जायगा और केवल

Page No.31

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नोमिनेशन के आधार पर अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित किया है, उन नगरपालिकाओं को समाप्त कर दिया जाय, यह प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने केवल एक सेन्टेन्स के द्वारा बड़ी चतुराई के साथ में, मैं समझता हूं, अपने लिए बहुत बड़ा अधिकार सुरक्षित कर लिया है। उसमें लिख दिया है : "unless the State Government directs otherwise..." यानी राज्य सरकार चाहे तो किन्हीं भी नगरपालिकाओं पर नियम लागू कर सकती है और राज्य सरकार किन्हीं स्थानों पर तो नियम नहीं लागू कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के इस युग में, जब हमारे यहां पर संविधान है, संविधान में सबको बराबर अधिकार हैं, कानून की दृष्टि से सबको बराबर अधिकार है, नियमों के आधार पर सब बराबर हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय मंत्रीजी इसके स्वयं हामी नहीं रहते हैं और इस प्रकार का प्रोविज़न उन्होंने क्यों रखा है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किन्हीं नगरपालिकाओं पर नियम लागू कर सकती है, अगर नहीं चाहे तो नियम लागू नहीं होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम एक होता है, नियम सत्य है, सत्य एक के लिए है तो दूसरों के लिए भी है। यदि नगरपालिकायें समाप्त होंगी तो सारी नगरपालिकायें समाप्त होंगी, चाहे वहां कांग्रेस का बहुमत समाप्त होता हो या अन्य किसी भी दल का बहुमत समाप्त होता हो, यहां पर पार्टी का सवाल खड़ा नहीं होता। यदि नियम के अनुसार किसी एक की गर्दन कटती है तो वह कटकर रहेगी। लेकिन राज्य सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में रखना चाहा है, उन्होंने लिख दिया है, क्लॉज २ के प्रोविज़ो (बी) में :

"all municipal boards, corporations, councils, town boards or other municipal authorities established under any of the said laws or enactments shall be deemed to be municipal boards established under this Act and all municipalities constituted, members nominated, appointed or elected, committees formed, limits defined, appointments, rules, orders and bye-laws made notifications and notices issued, taxes imposed, contracts entered into and suits and other proceedings instituted under the said laws or enactments or under any laws or enactments thereby repealed shall, so far as may be be deemed, unless the State Government directs otherwise......"

माननीय अध्यक्ष महोदय, 'unless the State Government directs otherwises. वाला जो वाक्य है, उसको हटाने के बारे में संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी संशोधन रखे हैं, इन संशोधनों को लेकर वे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें। अगर राजस्थान में जनतंत्र पनपाना है, लोकतंत्र की परम्परा को कायम करना है, तो मैं समझता हूँ जिन नगरपालिकाओं के अन्दर हमारे यहां के मतदाताओं ने अपना विश्वास किसी अमुक दल के प्रति प्रकट किया है, कोई दल बहुमत में है, तो वहां ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। आज गलतियों को यदि स्वीकार किया है, आज यह बात ध्यान में आई है और जब इस प्रकार का कानून भविष्य के लिए बनाने जा रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस दिन से म्युनिसिपेलिटीज़ बिल लागू करें, पास करें उस दिन से ही यह व्यवस्था लागू हो जानी चाहिए। यह सिर्फ आगे के लिए ही नहीं, भूतकाल में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी जिन म्युनिसिपेलिटीज के अन्दर अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित किया गया है, उन नगरपालिकाओं में भी नोमिनेशन खत्म हो जायगा, नोमिनेटेड मेम्बर्स खत्म हो जायेंगे। नोमीनेटेड मेम्बर्स के आधार पर जहां अल्पमत दल को बहुमत में परिवर्तित किया है उन नगरपालिकाओं में इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो जायगी। मैं इन सारे संशोधन प्रस्तावों का, एक सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, दूसरा फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, समर्थन करता हूं और माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूं कि वे उनको स्वीकार करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में जो अमेंडमेंट रखे गये हैं, उसके सम्बन्ध में मैं अर्ज कर दूं कि जो शंका प्रकट की गई 'unless the State Government directs otherwise" के बारे में कि इससे गवर्नमेंट मनमानी करेगी। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई मन्शा नहीं है। सब म्युनिसिपेलिटीज़ के साथ एक सा बर्ताव होगा और जो रूल्स और रेग्युलेशन्स आज हैं वे कायम रहेंगे, उनमें हेर-फेर करने का कोई इरादा नहीं है। यह सिर्फ इम्पोर्टेन्ट कन्डीशन्स के बारे में है, जो सबके लिए लागू होगा : "bye-laws made, notifications and notices issued, taxes imposed, contracts entered into and suits and other proceedings instituted under the said laws." आप समझें कि इस वक्त मौजूद हैं, उन पर लागू हो, यह नहीं है। जब ऐसी कन्डीशन पैदा होती हैं, तब गवर्नमेंट ऐसा करेगी। इसके बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का इरादा नहीं है, जैसा अब है, वही लागू होगा। अगर कोई इम्पोर्टेन्ट कन्डीशन होगी तो जो पॉवर इसमें रखी गई है उसका उपयोग किया जायगा। यह सब के लिए है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उदाहरण के तौर पर बतायें कि कौन सी परिस्थिति होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि इन सारी परिस्थितियों के बारे में है; जैसे : "orders and bye-laws made, notifications and notices issued, taxes imposed, contracts entered into and suits and other proceedings instituted under the said laws or enactments or under any laws or enactments..." इन सब के लिए लागू होता है। मैं डेफीनिट नहीं बता सकता कि कौन सी एमर्जेन्सी पैदा होंगी ? If there is any emergency, in that case only; जैसा अब है, वह चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष : इस नये कानून के लागू होने के बाद कितने दिन तक कन्टीन्यु रहेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कन्टीन्यु रहेगा।

श्री अध्यक्ष : कितना समय लग जायगा, आप क्या समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करूं कि इलेक्टेड मेम्बर्स भी रहेंगे, नोमिनेटेड मेम्बर्स भी रहेंगे। नोमिनेटेड मेम्बर्स के बारे में कहा गया था, मैं अर्ज करूं कि नोमिनेटेड मेम्बर्स जो ऑलरेडी नोमिनेटेड हो चुके हैं, उनको हटाने की व्यवस्था रहे तो सारे बोर्ड्स को डिज़ॉल्व करना पड़ेगा। इसमें यह प्रावधान

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

है कि इतने मेम्बर्स नोमिनेटेड होंगे और इतने मेम्बर्स इलेक्टेड होंगे । जो बोर्ड ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हैं, उनमें ऐसा किया तो सारे बोर्ड्स का फंक्शन बन्द हो जायगा । इसलिए मेरी अर्ज है कि जो ऑलरेडी नोमीनेटेड हैं वे चालू रह सकते हैं और आयन्दा के लिये क्लॉज ९ में विचार करेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : दो मेम्बरों को हटा कर बोर्ड को रीकॉन्स्टीस्यूट कर दिया जाय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इससे तो बोर्ड का फंक्शन बन्द हो जायगा । इस बिल के पास होते ही नोमीनेशन करना बन्द हो जायगा । मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य यह पसन्द नहीं करेगा कि जो बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट हो चुके हैं उनको हटाया जाय । उनको कायम रखा जाय और आयन्दा के लिए विचार किया जायगा ।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज ९ आयेगा, उस वक्त विचार करेंगे । क्योंकि मैंने विश्वास दिला दिया है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लेवें ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जगदीशप्रसाद माथुर व श्री पी. के. चौधरी ने जो संशोधन क्लॉज २ में रखे हैं उन संशोधनों को वापिस लेने अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड २, संशोधित रूप, में विधेयक का अंग बना ।

क्लॉज़ ३ के सब-क्लॉज़ ७ में श्री चन्दनमल वैद का संशोधन है ।

श्री चन्दनमल वैद ।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि श्री चन्नदमल वैद ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ के सब-क्लॉज़ ७ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड ३ का उपखंड ७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

सब-क्लॉज़ १२ पर आपका (स्वायत्त शासन मंत्री से) अमेंडमेंट है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की डेफिनेशन नहीं है। इसके लिये रखा है "After part (29), insert the following new part/'29-A. Scheduled tribes means any of two tribes specified in the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950."

श्री अध्यक्ष : यह तो पार्ट २९ पेंडिंग है उसमें रखा है, सीरियल वाइज़ ले लें। क्लॉज़ ३ में जितने अमेंडमेंट्स हैं सब मूव कर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ ३ के सब-क्लॉज़ १२ में अमेंडमेंट है कि इसको ओमिट कर दिया जाय क्योंकि यह प्रोविज़न दूसरी जगह कर दिया है।

इसके बाद एक अमेंडमेंट है सब-क्लॉज़ २९ में जो अभी मूव कर दिया है कि २९ (ए) और एड कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने क्लॉज़ ३ के सब-क्लॉज़ (१२) व सब-क्लॉज़ २९ (ए) के सम्बन्ध में रखे हैं ......

श्री पी. के. चौधरी : किसे ओमिट कर रहे थे आप।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ऑलरेडी हमने आगे प्रोवाइड कर दिया है इसलिये यह अमेंडमेंट रखा है कि सब-क्लॉज़ १२ को ओमिट कर दिया जाय।

श्री अर्जुनदास : One submission, Sir, instead of u ing this figure word 29-A can't we renumber the clauses to avoid the word 'A,' particularly when we are deleting sub-clause (12)

श्री पी. के. चौधरी : २९ के आगे के पास हो चुके हैं इसलिये २९ (ए) रखने की जरूरत नहीं, २९ रख दिया जाय।

श्री अर्जुनदास : As you are omitting sub-clause (12), the sub-clause 29-A can get its place.

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है। रीनम्बरिंग कर देंगे, we will do that.

प्रश्न यह है कि श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के दोनों संशोधन स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ ८ में यह अमेंडमेंट है "After the words 'in every city,' insert the words 'in place of a municipal board'."

यह लैंग्वेज के करेक्शन के बारे में है। सिटी बोर्ड्स होंगे वे कौंसिल कहलायेंगे म्यूनिसिपल बोर्ड की बजाय।

श्री अध्यक्ष : डेफिनेशन्स के मामले में क्लॉज़ २९ डेफर किया जा चुका था शिड्यूल्ड-

Page No.35

(श्री अध्यक्ष)

कास्ट का । री म्बर कर देंगे । क्या सदन की अनुमति है कि सब क्लॉजेज़ रीनम्बर कर दिये जायें ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ८ में मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ८ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड ८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): क्लॉज़ ६ में, अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा अमेंडमेंट है : "In sub-clause (1), insert the words 'Subject to the provision contained in sub-section (5)' before 'Every board."

दूसरा संशोधन इस प्रकार है : "In sub-clause (2), insert 'or scheduled tribes' after 'scheduled castes'."

तीसरा संशोधन है : "In sub-clause (4) insert 'or scheduled tribes' after 'scheduled castes."

The fourth amendment is. "Add the following new sub-clause '(5) To every board there shall be co-opted a person belonging to the female sex in accordance with the rules made in this behalf by the State Government and such co-opted person shall, for all purposes of this Act, be deemed to be an elected member of the board."

इसके अलावा ६ (ए) एड करने का मेरा एक और अमेंडमेंट है । .

श्री अध्यक्ष : पहले इसे ही पास कर लें ।

श्री अर्जुनदास : I will submit a little on this clause 9 as suggested by the Hon'ble Minister, Sir.

श्री अध्यक्ष : पहले सब संशोधन प्रस्तुत कर दें ।

श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह अमेन्डमेंट है :

" In sub-clause (2) of clause 9 between the words 'scheduled castes' and 'in each board' the words 'or scheduled tribes as the case may be' be inserted." माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उससे स्पष्ट है कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को मंजूर करने वाले हैं । इसमें सिर्फ एक शब्द का फर्क है; 'or scheduled tribes as the case may be" आपका जो संशोधन है अगर वह माना जावे तो इससे यह मतलब होगा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स में या शिड्यूल्ड कास्ट में से लिया जावे । मेरा संशोधन है इसमें "or sheduled tribes as the case may be" दोनों में ज्यादा संख्या हो, उसको माना जावे; इससे यह सेन्स है ।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा संख्या के प्रश्न को कौन तय करेगा ?

Page No.36

(श्री सोहनलाल भटनागर)

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब अमेन्डमेंट पेश हो गये। अब बोल सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : सारे अमेन्डमेंट्स पेश हो जायें।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि करीब करीब सारी बातें मेरे संशोधन की (२), (३) और (४) सब क्लॉज़ की थीं, वह मान ली गई हैं इसलिये अब उनकी जरूरत नहीं रहती। अत: मैं अब संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Mr. Speaker, I move that in sub-clause (1) the words as may be fixed; be substituted by the words 'to be fixed' and add the following at the end of the last line as prescribed below :-

(a) on the basis of one elected member per 1000 of the population for a municipality having a population of 8,C00 to 15,000.

(b) On the basis of one elected member per 1500 of the population for a municipality having a population of 15,001 to 30,000.

(c) On the basis of one elected member per 2000 of the population for a municipality having a population of 3000 to 49,999.

(d) On the basis of one elected member per 3000 of the population for a municipality having a population of 50000 to 1,00000.

(e) On the basis of one elected member per 5,0000 of the population for a municipality having a population of 1,00,000 to 2,00,000."

(f) On the basis of one elected member per 10,000 of the population for a municipality having a population of 2,00,000.

अध्यक्ष महोदय, कम्पोज़िशन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड में क्लॉज़ ६ सब-क्लॉज़ (१) में मैंने अमेन्डमेंट दिया है, उसमें जो एसेन्शियल बिल है, उसमें प्रोविज़न जो है वह यह है : "Every board shall consist of such number of elected members as may be fixed by the state Government from time to time by notification in the official Gazette."

इसमें मैंने अमेंडमेंट दिया है वह यह है "as prescribed below........"

यानी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड को जहां कम्पोज़ करती है, उस म्युनिसिपल बोर्ड में कितने सदस्य रहने चाहिये, उसको रखने के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है और साथ साथ ये भी अपने हाथ में पॉवर्स रखती है कि यदि वह चाहे तो ऑल्टर भी कर सकती है। तो मैं यह कहूंगा कि इससे गवर्नमेंट को वाइड पॉवर्स दिये जाते हैं और इन पॉवर्स से वह मन चाहे ढंग से सदस्यों के नम्बर रख सकती है, आज म्युनिसिपल बोर्ड ८ हजार की आबादी के ऊपर से २ लाख तक की आबादी पर होंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी

Page No.37

(श्री पी० के० चौधरी)

से स्टेजेज़ कर सकती है । मैं यह समझता हूँ कि जिस समय हम कोई लेजिस्लेशन पास करते हैं तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को डेफिनेट पावर्स देनी चाहिये और यह तय कर देना चाहिये कि जो ८ हजार की म्युनिसिपेलिटी होगी, उसके कितने सदस्य होंगे, कितनी सीटें होनी चाहिये । इसके माफिक तो स्टेट गवर्नमेंट की स्विट विल पर रहता है अगर वह चाहे तो १५ मेम्बर रख सकती है और चाहे तो २० भी रख सकती है । अगर कोई म्युनिसिपेलिटी २५ हजार की आबादी की है तो सरकार चाहे तो वहां पर भी १० सदस्य रख सकती है । यह सब उनकी स्विट विल पर है । इसके अलावा जहां पर १० हजार को पोपुलेशन है वहां पर भी सरकार चाहेगी तो १० सदस्य रख सकेगी । इसलिये यह डिस्क्रिशन हमें स्टेट गवर्नमेंट पर नहीं छोडना चाहिये कि सेम नम्बर ऑफ पोपुलेशन पर अगर गवर्नमेंट चाहेगी उतने सदस्य मुकर्रर कर देगी, किसी जगह १०, ११ और १२ भी कर सकती है । यह गवर्नमेंट की मर्जी पर होगा और इसमें कोई युनिफोर्मिटी नहीं रहेगी । जब हम सारे राजस्थान के लिये कानून बनाते हैं तो सारी जगह एक सा कानून होना चाहिये । वरना ऐसा होगा कि भीलवाड़ा से राणावत साहब ज्यादा जोर देंगे तो वहां पर ज्यादा सदस्य हो जावेंगे और मेरे यहां की म्युनिसिपेलिटी है, उसमें हम कोई जोर नहीं लगा सकते हैं तो १० सदस्य ही रह जावेंगे । इसके लिये जब हम किसी जगह के प्रेसिडेन्स को भी देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि पीपल्स रिप्रज़ेन्टेशन एक्ट हो या पार्लियामेंट का कानून हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, उसमें यह निश्चित किया गया है कि हर एक स्टेट के लिए जितनी सीटें रहेंगी । उसमें यह सर्टेन्टी होती है कि इतनी सीटें एक स्टेट में रहेगी । Representation of the Peoples' Act) सेक्शन ३ (ए में है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल ऑफ स्टेट में कितनी सीटें रहनी चाहिये । यह मुकर्रर कर दी है । इसमें एग्ज़िक्युटिव पर नहीं छोड़ा गया है, न इलेक्शन कमीशन पर ही यह छोड़ा है कि असेम्बली में कितनी सीटें हों और कितनी पार्लियामेंट में । इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड में कितने सस्य हों, यह एग्जिक्युटिव पर छोड़ना और उनको अधिकार देना उचित नहीं होगा । अधिकार यह दे सकते हैं कि नम्बर हम फिक्स कर दें । जो वार्ड के लिमिटेशन हैं, उसके अधिकार उनको देने चाहिये, न कि इसके अधिकार कि सदस्य कितने होने चाहिये । क्योंकि पार्लियामेंट और असेम्बली में भी निश्चित मेम्बर होते हैं । हम तो थोड़ा लेजिस्लेशन में नम्बर निश्चित कर देते हैं कि फलां स्टेट में ऐसे रहेंगे, वे शिड्यूल में दिये हैं । लेकिन हम यहां पर बिल में भी नहीं दे सकते कि कितने सदस्य इसमें रहेंगे । ऐसा तो हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन हम सिद्धान्त जरूर बना सकते हैं और उसके माफिक एग्ज़िक्युटिव को म्युनिसिपल बोर्डों का निर्माण करना होगा और इतनी आबादी के म्युनिसिपल बोर्ड में इतने सदस्य रहेंगे । मैंने जो सिद्धान्त रखा है कि ८ हजार से १५ हजार की आबादी तक एक हजार के बेसिस पर एक सदस्य लिया जावे । इससे ८ से १५ सदस्य तक आवेंगे । इसी तरह से १५ हजार से ३० हजार की आबादी की म्युनिसिपेलिटीज़ में १५०० के बेसिस पर एक सीट रखी जावे । इससे वार्ड का आइडिया हो जाता है कि कितनी सीटें होंगी । इसमें १५०० का हिसाब रहेगा तो १० से

Page No.38

(श्री पी० के० चौधरी)

२० सीटें रहेगी। इसी तरह से ३० हजार से ऊपर और ५० हजार से नीचे हैं उसके लिये २ हजार की पोपुलेशन पर एक सदस्य रखा है; इससे उस स्थान पर १५ से २५ सदस्य उसमें आते हैं। इसी तरह ५० हजार से एक लाख के लिये ५ हजार के बेसिस पर रखा है। जिससे १७ से ३३ तक सदस्य की सीटें आती हैं और एक लाख से दो लाख तक ५ हजार का रेशो रहता है उससे २० से ४० सीटें आती हैं और इसके ऊपर रखा है उसमें दस हजार रखा है। यह जो फिगर्स रखी हैं, अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में जितनी भी म्युनिसिपेलटियां हैं, इसी रेशो से म्युनिसिपेलिटी की मेम्बरशिप तय करती हैं। मैं समझता हूं कि यह कॉन्स्टीट्यूशन का प्रिन्सिपल है और इसीलिए एक ब्रॉड प्रिन्सिपल पहले से ही निश्चित कर देते हैं तो झगड़े कम रहेंगे और सदन में भी कोई इस प्रकार का इल्जाम नहीं लगेगा कि फलां डिस्ट्रिक्ट में एक प्रपोर्शन दिया गया और दूसरे में दूसरा, एक जगह तो १२ रखे गये हैं और दूसरी जगह ६ ही रखे गये हैं। इसको मान लेने से ये चीजें नहीं रहेंगी। There will be uniformity. एक युनिफोर्मिटी हो जावेगी। यदि नहीं रखेंगे तो वार्ड में भी झगड़ा होगा, कई जगह तो ८ सदस्य और कई जगह ७ सदस्य बनावेंगे। इसलिए सारे के सारे झगड़े को मिटाने के लिए यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है। ये झगड़े इसको एक्सेप्ट करने से और इस प्रिन्सिपल को मंजूर करने से खत्म हो जाते हैं। एग्ज़ीक्युटिव पर भी छींटाकशी नहीं हो सकती है। एग्ज़ीक्युटिव को भी साफ डाइरेक्टिव मिल जाता है, जिससे सारी म्युनिसिपेलिटियों के बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन बन सके। मेरा यह निवेदन है कि यह जो मेरा अमेन्डमेन्ट है, इसको मंजूर किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक अमेन्डमेन्ट मेरा और है इसमें, ६ (ए) था।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद ले लेंगे। इस अमेन्डमेन्ट का उत्तर दे दीजिये। इसको एडोप्ट करके फिर नया ले लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है। यद्यपि वह जैसा हम चाहते थे वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर वे कुछ रास्ते पर आये हैं उसके लिए तो वे बधाई के पात्र हैं। इसमें जो थोड़ी सी दिक्कत है वह सब-क्लॉज़ २ के बारे में है : "Seats shall be reserved by the State Government for membres of the scheduled castes in each board."

यह थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन माननीय मन्त्री महोदय की तरफ से हो जाय। उन्होंने संशोधन रखा है "and scheduled tribes" ये शब्द शिड्यूल्ड कास्ट्स के बाद हैं तो हर-एक बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिज़र्व की जायगी। वह किस आधार पर की जायगी? इसमें गड़बड़ी हो सकती है। जहां तक संशोधन की भावना का प्रश्न है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह ज्यादा एप्रोप्रियेट होता, यदि ऐसा होता "scheduled castes and/or scheduled tribes"। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रिजर्वेशन मांगेंगे और उनका प्रपोर्शन कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने केवल शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कर दिया ऐसा इन्टरप्रिटेशन होगा, क्योंकि

Page No.39

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसमें एन्ड लगा हुआ है। आगे जाकर सब्सीक्वेन्टली लिख दिया गया है कि सीट १ होगी। "not be less than one or more than one tenth of the whole number" कहीं इलेक्शन्स चेलेन्ज हों तो उसके बारे में पहले से ही थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर लें तो कोई दिक्कत न होगी। सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने भी एक अमेन्डमेन्ट रखा था "or scheduled tribes as the case may be" तो या शिड्यूल्ड कास्ट्स को करें या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें यह एड कर दें "and scheduled tribes" के बजाय "or scheduled tribes as the case may be"

श्री अध्यक्ष : माननीय सोहनलालजी ने कहा वैसा ? लेकिन डिटर्मिन कौन करेगा "as the case may be" से। वह भी तो सरकार को ही बताना पड़ेगा। इसको डाउट पर नहीं छोड़ सकते।

श्री अर्जुनदास : That would also create complications, Sir. I would suggest, Sir, that a better phraseology would be to use the word 'or' between 'scheduled castes' and 'scheduled tribes' and at the end add the words 'or both, as may be expedient"

श्री अध्यक्ष : उससे भी क्लेरिफिकेशन नहीं होगा। या तो गवर्नमेंट ऑथोरिटी ले ले या असेम्बली की सीट्स हों.....

एक माननीय सदस्य : असेम्बली की सीट से ताल्लुक नहीं रखता।

श्री भैरोंसिंह : मेजोरिटी तय करना जरूरी नहीं होगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा हैं। 'एन्ड'(and) शब्द करने से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों को ही कर सकते हैं। 'or' शब्द रखने से शिड्यूल्ड कास्ट्स हो या शिड्यूल्ड ट्राइब्स, किसी के लिए रिज़र्व कर सकते हैं।

श्री अर्जुनदास : We can have "scheduled castes" as well as "scheduled tribes." If their proportion is such, then there should be two or more seats. But we will have to give them two atleast.

श्री अध्यक्ष : Who will determine the proprotion ?

श्री अर्जुनदास : The Government. Naturally, all these things will be determined by the Government. The only solution out is as I suggested earlier :-

"Seats shall be reserved by the State Government for members of the scheduled castes or scheduled tribes, or both as may be expedient."

श्री अध्यक्ष : I think it will be better to have "scheduled castes or scheduled tribes, as the case may be".

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ ६ ज्यादा साफ नहीं हुई है, इस लिए मैं इसको समझ लेना चाहता हूँ। यह रिज़र्वेशन एक म्युनिसिपल बोर्ड में एक होगा न ?

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री रामचन्द्र : वह चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स हो ?

Page No.40

श्री अध्यक्ष : जी हां।

श्री रामचन्द्र : तो फिर आम तौर पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स को ही देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह कैसे कहा आपने ?

श्री रामचन्द्र : मान लीजिये कि एक पर्टिक्युलर जगह है जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लोग रहते हैं और उससे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग लोस में रहेंगे और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ही लोग जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार पर विश्वास रखिये।

श्री रामचन्द्र : सरकार पर तो विश्वास है ही, लेकिन इसको साफ कर लेना चाहिये। जैसा ओरीजिनल बिल में रखा है इसको चेन्ज करने की आवश्यकता नहीं। इससे कॉम्प्लि-केशन्स पैदा हो जावेंगी।

श्री अध्यक्ष : आपका मतलब यह है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई भी मेम्बर रिज़र्वेशन में न रहे ?

श्री रामचन्द्र : नहीं रहना चाहिये, हमारा मतलब यही है।

(हंसी)

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेंट नोमिनेशन की भावना के विपरीत है। इसका कारण मैं अर्ज करता हूं कि नामजदगी इसलिये रखी गई थी कि हरिजन चुन कर नहीं आ सकता था और उनका कोई प्रतिनिधि नगरपालिका में लिया जाना जरूरी था। इस रिज़र्वेशन की प्रथा में एक सीट पर शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों लड़े तो मीणे के मुकाबले में मेहतर का जीतना असंभव होगा। यदि किसी मेहतर को लाने का सवाल आया तो वह नहीं आ सकेगा। इसलिये म्युनिसि-पल बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्ट्स का जाना असम्भव हो जावेगा, जहां कि दोनों जातियां रहती हैं, भील एरिया है तो वहां से तो भील ही आवेगा। मीणों के लिये भी ऐसा ही है। यदि इस प्रकार का म्युनिसिपेलिटियों में संघर्ष रहेगा तो यह सद्भावना के विपरीत होगा। हरिजन उसमें आ नहीं सकते, इसलिये इसमें संशोधन होना चाहिये।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, नोमिनेशन जिस आइडिया से रखा गया है, उस पर हमें विचार करना है कि यह किस भावना से केवल हरिजनों को दिया गया और यह शिड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं दिया गया। यह धारा पहले जैसी है वैसी ही रहने दी जाय। शिड्यूल्ड ट्राइब्स तो पहले ही प्रबल होते हैं, इसलिये उनके लिए नोमिनेशन नहीं रखा गया है, यह रिज़र्वेशन तो शिड्यूल्ड कास्ट को कमजोर समझ कर दिया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सदस्य दो बार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : रिज़र्वेशन है।

श्री रामचन्द्र : हां, मेरा निवेदन यह था कि सरकार ने जिन जातियों को नोमिनेशन दे रखा है, उसके पीछे भावना क्या घुसी हुई थी। उसी पर हमें विचार करना चाहिये। यहाँ तो हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को साथ-साथ रख रहे हैं, इससे हम भावना के विपरीत जा रहे हैं। सरकार को यह मालूम था कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स तो पहले ही प्रबल है, उनको किसी प्रकार के नोमिनेशन की आवश्यकता नहीं। इसलिये हरिजनों को

(श्री रामचन्द्र)

ही संरक्षणता दी गई है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं दी गई है। इसलिये जिस प्रकार शब्द शिड्यूल्ड कास्ट्स इस धारा में रखा गया है उसी प्रकार रखा जावे। इसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स को जोड़ने की आवश्यकता नहीं।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हरिजन सदस्यों ने कहा, मेरा उनसे निवेदन है कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की जो पोलिसी थी, उसके अनुसार शिड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन दिया गया है। अगर उसी दृष्टि से हम राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ दोनों प्रकार की जातियाँ हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग भी हैं और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भी लोग हैं। मेरा निवेदन यह है कि दोनों का रिप्रजेन्टेशन रहे, इसलिये धारा ९ उपधारा २ में संशोधन स्वीकार किया जावे, जो सरकार की ओर से संशोधन आया है। और Scheduled castes and Scheduled tribes की चुनाव सीट पृथक्-पृथक् रूप से सुरक्षित रखी जावे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पी० के० चौधरी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। कोई भी चीज करनी है तो वह जनतन्त्रात्मिक तरीके से करनी होगी। यदि हम इस आधार पर सोचते हैं तो यह निश्चित है कि हम किसी मापदण्ड को सामने रखें। जब किसी जगह के चुनाव होते हैं तो लोगों को मालूम होना चाहिये कि सरकार किस आधार पर सदस्य संख्या मुकर्रर करती है, यह बात सरकार पर छोड़ दें तो जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार जितनी सीटें वह मुनासिब समझे, मुकर्रर करे, यह उपयुक्त नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट असेम्बली के लिये जहाँ सदस्य संख्या हमने निर्धारित की, वह जनसंख्या के आधार पर की है और उसी के आधार पर चुनाव किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर्स देते हैं तो यह मुनासिब नहीं है। जब हम कानून बनाने जारहे हैं तो हमें इसका आधार कुछ न कुछ तय कर देना चाहिये कि कितने व्यक्तियों पर कितने आदमी खड़े कर सकते हैं।

इससे क्या होगा कि जहाँ आजकल छोटे छोटे गाँवों में छोटे छोटे वार्ड्स बन जाते हैं, कहीं पर छोटे, कहीं पर बड़े, इस प्रकार से जो वार्डों की रचना होती है। उससे बड़े झगड़े खड़े हो जाते हैं। इससे लोगों के दिमाग में यह बात घुस जाती है कि हमारे साथ पक्षपात किया गया है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिये। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट की तरफ से अमेन्डमेन्ट लाया जा सकता है, जिसमें यह तय हो जाय कि इतनी संख्या पर इतने मेम्बर होंगे। इस बारे में चौधरीजी का जो अमेन्डमेन्ड है, उसे मन्जूर किया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सराडा-सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है, उसे मन्जूर किया जाना चाहिये। अब यह प्रश्न उठता है कि यहाँ शिड्यूल्ड कास्ट्स का नाम होना चाहिये या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का यदि हम किसी पर जोर देते हैं तो यह संकीर्ण भावनाओं का परिचायक है। अभी एक माननीय सदस्य ने, श्री रामचन्द्रजी ने, यह कहा कि केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उनका तो यह कहना है

Page No.42

(श्री अध्यक्ष)

कि सब-क्लॉज़ जैसा है वैसा ही रहना चाहिये

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब शिड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन नहीं था, वे चुन कर नहीं आ सके थे। इस बार रिजर्वेशन हुआ तो उनकी संख्या यहां पर बढ़ी है। हमारे राजस्थान में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों प्रकार की जातियां रहती हैं। जहां हमारा यह उद्देश्य है कि पिछड़ी हुई जातियों को प्रोत्साहन देना चाहिये, उसमें यदि हम एक जाति के लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरी को नहीं, तो यह उनके प्रति हमारी सद्भावना की सूचक नहीं है। मेरा तो सब प्रकार से अनुभव है, मैंने गांवों में जाकर देखा है कि जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के भी लोग रहते हैं, इसलिये उचित यह होगा कि स्थानीय परिस्थिति को देखकर स्थानीय अधिकारी जो तय करें वही मान लिया जाना चाहिये। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में संकीर्ण दृष्टिकोण न रखकर विशाल दृष्टिकोण अपनावें ताकि सभी को समान अवसर मिल सके; उसी प्रकार सोचना चाहिये।

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को खुलासा करना चाहता हूं और वह यह है कि जिस प्रकार असेम्बली के चुनाव में और पार्लियामेन्ट के चुनाव में जिस प्रथा को माना है कि रिजर्व स्थान लोकसभा में कितने हों और विधान सभा में कितने हों और किस एरिया से शिड्यूल्ड कास्ट्स हों और किस एरिया से शिड्यूल्ड ट्राइब्स हों यहां भी ऐसा ही होना चाहिये। अगर एक सीट पर दोनों लड़ सकते हैं, ऐसा रखते हैं तो बहुत झगड़ा होगा। फिर रिजर्वेशन के मायने ही क्या हुए? मेरा निवेदन यह है कि जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज्यादा हो, वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स का और जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या ज्यादा हो, वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स का स्थान सुरक्षित हो। ऐसा हम करते हैं तो झगड़ा पैदा होगा। अतः दोनों को एक सीट पर लड़ना सिद्धांतः गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सीट पर दोनों लड़ कर आ सकते हैं।

श्री अर्जुनदास : I may correct him, Sir. The reservation is not for one seat. It is minimum one, but the percentage of total seats is 10%. That the reservation is only for one seat is not correct. It is minimum one, but if the total number of seats is more, say 20% then the reservation shall be for two seats.

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूँ कि जहा शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के दोनों लोगों की संख्या बराबर है, जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा हैं, फिर भी उनका नगरपालिका में मौका नहीं आता है। इसलिये मेरा तो यह निवेदन है कि धारा ६ की उपधारा २ में जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स का शब्द रखा है, वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स भी जोड़ दिया जाय। इससे दोनों को मौका मिल जायगा यह अत्युत्तम रहेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में जो बहस है,

Page No.43

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

उसमें मेरी मान्यता यह है कि इस बिल के अन्दर यह माना गया है कि कॉन्स्टीट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्टस) आर्डर, १९५० के अन्तर्गत जिनको गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया शिड्यूल्ड कास्टस में डिक्लेअर करेगी, उन्हीं को शिड्यूल्ड कास्टस में इस एक्ट के अन्तर्गत भी मान लिया जायगा। इस बारे में जो गलतफहमी है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि सभी शहरों की स्थिति अलग है, डूंगरपुर, अजमेर, अलवर, ये शहर ऐसे हैं कि यहां की म्युनिसिपेलिटीज में और दूसरी जगह की म्युनिसिपेलिटियों में बहुत बड़ा फर्क है. शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्टस के बारे में। यह झगड़ा इस प्रकार खत्म हो जाता है, एक म्युनिसिपल कमेटी की पोपुलेशन तय करदी जाय कि कितनी कास्टस के लोग, कौन-कौन जाति के लोग, किस-किस शहर में, कितने हैं, उस परसेन्टेज के अनुसार मिनिमम संख्या शिड्यूल्ड कास्टस या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिल जाय तो इनको रिज़र्वेशन मिलना चाहिये।

१ म० प०

इस तरह दोनों चीजों को एक जगह मिक्स कर देने से घपला होनेवाला है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि सदन इस मामले को व्यावहारिक ढंग से देखे और सब शहरों की स्थितियों को देखते हुए मिनिमम परसेन्टेज उस शहर की शिड्यूल्ड ट्राइब्स व शिड्यूल्ड कास्टस की पोपुलेशन को देखकर, जो हो उस आधार पर तय करें। मिनिमम प्रेस्काइब कर देना चाहिये कि इतना रिप्रज़ेन्टेशन वहां की आबादी को देखते हुए वहां होना चाहिये। यह व्यावहारिक तरीका होगा। रिप्रज़ेन्टेशन देना जरूरी है, बराबर उनको दिया जावे। तो इससे सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। पर अगर आप सब जगह के लिये स्टेन्डर्डाइज़ करेंगे तो वहां शिड्यूल्ड कास्टस नहीं है, ट्राइब्स है, तो रिप्रज़ेन्टेशन वहां फिर किसको मिलना चाहिये, यह सोचना पड़ेगा। जैसे अजमेर है। वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स का परसेन्टेज नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि इस स्कीम को काम में लाना है तो व्यावहारिकता को देख कर ही उनको रिप्रज़ेन्टेशन मिलना चाहिये, सरकार की तरफ से। इस सम्बन्ध में इस तरह का अमेन्डमेन्ट सरकार लावे।

इस मसले का दूसरा पहलू सांभर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा। उसके बारे में मेरी मान्यता है कि जिस तरह का प्रपोर्शन वे बनाना चाहते हैं और जिस तरह का रेजीमेन्टेशन करना चाहते हैं नम्बरिंग का, उसका मैं विरोध करता हूँ। इसका कारण यह है कि अगर यू० पी० की तरह से आपको इस स्कीम को बनाना है तो उन शहरों को जिनको ड्यूटीज़ और जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं तो वहां की आबादी को देखते हुए उनको अधिकार भी ज्यादा देने पड़ेंगे। आठ हजार की आबादी वाली और चार लाख की आबादी वाली को एक साथ हांकना गलत है।

फिर सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं। आगे विरोध करने वालों की भी गवर्नमेंट हो सकती है और उनके लिये भी सस्पीशन का वातावरण बनावेंगे तो यह उचित नहीं है। सरकार के डिस्क्रिशन को छोटी-छोटी चीजों से बांधना उचित नहीं हो सकता। यह गलत चीज होगी; इससे गलतियां होंगी। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से हमें देखना होगा ताकि स्वायत्त शासन पनप सके। उसके विकास को सामने रखकर हमें सोचना चाहिये। ऐसा अगर हमने किया तो हम कोई ज्यादा व्यावहारिक रास्ता बना सकेंगे। ऐसी मेरी मान्यता

(श्री ज्वालाप्रसाद)

है। इसलिये सरकार को ये पॉवर रहनी चाहिये, यह मेरी मान्यता है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ के सब-क्लॉज २ के बारे में बात हो गई इसको डेफर कर दिया जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं भी इसका समर्थन करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : डेफर कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

डा० बहादुरसिंह : ज्यादा अच्छा यह रहेगा साहब कि इसे डेफर न किया जावे। कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : डेफर होना चाहिये, बहुत सी बात ऐसी हैं...

श्री अर्जुनदास : कारण बतावें, क्यों डेफर होना चाहिये ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कारण पर प्रकाश डाला जावे तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि पहले भी हम डेफर करते रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की क्या शक्ल हो, यह सही कारण है सरकार के पास इसको डेफर करने का और मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसको डेफर कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : यह तो सरकार का डिस्क्रिशन है इसके बारे में; चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स को रखें या शिड्यूल्ड ट्राइब्स को।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके लिये लेजिस्लेशन को साफ करना होगा। एक को रिप्रज़ेन्टेशन दिया दूसरे को नहीं तो ऐतराज होगा। जैसे हमारा अनुभव है यहां का, यहां भील और मीणों की बराबर मांग चलती रही। इसलिये किनको, कैसा, किस प्रपोर्शन में रिप्रज़ेन्टेशन दिया जाय, किसकी क्या रिक्वायरमेन्ट है, इस पर पूरी तरह से सोच-विचार करना होगा, इसके लिये कोई न कोई स्कीम करनी होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको डेफर कर दिया जाय। फिर डेफर करने से इस पर कोई मैटीरियल इफेक्ट नहीं पड़ता।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ की सब-क्लॉज़ (२) पर इस समय बहस चल रही है। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने संशोधन पेश किया कि जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं उसके आगे ट्राइब्स बढ़ा दिया जावे। इसके साथ ही सराडा-सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संशोधन पेश किया कि 'or scheduled tribes, as the case may be' इन शब्दों को और इन्सर्ट कर दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर कई माननीय सदस्यों के भाषण हुए और अन्त में इस बात की इच्छा प्रकट की गई कि इसको डेफर कर दिया जावे। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मामला विवाद का है वह यह है कि दोनों के लिये रिप्रज़ेन्टेशन रखा जाय, रिज़र्वेशन रखा जाय और अगर रखा जावे तो किस प्रकार से। जहां तक कानून की इबारत का सवाल है, मैं समझता हूं, सराडा-सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार कर लेने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहती। अब मुख्य प्रश्न सामने आता है कि हम इन

(श्री भैरोंसिंह)

दोनों को किस प्रकार की रियायत देना चाहते हैं ? अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बारे में भारत सरकार ने जो व्यवस्था की है, उनके उत्थान के बारे में जो ऑर्डर द्वारा रिज़र्वेशन की व्यवस्था की है, उसका उल्लेख करते हुए सदन में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जो विचार अब तक आये हैं उनसे मसला स्पष्ट नहीं होता, इसलिये इसे डेफर दिया जाय।

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने जो संशोधन पेश किया उसमें भारत सरकार के ऑर्डर, १६५० द्वारा अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया। अब प्रश्न आता है कि हम उनके साथ किस प्रकार की रियायत करें? मैं समझता हूँ कि एक मोटीसी बात है कि इसमें हरिजनों का या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व होता है या नहीं। उनकी संख्या किस प्रकार तय करेंगे, यह भी प्रश्न है। इन सारी बातों के पीछे एक मोटा सिद्धान्त यह है कि जो लोग पिछड़ गये हैं और जो सामान्य व्यवस्था के रास्ते से अपना प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में नहीं कर सकते, उन लोगों को हमने कुछ छूट दी है, कुछ रियायतें दी हैं। इस सिद्धान्त के आधार पर हमने कहा कि उनके लिये एक सीट रिज़र्व कर दो। शिड्यूल्ड कास्ट का कोई लड़ना चाहे तो वह भी लड़ सकता है। दोनों में से जो भी जीत कर आयेगा वही सदस्य हो जायेगा। तो रिज़र्वेशन है केवल दो के लिए। उसके लिए कोई भी लड़े, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई उम्मीदवार लड़े या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का। यदि इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले ही लड़ेंगे तो मैं यह कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में ऐसी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं और ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या कम है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों की संख्या अधिक है और उनको रिप्रज़ेन्टेशन देना भी आवश्यक है। तो निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के लिए ही एक साथ सीट रिज़र्व करनी पड़ेगी और दोनों में से जो भी जीत कर आ जायेगा वही सदस्य माना जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में आज कई शहर ऐसे हैं कि जिनके अन्दर, माननीय सदस्य चाहे नाराज होंगे, उनके शिड्यूल्ड कास्ट्स की संख्या कम है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज्यादा है। तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिज़र्वेशन की व्यवस्था हो लेकिन केवल इसलिए कि नगरपालिका में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ही रिप्रज़ेन्टेटिव बन सकते हैं और रिज़र्व सीट का वही फायदा उठा सकते हैं, मैं समझता हूँ कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक प्रकार का अन्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, हमें तो यह मंजूर करना चाहिए कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों को ही हमारी इलेक्शन पद्धति को सीखना चाहिए। यदि वह कॉन्टेस्ट करके सामने आयें तो लोगों को हमारी चुनाव पद्धति का मालूम होगा। यदि इस प्रकार की ही भावना फैलाने की बात करेंगे और कहेंगे कि केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स के ही लोग रहने चाहिए, यह निश्चित रूप से शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों के साथ अन्याय होगा। उन लोगों को रिप्रजेन्टेशन देने के लिए माननीय मन्त्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है और सराड़ा-सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है,

(श्री भैरोंसिंह)

उनकी भावना को लेकर अन्त में मैं निवेदन करता हूँ कि सराड़ा-सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करना चाहिए। हम न तो शिड्यूल्ड कास्ट्स को छोड़ सकते हैं और न शिड्यूल्ड ट्राइब्स को। अगर ऐसा नहीं तो फिर सरकार सेन्सस कराये और देखे कि किस वार्ड में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की संख्या और किस वार्ड में शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों की संख्या ज्यादा है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार होगा और सरकार को इस प्रकार का सेन्सस कराने में कठिनाई आ सकती है। इसके लिए सरकार जितनी भी कोशिश कर ले जब तक पूरे राजस्थान का सेन्सस और खासकर के उन सिटीज़ का, जहां म्युनिसिपेलिटीज़ हैं, उनका सेन्सस इस बेसिस पर नहीं कराये और फिर इस संख्या को मालूम करें कि कहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग ज्यादा हैं और कहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा हैं, हमारे सही उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। चाहे इस क्लॉज़ को आप डेफर कर दें फिर भी यदि इस पॉइन्ट पर आते हैं तो हमें अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। हमें फिर यह रिज़र्वेशन सारे राजस्थान के सेन्सस के आधार पर करनी पड़ेगी। इस सारी स्थिति में ज्यादा काम्प्लीकेशन्स पैदा न करें, बल्कि एक साधारण तरीका रखें कि कोई भी व्यक्ति चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स का हो या ट्राइब्स का उस सीट से कन्टेस्ट करे जो कि इनके लिए रिज़र्व कर रखी है और अपना स्थान ग्रहण करे। फिर इस प्रकार का मामला न हो कि आगे जाकर इस पर विचार करें। मैं समझता हूं कि जो क्लॉज़ ९ आया है उसके सब-क्लॉज़ (२) को डेफर नहीं किया जाये, बल्कि इसको अभी ही स्वीकार कर लिया जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of explanation, Sir, मुझे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि जैसा माननीय सदस्य ने अभी यहां वातावरण पैदा करने की कोशिश की कि राजस्थान सरकार के ऊपर बहुत बड़ा भार आ जायेगा और इस तरह की बात हो जायेगी जिससे बड़ी मुश्किल हो जायेगी और ज्यादा कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो जायेंगे, तो मैंने जो कुछ कहा है वह इतना है कि शहरों की रेग्युलर सेन्सस, ५१ में हुई है और उसके फिगर्स हमेशा सरकार के पास तैयार रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का सुझाव कुछ और है। उन्होंने कहा कि रिज़र्वेशन कर दिया जाये और दोनों में से कोई भी खड़ा हो जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उस सिलसिले में इतना ही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब दोनों को खड़े होने के लिए कह दिया जायेगा तो जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अधिकार मिले हैं उसके कारण कुछ और हैं और जो शिड्यूल्ड कास्ट्स को अधिकार मिले हैं वे दूसरे कारणों से मिले हैं। उन दोनों को लड़ाने का ऐम न तो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का कभी है, न हमारी राज्य सरकार का है।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री (आम्बेर-मु०) अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों को ही एक साथ खड़े होने के लिए अधिकार मिल जायेंगे तो शिड्यूल्ड कास्ट्स का किसी प्रकार से उत्थान नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय मन्त्री महोदय कुछ बोलना चाहते हैं...

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री : माननीय

Page No.47

(श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री)

अध्यक्ष, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाये।

श्री अध्यक्ष : हां, कहें।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : माननीय अध्यक्ष, अभी क्लॉज ९ पर जो वाद-विवाद चल रहा है और इसके अन्दर खासकर सीट्स के लिए रिजर्वेशन है। एक माननीय सदस्य ने अभी इस पर प्रकाश डाला है लेकिन मैं ऐसे वर्ग से आया हूँ और ऐसी कास्ट से आया हूँ जिसके ऊपर खास तौर से इसका असर पड़ेगा। इस संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के आगे शिड्यूल्ड ट्राइब्स और जोड़ दिया जाये। इससे क्या होगा कि बहुत सी जातियां जो पहले से ही आगे आई हुई हैं और उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ अधिकार ले रखे हैं अर्थात् बहुत सी जातियां ऐसी हैं कि जो येन केन प्रकारेण अपने आपको शिड्यूल्ड ट्राइब्स बताकर इसमें आ गई हैं। इससे यह होगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जो अधिकार मिलने वाले हैं और जो हरिजनों का उत्थान होने वाला है वह उत्थान न होकर उनकी जगह वे लोग आ जायेंगे जो पहले से ही आगे बढ़े हुए हैं और इस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट्स को अर्थात् हरिजनों को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ेगा। यह मेरी जानकारी में है जहां, कहां राजस्थान के विभागों में या और दूसरी जगह सर्विसेज़ मिलती हैं तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आ जाते हैं जिनको पहले से ही अधिकार मिले हुए हैं और हरिजनों को वह सर्विसेज़ नहीं मिल पातीं जो कि उनको मिलनी चाहिए। इस तरह जहां कहीं भी म्युनिसिपेलिटीज़ वगैरह के अन्दर रिजर्वेशन होगा तो हरिजनों को कोई लेना पसन्द नहीं करेगा और उनकी जगह शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वे लोग जो पहले से ही आगे बढ़े हुए हैं, आ जायेंगे। मैं उन जातियों के नाम नहीं बताना चाहता, आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आकर्षित करके यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस क्लॉज़ को अभी तो डेफर कर दिया जाये और इस पर फिर विचार किया जाये ताकि जो कुछ आप करने जा रहे हैं वह गलत न हो जाये। इस राज्य के २५ लाख हरिजनों का कहीं नुकसान न हो जावे और जो लाखों रुपया आप उनके विकास के लिए लगा रहे हैं वे भी कहीं दूसरों के काम न आ जाये। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस क्लॉज़ पर फिर दुबारा विचार किया जाये और अभी इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मामला बहुत विवादग्रस्त होता जा रहा है, इसलिए इसको डेफर कर दें तो..........

श्री श्रीभानसिंह : डेफर करने की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : इसको रीकन्सीडर कर सकेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वैसे मुझे तो मामला बहुत स्पष्ट मालूम पड़ता है। हमने परसों भी बात की थी, तो उस समय भी यह बात स्पष्ट थी, लेकिन मालूम ऐसा हो रहा है कि माननीय सदस्यों के मन में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ गलतफहमी पैदा हो रही है......

श्री श्रीभानसिंह : वह चाहते क्या हैं ?

Page No.48

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्य दोनों ही चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फिर दुबारा बात कर लेंगे। फिर गलतफहमी दूर हो जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां तो केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ही मामला है, डेफर करने का क्या सवाल है ? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों को ही लेना है तो फिर डेफर किस लिए ?

श्री अध्यक्ष : डेफर तो इसलिए कि इस बात पर सदन के बाहर बैठकर विचार-विमर्श हो जाये ताकि एक विचार पर आ जायें। माननीय सदस्यों को फिर भी बोलने का अधिकार होगा जब कि बाद में यह क्लॉज़ आयेगा।

एक माननीय सदस्य : और कटुता बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष : कटुता यहां नहीं बाहर होनी चाहिए।

क्लॉज़ ६ डेफर कर दें फिर।

श्री भैरोंसिंह : सब-क्लॉज़ (४) को ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : सब-क्लॉज़ (४) में भी उसका असर पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब, कोई खास बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ एज़ ए होल ही डेफर कर दें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ डेफर किया गया।

(विराम)

Clause 12 amendments to be moved by Shri Badri prasad Gupta

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२ में मेरा यह अमेन्डमेंट है कि :

"In sub-clause (1), substitute the following - (1) For purposes of elections to a board, each municipality shall be divided into as many wards as there are members to be elected to the board as fixed under sub-section (1) of section 9."

यह इसलिए रखा गया है एक वार्ड से एक सदस्य ही खड़ा हो सकेगा और जितने सदस्य चुने जायेंगे उतने ही नम्बर ऑफ वार्ड्स होंगे वरना मल्टीपर्पज़ वार्ड्स में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए यह रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय मंत्री महोदय ने मेडन्टव किया है उससे मेरा अमेन्डमेन्ट कवर हो जाता है इसलिए मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : There is an amendment in sub-clause (2), वह भी मिनिस्टर साहब को मूव करना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक मेरा अमेंडमेन्ट और है, और वह सिर्फ लैंग्वेज के करेक्शन का है "In sub-clause (2), insert 'the' before population in line 2 and

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

for the word and occuring in the pen-ultimate line substitute 'bears to" यह लैंग्वेज के करेक्शन के लिए है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १२ में मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं वे स्वीकार किये जायें ?

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा अमेन्डमेन्ट भी है ।

श्री अध्यक्ष : १२ में तो नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं साहब ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

दोनों संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १२ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ३ में हमने सारे अमेन्डमेन्ट्स तो पास कर दिये थे, लेकिन अमेन्डेड क्लॉज़ पास नहीं किया था । इसलिए प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

श्री श्रीभानसिंह : वह ३ अब स्वीकार हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : हां, ओवरसाइट से रह गया था ।

श्री श्रीभानसिंह : इसमें यह शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर सन् ५० का है या ५६ का ?

श्री अध्यक्ष : १६५० का है ।

श्री श्रीभानसिंह : १६५६ का है ।

श्री अध्यक्ष : जो लेटेस्ट होगा वही रखा जायेगा ।

क्लॉज़ १३, मंत्री महोदय ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा अमेंडमेंट "In sub-clause (1), omit part (d)"

पार्ट (डी) को ओमिट कर दिया जाये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस क्लॉज के Sub-clause (बी) को डिलीट कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि सब क्लॉज (सी) में 'and' की आवश्यकता नहीं रहती है और तीसरा संशोधन है कि जो पीरियड १५ दिन का रखा गया है, उसकी जगह एक महीने का कर दिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा । क्योंकि रिवीज़न, जब वार्ड का होगा, लिमिटेशन होगा, उसके बहुत पहले समाचार या संवाद नहीं मिल पाते हैं और एतराज नहीं कर पाते हैं । इसलिये १५ दिन का समय बहुत अपर्याप्त है । इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें १ महीने के समय का मैंने जो संशोधन रखा है वह काफी अच्छा है । उसे मैं समझता हूं मंत्री महोदय स्वीकार कर

(डॉ० बहादुरसिंह)

लेंगे । एन्ड की आवश्यकता वैसे नहीं रहती है । मेरा जो अमेंडमेंट डी है उसको स्वीकार कर लिया जाय । उसके बाद में सब-क्लॉज (२) में १५ दिन की जगह एक महीना कर दिया जाय ।

श्री अर्जुनदास : As the suggestion covered by my amendment has been accepted by the Hon. Minister, I do not propose to move my amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष १५ दिन का एक महीना कर दिया जाय, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ के अन्दर जो संशोधन मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने सब क्लॉज (२) में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

डॉ० बहादुरसिंह : इसमें सब-क्लॉज़ (१) के पार्ट (सी) के बाद एन्ड शब्द है, वह हट जायगा ।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, सी के बाद में एन्ड है वह (बी) के बाद में आयेगा, क्योंकि लास्ट की सब-क्लॉज़ को हटा देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है वह तो एक्सेप्टेड है । प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १३ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड १३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज १४, श्री अर्जुनदास

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): I move, Sir, "that sub-clause (3) be deleted." Sub clause (3) reads :

"(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the Peoples' Act, 1950 (Central Act XLIII of 1950), or the rules framed thereunder, in the said Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward."

The Hon'ble Minister suggests that the Assembly electoral rolls for the time being in use or force shall from the basis of the electoral rolls for the municipal elections and that the Assembly electoral rolls shall be published as a preliminary publication for the purposes of municipal elections and after that objections will be invited. It is possible that after this preliminary publication, some corrections are made in the Assembly electoral rolls, then it would be very hard to incorporate those corrections in the municipal electoral rolls which

(श्री अर्जनदास)

have been finally published. Therefore, I think it would be necessary to delete this sub-clause, otherwise it would create complications.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट रखा गया है, इसके संबंध में अर्ज है कि इसको जैसा है वैसा ही रखा जाय। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब इलेक्शन होने वाला है तो उससे पहले जो असेम्बली के इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको पब्लिश कराते हैं और पब्लिश कराने के बाद ऑब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं और ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने के बाद वह सूची फाइनल हो जाती है। इस बीच में असेम्बली की लिस्ट में यदि कोई चैन्जेज़ हो जाती हैं, एक-दो नाम एड हो जाते हैं तो इससे उन लोगों को सुविधा रहेगी और खास करके असेम्बली की इलेक्शन लिस्ट के बारे में लोग कॉश्यस रहेंगे और जिस किसी को अपना नाम एड कराना है वह हमेशा इस बात की परवाह करेगा कि असेम्बली की लिस्ट में नाम एड करावे। असेम्बली के इलेक्टोरल रोल या लिस्ट को अभी उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं उसके बजाय सावधानी ज्यादा बर्ती जायगी, इसलिये इसके रहने में नुकसान नहीं है। यू० पी० में भी ऐसा ही है। एक दो नाम बढ़ जायेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिये जो क्लॉज १५ है उसको वैसा का वैसा मान लें। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री अर्जनदास : Then I beg leave to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ में श्री अर्जनदास ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अर्जनदास : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड १५ विधेयक का अङ्ग बना।

(विराम)

क्लॉज ६ (ए) रह गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसको भी क्लॉज ६ के साथ मूव करेंगे।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज २२, श्री चन्दनमल वैद।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : चन्दनमलजी नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं बोलेंगे। इसलिये आप भी नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २२ जनरल इलेक्शन्स के बारे में है। इसमें मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"Substitute sub-clause (1) as follows:—

'(1) The State Government shall appoint an Election Committee under the Chairmanship of a District and Sessions Judge to conduct and supervise the election of all the Municipalities and the general elections thereof shall be held as far as possible at one and the same time all over Rajasthan."

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ २२ में चुनाव के बारे में व्यवस्था है। मैंने अपने संशोधन द्वारा इस कानून में यह व्यवस्था चाही है कि नगरपालिका के चुनावों के लिये आवश्यकतानुसार इलेक्शन कमेटीज़ का निर्माण किया जाय और उन कमेटीज़ की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट जज करें और दूसरा इसका जो भाग है वह यह है कि राजस्थान में जितनी भी म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनके चुनाव लगभग एक ही समय पर हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस संशोधन के द्वारा जो मैंने रखा है, मेरी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र के युग में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकतंत्र की सफलता या जनतंत्र की सफलता फेयर एंड फ्री इलेक्शन्स पर निर्भर करती है। यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन्स नहीं होते हैं तो डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती और मैं समझता हूँ इसी आधार पर लोक-सभा और विधान-सभा के चुनावों के लिये जो कानून बनाया है उसमें प्रोविजन रखा है कि इन चुनाव के लिये अलग इलेक्शन कमीशन का निर्माण करें। इन इलेक्शन्स के लिये इलेक्शन कमीशन है, लोक-सभा और असेम्बलीज़ के इलेक्शन्स और बाइ-इलेक्शन्स होते हैं, उनकी देखरेख इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाती है। इलेक्शन-प्रोग्राम यही कमीशन बनाता है और उस प्रोग्राम को केरीआउट करने के लिये स्टेट मशीनरी है लेकिन उन पर कंट्रोल इलेक्शन कमीशन में वेस्ट करता है और वही सुपीरियर ऑथोरिटी है।

अध्यक्ष महोदय, हमें पिछले दिनों का अनुभव है, मंत्रीजी कह सकते हैं कि उच्च अधिकारियों पर इस प्रकार की शंका करना कदापि अच्छा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण हैं, लेकिन मैं इस प्रकार के उदाहरण सदन में देना नहीं चाहता हूं, घटनाएं हुई हैं। एग्ज़ीक्युटिव के द्वारा म्युनिसिपल इलेक्शन्स में तरह तरह की बातें सामने आती हैं कि समय समय पर और बार बार उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छी तरह से पता है कि ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनके चुनाव एक बार नहीं बल्कि पांच पांच बार हुए हैं। ऐसी शायद ही कोई म्युनिसिपेलिटी होगी, जिसके चुनाव शिड्यूल्ड डेट्स पर शिड्यूल्ड प्रोग्राम के अनुसार हुए हों। शिड्यूल्ड प्रोग्राम कुछ और होता है और होता कुछ और है, अनियमितताएं सामने आती हैं और एग्ज़ीक्युटिव ऑथोरिटीज़ सारे चुनावों को कंडक्ट करती हैं। इसलिये मैंने व्यवस्था चाही है कि जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, उसमें जनता की श्रद्धा बढ़े। लोकतंत्र के प्रति और डेमोक्रेसी के प्रति लोगों की श्रद्धा उठती जा रही है। लोग समझते हैं कि यह तो एक मखौल है, क्योंकि वह डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती जहां पर फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स न हों और जब तक इलेक्शन्स कराने का काम एग्ज़ीक्युटिव के अंडर में रहेगा, तब तक इलेक्शन्स फ्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एंड फेअर नहीं होंगे। इस प्रकार की घटनाएं आये दिन होती हैं। स्थान स्थान पर नगर-पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव स्थगित करने का आदेश सरकार देती है और वे आर्बिट्रेशन और डिस्क्रिशन के अनुसार काम करती है। इसलिये मैंने चाहा है कि इलैक्शन कमेटीज़ का निर्माण किया जाय, जिसकी अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट जज करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज गवर्नमेन्ट के अंडर में नहीं होते, वे इनडिपेन्डेन्ट होते हैं और जुडिशियरी के आदमी होते हैं, इसलिये उनके अंडर में इलेक्शन कमेटीज़ का निर्माण किया जाय और यह व्यवस्था करने से राज्य सरकार के सामने कौनसी सैद्धान्तिक आपत्ति आती है ? मैं चाहता हूँ कि जनता का विश्वास हो डेमोक्रेसी में। इस प्रकार का प्रोविज़न करना चाहिये। यदि राज्य सरकार को वास्तव में फ्री एन्ड फेअर इलेक्शन्स कराने हैं तो उनका सुपर्विज़न इस प्रकार की इन्डिपेन्डेन्ट कमेटीज़ द्वारा होना चाहिये।

मैं कहना चाहूँगा कि मन्त्रीजी ने कल-परसों भी जब प्रश्न आया था तब यह उत्तर दिया था और आज भी शायद यही उत्तर देंगे कि कलेक्टर्स में अविश्वास करना वांछनीय नहीं है लेकिन यहां अविश्वास का प्रश्न नहीं है बल्कि फ्री एन्ड फेअर इलेक्शन्स कराने का प्रश्न है। आखिर सेन्टर ने भी इलेक्शन कमीशन बनाया है तो क्या सीनियर आई० सी० एस० ऑफिसर्स पर उनको अविश्वास था या क्या मेलाफाइडी मान कर चलते थे। यहाँ मेलाफाइडी मान कर चलने का प्रश्न नहीं है, यह फंडामेन्टल प्रश्न है और सिद्धान्त का सवाल है, इसलिये इस पर विचार करना चाहिये। अभी हमारे यहां डेमोक्रेसी इन्फेन्सी में है। उसको यदि सक्सेसफुली चलाना है तो उसका पहला तरीका फ्री एन्ड फेअर इलेक्शन्स हो सकता है। जब तक इम्पार्शियल रूप से या पक्षपात रहित चुनाव नहीं होंगे, तब तक जनतन्त्र का सवाल नहीं हो सकता, इसीलिये मैंने यह व्यवस्था चाही है। आपने इलेक्शन पिटीशन सुनने की पावर्स भी डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को दी हैं, कलेक्टर्स को क्यों नहीं दीं ? तो क्या मैं यह मान कर चलूं कि राज्य सरकार को कलेक्टर्स में विश्वास नहीं है, इसलिये उनको इलेक्शन पिटीशन सुनने की पॉवर्स नहीं दीं। मंत्रीजी कह सकते हैं कि कलेक्टर्स रिटर्निंग ऑफिसर्स का काम करते हैं और वे पार्ट ऑफ दी इलेक्शन मशीनरी हैं, इसलिये उनको इलेक्शन पिटीशन सुनने की पॉवर्स नहीं दी हैं और डिस्ट्रिक्ट जजेज को दी है। डिस्ट्रिक्ट जजेज जुडिशियरी के आदमी हैं. वे इनडिपेन्डेन्ट, फ्री एन्ड इम्पार्शियल आदमी हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तक चुनाव करने का प्रश्न है, ऐसे ही आद-मियों के अन्दर में चुनाव का काम होना चाहिये ताकि आयन्दा इलेक्शन पिटीशन होने की नौबत ही नहीं आवे और कम से कम इलेक्शन पिटीशन्स दायर हों और यह तभी हो सकता है जब कि चुनाव कराये जायं उसके लिये जो मशीनरी हो वह फ्री और इम्पार्शियल हो। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्रीजी से कि मैंने जो संशोधन रखा है उसके अनुसार इलेक्शन्स पर कंट्रोल और सुपर्विज़न इलेक्शन कमेटीज़ द्वारा रखा जाय और उसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज हों।

माननीय अध्यक्ष, मैंने अपने संशोधन के प्रस्ताव में, जो दूसरा भाग है, उसमें मांग की है कि राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव एक समय पर होने चाहिए।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्योंकि अगर चुनाव की व्यवस्था एक समय पर होती है तो कई सारी बातें जो दिक्कतों के रूप में आती हैं वे दूर हो जाती हैं। चुनाव का कार्य काल एक समय निश्चत कर दिया जाय कि अमुक महीने में अमुक साल में चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई प्रकार की सहूलियतें रहती हैं, कई प्रकार की व्यवस्था की सहूलियत रहती हैं, लोगों के अन्दर एक इलेक्शन एटमोस्फियर पैदा होता है। लेकिन साधारणतया हम देखते हैं कि नगरपालिकाओं के चुनाव में १० पर्सेन्ट वोटर वोट नहीं डालते हैं। इसका कारण यह है कि इलेक्शन एटमोस्फियर पैदा नहीं होता है। जब जनरल इलेक्शन होता है, असेम्बली और पार्लियामेन्ट के लिए तो हर एक आदमी चुनाव का कार्य करने लगता है। यह आशा नहीं की जा सकती है कि साल भर राजस्थान के हर हिस्से में व्यक्ति चुनाव में भाग लेते रहें। इसलिए माननीय अध्यक्ष, एक दूसरी बात ऐसी भी होती है कि अगर चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं तो उनमें कई प्रकार के हस्तक्षेप की झंझट रहती है। इसलिए सब जगह चुनाव एक समय पर हो जायं, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है तो मैं समझता हूं कि उसके कारण कई प्रकार की सुविधायें रह सकती हैं। ये दोनों बातें मैंने अपने संशोधन के द्वारा रखी हैं और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी मेरा यह संशोधन स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संशोधन के दो भाग हैं, एक तो यह कि सारे चुनाव प्रान्त भर में एक साथ कराये जायं, दूसरा यह कि चुनाव कराने के लिए एक स्थायी मशीनरी डिस्ट्रिक्ट जज के तत्वावधान में नियुक्त करें। यह बहुत आवश्यक है। परसों भी इस बारे में बहस हुई थी और मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकारी अधिकारियों के प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए। कल ही मुझे एक घटना की सूचना मिली, जिसको कहे बिना मैं नहीं रहूंगा। अभी २३ तारीख को टोडारायसिंह में चुनाव होने वाले थे, तारीख निश्चित हो चुकी थी, नोमिनेशन भर दिये गये थे, उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया था। २० तारीख को एक उम्मीदवार, जो हमारी पार्टी के थे, आये, उन्होंने मुझ से कहा कि उन्हें शंका है कि चुनाव स्थगित होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पहली दफा भी चुनाव स्थगित हुए थे, जिला बोर्ड के चुनाव स्थगित हो गये थे, ऊपर से आदेश आ जाते हैं, इसलिए मुझे डर है, आप वहां चलो। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसी आशंका हो, तो आप हमें कह देना, हम आ जायेंगे। आज आदमी आया है, उसने मुझे सूचना दी कि २२ तारीख को आदेश पहुंचते हैं कि कल चुनाव नहीं होंगे। कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण चुनाव स्थगित हुए, उसका कारण मैंने पूछा तो जबाब मिला कि तहसीलदार समय पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए चुनाव स्थगित कर देते हैं। जहां इस प्रकार की घटनायें घटती हैं हम कैसे विश्वास करें, हम कैसे एग्ज़ीक्युटिव पर विश्वास करें। हम मंत्रिमंडल के किसी सदस्य पर विश्वास करें, या जो कानून बनाया है, इस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास करें? इसी प्रकार की घटनायें दो-तीन मैंने पहले बताई थीं और आज एक

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

ताजी घटना बताई है जिससे पता चलता है कि प्रशासकीय अधिकारी और मंत्रिमंडल के सदस्य चुनावों को इस रूप से देखते हैं कि अगर चुनाव पक्ष में नहीं पड़ता है तो उसको स्थगित कर देते हैं। २२ तारीख को चुनाव का प्रचार हो रहा है और २३ को चुनाव होने जा रहा है, तब २२ को ही चुनाव कैंसिल करने के क्या कारण हैं, केवल यह कि तहसीलदार नहीं जा सकता? यदि तहसीलदार नहीं जा सकता था, तो रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को नियुक्त कर सकता था। क्या टोंक जिले में निर्वाचन अधिकारी नहीं मिल सकते? लेकिन कारण यह था कि वे हार रहे थे, हार होने के कारण चुनाव को स्थगित करवा दिया गया। इस प्रकार दखलन्दाजी होती है, इसलिए निष्पक्ष रूप से एक कमेटी नियुक्त करें डिस्ट्रिक्ट जज के तत्वावधान में और ऐसा प्रावधान करें कि सारे जिले में, राजस्थान में एक साथ चुनाव करने हैं। डी. एल. बी. हैं, वे रहें और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां रहें और सारे राजस्थान में एक साथ चुनाव हो जायें। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव एक साथ होते हैं, वहां पर सारे प्रदेश में चुनाव हो गये। पंजाब में आगामी दिनों में चुनाव होने वाले हैं, वे भी एक साथ होंगे। दूसरे भी कई प्रान्त हैं जहां इस प्रकार से चुनाव होता है। अपने यहां भी चुनाव एक साथ हो और चुनाव के लिए इलेक्शन कमेटी हो तो जिन घटनाओं को प्रशासकीय अधिकारी घटित करते हैं, उन घटनाओं को घटित होने का अवसर नहीं मिलेगा। हमारे प्रजातंत्र के अन्दर दूसरी कोई चीज नहीं है, केवल एक चुनाव इस प्रकार की व्यवस्था है, जिससे मालूम पड़ता है कि कौन पार्टी बढ़ती है, कौन पार्टी घटती है, जनता का किसके प्रति विश्वास है, यह सब आंका जाता है। यदि चुनाव में निष्पक्षता नहीं होगी, पक्षपात किया जायगा, प्रशासकीय अधिकारी दखल देंगे तो यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि प्रजातंत्र सफल होगा? अगर प्रजातंत्र को ठीक ढंग से सफल करना है, तो जिस प्रकार सेन्ट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसी प्रकार इलेक्शन कमेटी बनाई जाय और चुनाव एक साथ हों, इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन का विरोध करता हूं। मेरे ख्याल से जिन सदस्य महोदय ने संशोधन रखा है उन्होंने इसके साथ ही साथ यह भी कहा था कि दफा ३८ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज को अधिकार है कि चुनाव या चिका सुनने के बाद निर्णय दे। आपने जो प्रोसिजर ले डाउन किया है कि डिस्ट्रिक्ट जजेज़ एन्ड सेशन जजेज़ की एक कमेटी की फॉरमेशन हो और कमेटी के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जज हों और फिर चुनाव कराये जायं। मैं समझता कि जो जजेज़ होते हैं उनका काम होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दूसरे तरीके का होता है। आप चाहें कि जजेज़ की जगह जो हाई कोर्ट के जज हैं, उनको यह काम सुपुर्द कर दें। मैं निवेदन करूं कि जज के काम में और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में फर्क है। इस सम्बन्ध में जितने क्लॉजेज पारित हो चुके हैं, जितने नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज तो एक होगा, लेकिन सारी जगहों पर रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और वहां पर जो हमारे शिक्षक हैं, और कई दूसरे अधिकारी वहां होते हैं उनके लिए हम यह कहना चाहते हैं कि उनके चरित्र पर और उनके

(श्री मूलचन्द डागा)

काम पर शंका करते हैं, सन्देह करते हैं और इस प्रकार हम बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार जो चुनाव होंगे, वे फेअर और फ्री इलेक्शन्स नहीं होंगे। यह मेरी समझ में बात कम जंचती है कि इस प्रकार के संशोधन के करने से चुनावों में ज्यादा लाभ हो सकता है। जनतंत्र को पनपाने में और जनतंत्र को सफल बनाने में यह प्रणाली योग देगी, ये दोनों बातें नहीं जंचती। सवाल यह है कि कलेक्टर को आपने रिटर्निंग ऑफिसर माना है, जो जिले का अधिकारी है, जो प्रशासनिक मामलों में सारी बातों की देख रेख करता है। इसके अलावा हमने विधान बनाया हुआ है, नियम बनाये हुए हैं, उप-नियम बनाये हुए हैं, इस हालत में भी केवल शंका के आधार पर चुनाव कराने के लिए एक कमेटी का निर्माण करायें और डिस्ट्रिक्ट जज जो कि चुनाव याचिका सुनने वाला है, उससे कहें कि चुनाव का सुपरविजन करें। मेरे ख्याल से वे नाकामयाब होंगे। जो संशोधन दिया है, वह संशोधन किस कारण किया जाय, इसके लिए आपने एक ताजा उदाहरण दिया कि फलां जगह चुनाव स्थगित कर दिये गये। एक रीज़न के सिवाय आपके पास कोई आर्ग्युमेंट नहीं है। जो दो माननीय सदस्य मेरे पूर्व बोल चुके हैं, उन्होंने एक रीज़न दिया है कि चुनाव स्थगित कर दिये जाते हैं। मैं मानता हूं कि नया नया प्रजातंत्र है, उसमें अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन इस कारण से ही हम यह नहीं कह दें कि डिस्ट्रिक्ट जजेज़ की अध्यक्षता में एक कमेटी हो और उनके द्वारा चुनाव कराये जांय। मेरी राय में यह बिलकुल उपयुक्त बात नहीं है। चुनाव होने चाहिए और उनके लिए जिलाध्यक्ष को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है वह ठीक है। दूसरी बात आपने कही कि एक साल में सब जगह चुनाव होने चाहिए। राजस्थान के अन्दर जिन जिन म्युनिसिपेलिटीज़, नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त होती है, उनकी अवधि अलग अलग समाप्त होने में, आपने कहा कि टेम्पो नहीं बनता। मैं समझता हूं कि अगर चुनाव एक समय एक साथ नहीं होते हैं और एक जगह होते हैं तो ज्यादा टेम्पो बनता है। उस जगह लोग ज्यादा जा सकते हैं, आसानी से एप्रोच हो सकता है चुनाव में......

एक माननीय सदस्य : मिनिस्टर्स।

श्री मूलचन्द डागा : मिनिस्टर्स नहीं कार्यकर्त्ता। जिस पार्टी में कार्यकर्त्ता सीमित हैं, वे एक एक जगह ज्यादा संख्या में नहीं जा सकते हैं। अगर एक जगह ही चुनाव हों तो वे ज्यादा काम कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन जरूरी नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले में जो बहस हुई उसमें दो बातें उठाई गई हैं। एक तो यह कि जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन है, उसी ढंग से इलेक्शन कमेटी न्याय करने के लिए बनाने की व्यवस्था करें। यह एक्ट जिस काम के लिए बन रहा है उसमें इस तरह की बातें ला ला कर इस एक्ट को वर्णसंकर बनाने की वृत्ति जिन लोगों की है उनकी इन बातों को यह सदन बराबर रेज़िस्ट करने के लिए है। जिस तरह से आज तक इलेक्शन्स हुए हैं, किसी तरह की शिकायत नहीं आई है और जो व्यवस्था इन हालात में होती है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझता हैं। सब कुछ समझने के बाद वे लोग बगैर किसी शिकायत के काम करते हैं। आज नहीं

(श्री ज्वालाप्रसाद)

वर्षों से इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। अभी भी शिकायत है तो यह है कि चुनाव पोस्टपोन कर दिया। आखिर जो व्यक्ति वहां लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करता है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, इसके लिये यह कहना कि पोलिटिकल रीज़न्स से ऐसा किया जाता है, यह गलत है। यह कहा गया कि सब चुनाव एक साथ हों, इसके लिये मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि यू० पी० और पंजाब में जहां ऐसी पॉलिसी अख्त्यार की गई सात सात साल तक इलेक्शन्स नहीं हुए हैं कई म्युनिसिपेलिटीज के एक साथ इलेक्शन कराने के मायने यह होंगे कि यहां राजस्थान में भी वैसी ही स्थिति पैदा की जाय। यू. पी. और पंजाब में, हर साल हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं एक साल के लिये चुनाव पोस्टपोन हो गये तो चुनाव एक साथ करना नामुमकिन है। फिर सारे राजस्थान की बात करें जब कि मेनीफेस्टो लोकल इश्यू पर बनता है और लोकल इश्यू पर ही चुनाव लड़े जाते हैं तो सही रिफलेक्शन लोगों पर नहीं पड़ेगा, इसलिये जैसी व्यवस्था इसमें की गई है, वैसी ही रहनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज २१ पर बहस कररहे थे तो उस समय भी यही प्रश्न आया था, उस समय भी निवेदन किया था कि कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर्स को मुकर्रर करते हैं, नये बिल के अन्तर्गत। कलेक्टर्स ही जनरल इलेक्शन्स में रिटर्निंग ऑफिसर्स मुकर्रर करते हैं, तो किसी माननीय सदस्य को उनके बारे में किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। राजस्थान में जो इलेक्शन्स हुए, बड़े इम्पार्शियल, फेअर और सुविधा के साथ हुए। अब भी जिम्मेदारी हम कलेक्टर्स के ऊपर रख रहे हैं। राजस्थान में इलेक्शन्स हुए उनमें से केवल दो इलेक्शन्स टाइम पर नहीं हो पाये। जनरल इलेक्शन्स में सारी गवर्नमेंट मशीनरी को इस काम में लगाकर पूरा कर पाते हैं, शायद कोई अनअवाइडेबल बात हो, जिसकी वज़ह से एक इलेक्शन नहीं हो सका हो। टोडारायसिंह के बारे में कहा गया कि वहां इलेक्शन पोस्टपोन किया, इसकी वजह यह थी कि तहसीलदार ट्रेनिंग में चला गया और जो चुनाव की लिस्ट थी वह अवेलेबल नहीं हो सकी थी। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि चुनाव पहले कराते तो कांग्रेस हार जाती और दूसरी पार्टीज़ जीत जातीं। अगर कलेक्टर को बदलने से ही कांग्रेस हार जायगी और दूसरी पार्टीज़ जीत जायेंगी, मिनिस्टर जिसको लाना चाहे उसके लिये कलेक्टर को कह देगा और कलेक्टर उसके लिये रिटर्निंग ऑफिसर को कह देगा और वही आ जायगा तो आज यहां उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों में से एक भी नहीं आना चाहिये था। पर न ऐसा हुआ है और न माननीय सदस्यों को इस प्रकार की शिकायत है। राजस्थान तो सारे हिन्दुस्तान में इस बात के लिये मशहूर है कि राजस्थान ने बहुत सुविधा के साथ अफिशियेंटली और इम्पार्शियली इलेक्शन्स कराये। तो सेशन्स जज को यह सारा काम दे दिया जाय, यह उपयुक्त नहीं होगा। कम से कम इलेक्शन्स का जहां तक सवाल है, कलेक्टर्स ने बड़ी अच्छी तरह से, जिम्मेदारी के साथ इस काम को निभाया है और इम्पार्शियली इस काम को किया है। मेरी कॉन्स्टीटयुएन्सी में दो बार कांग्रेस हार गई। अभी भी राजस्थान में भादरा में कांग्रेस ७ सीट्स हार गई। जयपुर में, जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है, वे म्युनिसिपेलिटी में जीत कर गये हैं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तो आज जैसे इलेक्शन करा रहे हैं वे सुविधा-जनक हैं, सुविधा के साथ सारा काम चल रहा है। यू० पी० और पंजाब में ७ साल तक इलेक्शन्स नहीं हुए हैं, हमारे यहां करीब-करीब टाइम से इलेक्शन्स होते हैं। अगर सेशन्स-जज को अपोइन्ट करेंगे तो भी इलेक्शन कराने वाली मशीनरी तो वही रहेगी, सेशन्स जज भी इलेक्शन्स कलेक्टर से और तहसील-दार से ही करायेगा। जनरल इलेक्शन्स क्या, दूसरे इलेक्शन्स चाहे पार्लियामेंट के हों या विधान सभा के इलेक्शन्स हों, इलेक्शन करानेवाली मशीनरी तो वही रहेगी। इस-लिये मैं माननीय सदस्य से, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, निवेदन करूंगा कि वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विषय में पाली से आये हुए माननीय सदस्य ने और नसीराबाद से आये हुए माननीय सदस्य ने विचार प्रकट किये और मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया। मेरा विचार तो था कि उनके आश्वासन के बाद अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लेता, पर उनके उत्तर को सुनने के बाद तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वे मेरे संशोधन के आशय को ही नहीं समझे हैं। मन्त्री महोदय यह समझे कि सेशन्स जज से इलेक्शन्स कराये जायं और उन माननीय सदस्य ने यह समझा कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन्स कराये जायं, दोनों की बातें इनकंसिस्टेन्ट हैं। उन्होंने मेरे संशोधन के प्रस्ताव को या तो पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा, तो समझा नहीं। मैंने संशोधन में कभी नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलेक्शन्स करायें, डिस्ट्रिक्ट जज ही इलेक्शन करायें। मैंने यह कहा है कि इलेक्शन्स के लिये एक इलेक्शन कमेटी को मुकर्रर किया जाय और इसका जो चेयरमैन हो, वह डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का हो। मेरी मंशा कभी यह नहीं थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रकार की व्यवस्था करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनेवाले चुनाव कलेक्टर महोदय करा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की मशीनरी तहसीलदार और मास्टर्स होते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब से बड़ा सवाल तो तब होता है. जब चुनाव की तारीख मुकर्रर कर देते हैं, नोमिनेशन फॉर्म्स भर दिये जाते हैं, सब प्रकार की तैयारी हो जाती है पर चुनाव की तारीख को, चुनाव से एक दो दिन पहले नोटिफिकेशन देते हैं कि चुनाव नहीं होंगे। ताजी घटना टोडारायसिंह की बताई गई। वहां के कार्यकर्ता मेरे पास आये थे, उनको मैंने कहा था कि इलेक्शन उस तारीख को होगा भी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि तारीख निश्चित हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। जवाब में, कहा गया कि तहसीलदार ट्रेनिंग में गया था। क्यों भेजा तहसीलदार को ट्रेनिंग में ? क्या सरकार को मालूम नहीं था ? लोगों का सैकड़ों रुपया खर्च हुआ, दो दिन पहले कह देते हैं कि तहसीलदार ट्रेनिंग में चला गया। क्या जरूरत थी उनको उस समय ट्रेनिंग में भेजने की ? क्या ट्रेनिंग में भेजना जरूरी था, चुनाव कराना जरूरी नहीं ? ट्रेनिंग में जाना जरूरी था तो क्यों नहीं उसी दिन दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया ? सुजानगढ़ में क्या किया, फलां काम पर चला गया, रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर करते हैं और बहाना बना देते हैं कि अमुक काम पर चला गया, छुट्टी ले ली, क्यों आपने उसकी छुट्टी मंजूर कर दी ?

२ म० प०

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहता हूं कि मेरे संशोधन का केवल एकमात्र मतलब यह है कि सारे राजस्थान में म्युनिसिपेलिटीज़ के इलेक्शन के लिये एक कमेटी हो जिसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज की केपेसिटी का व्यक्ति हो। जिससे जिस तरह से आप अभी डेट्स को पोस्टपोन करते हैं, उस तरह से डेट पोस्टपोन न हों। डेट्स को पोस्टपोन करने की पॉवर्स कलेक्टर को न होगी। कलेक्टर को आप फौरन टेलिफोन कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस प्रकार से डेट्स पोस्टपोन की एक नहीं, अनेक घटनाएं हैं, जिनके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं और कई स्थानों पर तो एक दिन पहले डेट एडजोर्न की गई और वह महज़ इसलिये कि आपको वह डेट सूट नहीं करती थी; एटमोस्फियर आपने क्रीएट नहीं किया था। मैंने यह संशोधन इसलिये रखा है कि फ्री चुनाव हो और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे सामने नहीं आई। मैं यह कहूंगा कि हाल ही में जालौर असेम्बली इलेक्शन में जो सीट थी उसका इलेक्शन हुआ। उसमें कलेक्टर ने कांग्रेसी सदस्य के लिये कन्वेसिंग किया और रिटन में उनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है। यह रिपोर्ट वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ने की है। इस सम्बन्ध में ज्यादा कह कर मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता, मगर मैं यह कहूंगा कि एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसरों को गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जजों को इसके लिये कायम किया जावे। मैंने तो यह कहा कि म्युनिसिपल चुनावों के लिये कमेटी बनाई जावे, जिसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज की लेवल का व्यक्ति हो, जो सारे राजस्थान में म्युनिसिपेलिटीज़ के चुनाव के लिये चेयरमैन हो। पाली से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो तर्क दिया और नसीराबाद से आने वाले

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

माननीय सदस्य ने दिया, उसका तो मैं उत्तर देना उचित नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि अगर इस प्रकार की कमेटी बन जावेगी तो यह कानून (एक्ट) वर्णसंकर हो जावेगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो शब्द कहे हैं वर्णसंकर आदि, इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के बारे में मैं उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरी भावना को समझा नहीं। माननीय मंत्री महोदय ने भी जो तर्क दिया, मैं समझता हूं कि या तो माननीय मंत्री महोदय मेरे संशोधन को समझे नहीं या उन्होंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं। मैं यह फिर से उनको निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रश्न नहीं है। आप इलेक्शन के लिये एक कमेटी बनाइये और वह कमेटी सारे राजस्थान में म्युनिसिपेलिटी के चुनाव कराएगी। उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज की लेवल का व्यक्ति हो या कोई रिटायर्ड जज हो। अगर चुनाव को पोस्टपोन करना होगा, तो जिस तरह से जनरल इलेक्शन में पोस्टपोन होता है उस तरीके से होगा। आप सारी पॉवर्स अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? चूंकि आज कलेक्टर सुप्रीम ऑथोरिटी है और उसके हाथ में तारीख बदलने की ताकत रहती है, इसलिये ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। इसीलिये मैंने यह संशोधन का प्रस्ताव आपके सामने रखा है। यदि हमारे मन में

Page No.60

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसके लिये सच्चे भाव हैं, किसी प्रकार का कपट नहीं है तो हमें ऐसा कर देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि सारे इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट जज की गाइडेन्स में हों। कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर रहे, मगर इससे उसकी पॉवर करटेल हो जाती है । बस, यही मेरी मंशा थी। मैं यह कहूंगा कि मेरे मित्र ने इस बात को समझने की कोई कोशिश नहीं की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जब हम सारे राजस्थान में लोकतन्त्र और जनतन्त्र की भावना का निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें जनता में विश्वास की भावना पैदा करनी चाहिये और जनता में जो शंका के भाव हों उनको समाप्त करना चाहिये। लोगों के मन में यह शंका बनी रहती है कि वे नोमिनेशन पेपर फाइल करते हैं और फिर इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं। जहां लोगों को कलेक्टर में विश्वास नहीं है, वहां इलेक्शन में क्या होता है ? यदि आप इलेक्शन की मशीनरी के प्रति जागरुक हैं तो आपको इस सिस्टम को खत्म कर देना चाहिये। लोगों में कॉन्फीडेन्स पैदा करना चाहिये कि चुनाव का यह तरीका होगा, तारीख नहीं तब्दील होगी, इस प्रकार की बात तभी हो सकती है जब आप Election Committee under the Chairmanship of a District and Sessions Judge. का निर्माण करेंगे। इस दृष्टि से मैंने यह प्रस्ताव रखा है । मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मंत्री महोदय ने इसको समझा नहीं और इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया, मैं समझता हूं कि अब इसका आशय समझ गये होंगे । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको स्वीकार करें ।

श्री मूलचन्द डागा : On a point of explanation, Sir, सभापति महोदय, प्रस्ताव में यह कहा है कि "The State Government shall appoint an Election Committee under the Chairmanship of a District and Session Judge to conduct and supervise the election of all the Municipilities . ..." इसका मतलब तो यही है कि "The State Government shall appoint a Chairman and he shall conduct......

श्री सभापति : Order please. The contents of the amendment are here and the Hon'ble Members have heard all these things. Now the amendment is put to vote.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं एक पोइन्ट क्लीअर कर दूं। आपने यह कहा कि मैंने आपके प्रस्ताव को पढ़ा नहीं और समझा नहीं, यह उचित नहीं है। एक दो ऐसी मिसालें हो सकती हैं। एक जो आपने बताई कि तहसीलदार चला गया और प्रिन्ट नहीं हुई थी इसलिये चुनाव पोस्टपोन करना पड़ा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुजानगढ़ के बारे में क्या हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर हुआ हो तो आप मेरा यह संशोधन स्वीकार करेंगे ?

श्री सभापति : I will request the Hon'ble members not to discuss points between themselves.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेकिन गवर्नमेन्ट का ऐसा कोई ऑर्डर हो, ऐसी बात नहीं

है। वह तो कलेक्टर की पॉवर की बात है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरदार-शहर में किसने करवाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां तो वे बीमार हो गये थे। मैंने कहा कि इधर-उधर ५ दिन हो सकते हैं, मगर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सरदारशहर में जो हुआ है उसका रिजल्ट हमारे सामने है, कौन हारा है। पोस्टपोन हो गया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा।

एक माननीय सदस्य : जैसलमेर में कैसे पोस्टपोन हुआ ?

श्री सभापति : Order please !

प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ के सब-क्लॉज १ में जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र ने रखा है, उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

सब-क्लॉज २।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : I have the following amendment to sub clause (2) "After sub clause (1) the following proviso be added, 'Provided that the last date for filling nomination shall be atleast three weeks after the issue of the said Notification."

Ofcourse, there is nothing substantial in it but I propose that a definite provision be made by which any body should be taken unaware. It is possible that the time given may be too small for any political party or any group to get ready for the elections. There should be atleast theree weeks from the last date of notification and I believe there should be no objection to a thing like this. It is very harmless and a healthy suggestion.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : समझ में नहीं आया। आप हिन्दी में बोलें।

श्री सभापति : The Minister-in-charge to please answer.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो अमेन्डमेंट रखा है, इसमें साफ है, यह तो रूल्स की बात है। इसके लिये सफिशियेन्ट समय दिया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है और आप कोई दिक्कत रूल्स में देखते हैं तो दुबारा देख लेंगे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य इसको विद्ड्रा कर लें।

श्री अर्जुनदास : मेरे ख्याल से रूल्स अभी तक बन तो नहीं गये हैं। रूल्स में ऐसा होगा, मैं भरोसा करने के लिये तैयार हूँ।

श्री सभापति : So you want to reply ?

श्री अर्जुनदास : I wanted to have an assurance from the Hon. Minister-in-charge of the Bill that he will do it.

श्री सभापति : I think the answer given by the Hon. Minister is quite clear.

श्री अर्जुनदास : Not to me, Sir.

श्री सभापति: I think the reply is clear.

Page No.62

श्री अर्जुनदास : He has never said that he will make such a provision in the rules.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि रूल्स की बात है। If there is nothing, it will be provided in the rules and not in the Act itself.

रूल्स के बारे में फिर बात कर लेंगे। जैसा चाहेंगे वैसा हो जावेगा। आप यहां इसको विद्ड्रॉ कर लीजिये।

श्री अर्जुनदास : तो फिर सीधा ही कमिटमेन्ट कर लीजिये कि रूल्स में ऐसी बात मानेंगे।

भरोसा करके I beg leave of the House to withdraw my amendant.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ के सब-क्लॉज (२) में जो अमेन्डमेन्ट श्री अर्जुनदास ने रखा है, उसको विद्ड्रॉ करने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अर्जुनदास : I withdraw my amendment, Sir.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २२ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड २२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज २३, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन महोदय, क्लॉज़ २३ में मेरे अमेन्डमेन्ट्स हैं। एक यह है कि :

"After the word 'unless' insert 'he is an elector for any ward in the Municipality,"-

दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि :

"(2) Omit parts (a) and (b)."

इसके बाद तीसरा अमेन्डमेन्ट है वह इस प्रकार है :

"In part (a), after the words 'scheduled castes' insert 'and scheduledtribes' and after castes insert 'and tribes".

फिर इसके बाद दूसरा अमेन्डमेन्ट यह है कि नया क्लॉज़ एड किया जाय २३ (ए) जो इस प्रकार है। "Notwithstanding...

श्री अर्जुनदास : आवाज नहीं आ रही है।

श्री सभापति : जरा जोर से बोलिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : "After clause 23, insert the following new clause: 23 A. Restriction on contesting elections for more than one ward:— Notwithstanding anything contained in section 23, no person shall be entitled, in cases where election to a seat is contested, to contest such election for more than one ward and every person who may have filed his nomination paper for seats to a board for more than one ward shall with draw before the date fixed for election his nomination from all such seats except one."

Page No.63

श्री सभापति : Hon'ble Member. देखिये, आप जो नया क्लॉज़ इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वह इसके बाद ही करिये। पहले क्लॉज़ २३ के ही अमेन्डमेन्ट्स को ले लीजिये।

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अमेन्डमेन्ट्स रखे हैं उनसे पर्पज़ सर्व हो जाता है, इसलिए मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : Please speak once again.

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय मंत्रीजी ने अमेन्डमेन्टस रखे हैं, उनसे मेरा पर्पज़ सर्व हो जाता है, इसलिए मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री श्रीभानसिंह : He does not want to move it ?

श्री सभापति : You don't want to place it.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय क्लॉज २३ (ए) एड करवाना चाहते हैं इसलिए वह एड हो जाने पर मेरा पर्पज़ सर्व हो जाता है इसलिए मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ में जो श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने अमेन्डमेन्ट रखा है, उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३, as amended, स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड २३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

क्लॉज २३ (ए)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैंने क्लॉज २३ (ए) नयाएड करने के लिए अमेन्डमेन्ट रखा है, वह इस प्रकार है।

"23 A. Restriction on contesting elections for more than one ward:—Not with standing anything contained in section 23, no person shall be entitled, in cases where election to a seat is contested, to contest such election for more than one ward, and every person who may have filed his nomination paper for seats to a board for more than one ward shall withdraw, before the date fixed for election his nomination from all such seats except one"

चेयरमैन महोदय, यह इसलिये रखा है कि एक केन्डीडेट चाहे फॉर्म कितनी जगहों से भर ले, लेकिन वह इलेक्शन एक ही जगह से लड़ेगा। आज यह प्रणाली है कि वह दो जगह से भी इलेक्शन लड़ सकता है, जो उचित नहीं प्रतीत होती है। क्योंकि इसमें काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि एक जगह से ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अर्जुनदास : इस संशोधन का जो प्रिन्सिपल है वह दुरुस्त है लेकिन मुझे इसमें एक बात दिखाई दी है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रीजी का इस ओर ध्यान नहीं गया है। यदि कोई दो जगह से जीत कर आता है तो फिर क्या होगा ? सारे बिल में ही ऐसा कोई प्रोविज़न इसको बार (bar) करने का नहीं दिखाई देता है। I will repeat it again for the information of the Hon. Minister that if any-one wins from more than one ward, what would be the position? You have not made anything clear neither in this Bill nor elsewhere, except the amendment that you have pressed. I want to conceive something more.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस वक्त जो व्यवस्था है, वह यह है कि दो जगह से फाइट करे नहीं। अगर दो जगह से जीत कर आ गया तो एक जगहसे विद्ड्रॉ करेगा ही।

श्री अर्जुनदास : Make up a provision for that in the Bill that is I am telling you.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस जगह इसकी आवश्यकता नहीं है, आगे की बात है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ (ए) नया एड करने का जो श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने अमेन्डमेन्ट रखा है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३ (ए) नया इन्सर्ट किया जाय ?

(स्वीकृत)

नया खंड २३ ए विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज २४।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय सभापतिजी, मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापति, क्लॉज २४ में मेरे दो, तीन संशोधन हैं।

श्री अर्जुनदास : It consists of so many clauses.

सब-क्लॉजेज़ वाइज़ सेपरेटली ले लें।

Clause 24 has got a number of amendments. It should be taken sub-clause-wise.

श्री सभापति : सब क्लॉज वाइज़ ले लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): एक अमेन्डमेन्ट क्लॉज २४ के सब-क्लाज (३) में है और वह यह है कि "any local authority" के स्थान पर 'a Municipal Board" कर दिया जाय। फर्ज करिये किसी आदमी को पंचायत के सरपंच ने किसी प्रकार सस्पेण्ड कर दिया, हटा दिया और किसी प्रकार का उस पर लांछन लगा देता है चूंकि पंचायत में ऐसी व्यवस्था है और जिसके लिये आज कल लोगों में काफी शिकायतें हैं जब कि इसका म्युनिसिपल बोर्ड से सम्बन्ध है इसलिये इसमें

(डा० बहादुरसिंह)

बजाय "any local authority" के स्थान पर "a Municipal Board" शब्द रख दिये जायं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक पेश करूं या सब ही ?

श्री सभापति : आप सब ही अमेन्ड-मेन्ट्स पेश कर दीजिये।

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरा है सब-क्लॉज ८ में।

श्री अर्जनदास : I think we had a ruling that we shall take it separately.

श्री सभापति : We will take it separately. He will finish his debate so far as his amendments are concerned.

श्री अर्जनदास : There will be complication and we will not be able to...

श्री सभापति : Now, since he has spoken let him continue.

श्री अर्जनदास : That would have saved the time.

श्री सभापति : It is for the Hon' ble members to stand and tell if they have got any amendments to move...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, इसमें एक आपत्ति होगी, वह यह कि सब-क्लॉजेज़ में डिफ्रेन्ट डिसक्वालिफिकेशन्स हैं, उनके लिये अलग अलग आर्ग्युमेन्ट्स देने पड़ेगें। हो सकता है कि कोई माननीय सदस्य किसी अमेन्डमेन्ट के फेवर में हो, कोई उसका विरोध करना चाहता हो, ऐसी स्थिति में जहां पहला अमेन्डमेन्ट सब-क्लॉज़ ३ में होगा तो दूसरा सब-क्लॉज़ १२ में भी हो सकता है। इस तरह से दोनों का लिंक बैठेगा नहीं। इसलिये मेरा तो निवेदन यह है कि एक एक अमेन्डमेन्ट मूव होता जाय, उसको पास कर लें, उसके बाद दूसरा लिया जाय। इसमें समय भी ज्यादा नहीं लगने का।

श्री सभापति : सब-क्लॉज़ वाइज ले लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, सब-क्लॉज़ एक या दो में तो कोई संशोधन नहीं है सब-क्लॉज़ तीन के बारे में मैं अर्ज कर दूँ कि एनी लोकल ऑथोरिटी जो हमने रखा है वह वाइड टर्म है, उसमें म्युनि-सिपेलिटी भी कवर हो जायगी। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डिसमिस्ड आदमी है, वह खड़ा हो जाय तो क्या शहर में रहने वाले लोग क्या डिसमिस्ड आदमी ही को चान्स देगे, यह हो नहीं सकता। इसलिये लोकल ऑथोरिटी वाइड टर्म है, इसी को रखा जाना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि २४ के सब-क्लॉज (३) में जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है, उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अर्जनदास : There is an amendment on sub-clause (5) also of Shri Jwala Prasad.

श्री सभापति : It is for the Hon' ble members to continue the debate, if they have an amendment with regard to a particular sub-clause.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, सब-क्लॉज (८) में मेरा संशोधन है कि सब-क्लॉज (८) को इस प्रकार कर दिया जाय "Who is a salaried servant of the Central or State Government or a Municipal Board." मान लीजिये कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज्य सरकार में अवैतनिक काम करता है, यदि वह म्युनिसिपल इलेक्शन में खड़ा होना चाहे, तो वह हो नहीं सकता। इसलिये मेरा संशोधन यह था कि इसको स्पष्ट कर देना चाहिये "who is a salaried servant of the Central or State Government or a Municipal Board." बजाय इसके जो अवैतनिक कार्यकर्ता है, वह म्युनिसिपल मेम्बर नहीं बन सकता। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है, इसको मान लिया जाना चाहिये। एसे ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो सरकार के सलाहकार के पद पर या किसी महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का वेतन नहीं लेते। सलाहकार होने के कारण, यह उनके लिये डिस्क्वालिफिकेशन हो जायगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है, उसको मैं सपोर्ट करता हूं। मैं मानता हूं कि जो क्लॉज़ यह रखा गया है; "who holds a salaried or honorary or part-time appointment under the Central or a State Government or a local authority." इसमें ऑनरेरी अपॉइन्टमेन्ट है, यह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिये। उसे ओनरेरियम ऑफिस ऑफ प्रोफिट नहीं माना जाता। मुझे तो यह लगता है ऐसा रखने से कई कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। बाकी सब जगह पर क्या पार्लियामेन्ट में, क्या असेम्बली में, सभी जगह ऐसे व्यक्तियों को सीटिज़न्स के राइट और चुनाव लड़ने के राइट हैं, वहां हम म्युनिसिपल इलेक्शन में उसको डिप्राइव करते हैं। इसलिये मेरे ख्याल से जो संशोधन माननीय डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है, वह ठीक है। कम से कम ऑनरेरी काम करने वालों पर जो प्रतिबन्ध रखा है उसको तो हटा दिया जाय। अभी तो हर व्यक्ति ऑनरेरी एडवाइज़र हो सकता है। मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति को, जो खास स्पेशिलाइज्ड क्वालिफिकेशन रखता हो, अगर ऑनरेरी अपॉइन्टमेन्ट होता है, उसकी एक्सपर्ट नोलेज है, यह एक तरह से उसका रिकग्नाइज़ेशन है, ऑनरेरी अपॉइन्टमेन्ट होना। हो सकता है केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को किसी ऑनरेरी पोस्ट पर लेती है या कमीशन का सदस्य बनाती है, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ऑनरेरी अपोइन्टमेन्ट जिस व्यक्ति का होता है, उसका प्रोपर्ली चुनाव होता है "those who have attended more in the sphere of life or in the sphere of their profession." आज मान लीजिये सरकार लॉ कमिशन का अपोइन्टमेन्ट करती है; उसमें ऑनरेरी आदमी रख सकते हैं Just to get their guidance and opinion. आज स्टेट गवर्नमेन्ट ग्रो मोर फूड के लिये, एग्रीकल्चर की प्रोग्रेस के लिये, एनीमल हस्बेन्ड्री के लिये, किसी एग्रीकल्चरिस्ट की या किसी विषय के एक्सपर्ट की, किसी प्रकार का पेमेन्ट न देकर, सरकार की एडवाइस के लिये

(श्री पी० के० चौधरी)

हम सर्विसेज़ लेते हैं और वह भी ऑनरेरी लेते हैं, वह इसलिये कि उस व्यक्ति की एमीनेन्स है, उसका रिकग्नाइज़ेशन है। उसकी स्पेशल नोलेज से स्टेट गवर्नमेन्ट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट लाभ उठाती है, वैसी हालत में ऑनरेरी अपॉइन्टमेन्ट पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाते हैं, तो मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने किसी विशेष चीज में एमीनेन्स अटेन कर लिया उसका फायदा स्टेट गवर्नमेन्ट या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट उठाती है That should not be disqualification against that man for getting elected as member of the Municipality. जिस एक्सपर्ट नोलेज की कद्र करते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करती है, लोकल ऑथोरिटीज़ करती हैं, उस एक्सपर्ट नोलेज को एप्रीसियेशन के बजाय उसके खिलाफ यूज़ करे because he has got honorary appointment he becomes disqualified for being elected as a member. मैं समझता हूँ इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इससे यह होगा कि कोई भी व्यक्ति ऑनरेरी अपॉइन्टमेन्ट लेने के लिये भी दस दफा सोचेगा। जिस प्रकार से स्टेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का एक्सपेन्शन हो रहा है, उसके लिये हेल्दी डाइरेक्शन यह रहेगा कि जो भी एक्सपर्ट हैं उनकी ऑनरेरी सर्विस को लिया जा सकता है। इस क्लॉज की वजह से मान लीलिये कोई व्यक्ति इन्ट्रेस्टेड है, you will never accept such an honorary appointment इससे उस व्यक्ति को तो कोई नुकसान नहीं होगा! बल्कि जिस एमीनेन्स को आप रिकग्नाइज़ेशन देते हैं, जहां उसको पैसे का फायदा नहीं हो सकता है। साढ़े सात रुपया कहीं पर भत्ता मिल जाता हो, ऐसी हालत में मेरे ख्याल से अगर हम चुनाव के लिये यह डिसक्वालिफिकेशन मानते हैं, तो यह स्टेप प्रोग्रेसिव न होकर शोर्ट साइटेड स्टेप रहेगा कि हम ऐसे लोगों को डिबर करना चाहते हैं। जिसने स्पेशल एमीनेन्स अटेन कर लिया, स्टेट गवर्नमेन्ट या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के बैक डोर प्रेशर से यह म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में न जा सके, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो डॉ० बहादुरसिंहजी ने अमेन्डमेन्ट रखा है, उससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आज हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना चल रही है। आज कितनी कमेटियों में अवैतनिक मेम्बर हैं। अगर उनको डिबार कर दिया गया, तो इन सब कामों को नुकसान पहुँचेगा और उन कमेटियों में वे लोग नहीं जा सकेंगे, तो यह गैरवाजिब बात होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें से इस अवैतनिक शब्द को हटा दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : इसमें भी क्लॉज २४ के सब-क्लॉज (८) में साफ है :

"Who holds a salaried or honorary or part-time appointment under the Central or a State Government or a local authority,"

इसलिये यह जो ऑनरेरी शब्द है, उसको हटाना उचित होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऑनरेरी शब्द हटा देना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अमेन्डमेन्ट में तो लैंग्वेज़ ही बदल दी गई है। आपकी मंशा यही है न कि "ऑनरेरी" शब्द को अवोइड कर दिया जावे ? यही मंशा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर "ऑनरेरी" शब्द हटा दिया जावे, यही मंशा है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप ही मूव कर दीजिये तो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सब-क्लॉज (८) में "ऑनरेरी" वर्ड को ऑमिट कर दिया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह : मुझे अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जावे, क्योंकि उसे माननीय मन्त्रीजी ने स्वीकार कर लिया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ के सब-क्लॉज़ (८) में जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २४ के सब-क्लॉज़ (८) में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रक्खा है, वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री चन्दनमल।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी। क्लॉज़ २४ का सब-क्लॉज़ १३।

श्री पी० के० चौधरी : सब-क्लॉज़ १३......

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा सब-क्लॉज़ १० में है संशोधन।

श्री सभापति : You move it now.

It is for the Hon'ble members to stand whenever there is an amendment with regard to any clause because here-there is no such specific list.

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापतिजी, मैं पहले लिस्ट सबमिट कर चुका हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, अमेन्डमेन्ट मूव करने के लिये किसी माननीय सदस्य को जब तक चेयर से कॉल न किया जावे तब तक वे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि लिस्टें अलग अलग हैं और कई हैं। मेम्बर स्वयं पता नहीं लगा सकता कि कौन सा संशोधन उसका कब किस सीरियेटमवाइज लिया जाने वाला है। इसलिये ऐसी लिस्ट चेयरमैन के सामने है। उस पर से सीरियेटमवाइज वे जब कॉल करेंगे तो वे मूव करने को खड़े होंगे। इस तरह से माननीय सदस्य को कॉल नहीं किया गया था।

श्री सभापति : डिफिकल्टी यह है कि दो लिस्टें हैं, एक पहले की, एक बाद में की। उनको रेगुलेट करने में दिक्कत आती है।

Page No.69

(श्री सभापति)

इसलिये फेसीलिटी के लिये सब-क्लॉज़ वाइज सब सदस्य बोल दें।

सब-क्लॉज़ १० पर आपका संशोधन है (डॉ० बहादुरसिंह से) आप बोलेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हमारे पास ६ लिस्टें हैं, सभापति महोदय। हम किस में देखें और किस सीरियेटम से बोलें। अगर आप कॉल नहीं करेंगे तो बहुत से संशोधन तो मूव होने से भी रह जावेंगे।

श्री सभापति : आपने भी तो मूव किया होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : पर उसका नम्बर भी आप बोल दें ताकि लिस्ट में हम देख कर पता लगा लें, नहीं तो लिस्ट में हमें पता लगाने में दिक्कत होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, ऑर्डर के क्रम से अमेन्डमेन्ट मूव किये जावेंगे। यह आपके पास जो सूची होती है उसमें स्पष्ट लिखा होता है उसे देखकर आप कॉल कर लें और लिस्ट का भी रेफरेन्स दे दें। उसी में रेफरेन्स भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से रह जावेंगे मूव होने से ही।

श्री सभापति : yes, तो डॉ० बहादुरसिंह, आप सब-क्लॉज़ १० पर बोलेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : सभापति महोदय, इसमें 'लेप्रोसी' ही एक ऐसा रोग नहीं है और भी अनेक रोग हैं जिनकी नये शिड्यूल में एक लिस्ट है और जो 'लेप्रोसी' से कम भयंकर नहीं हैं। आज का युग प्रगतिशील हो गया है इसलिये इन भयंकर छूत के रोगों में भी प्रगति हुई है। जैसे सपोज़ करिये 'टी. बी.' का रोग है। मैं इसकी नजीर दूं। हमारे यहां धौलपुर में एक 'टी. बी.' के रोगी जीत कर आ गये। अब उनके साथ दूसरे मेम्बर बैठने को तैयार नहीं। उनको डर रहता है कि यह छूत की बीमारी है, पास बैठने उठने से सांस लेने करने में वह बीमारी उनको भी लग जावेगी और इसी कारण शायद इलेक्शन के बाद वे माननीय सदस्य बैठक में कभी बैठे भी नहीं। इसके अलावा सिफिलिस है और भी अनेक प्रकार की बीमारियां ऐसी छूत की हो सकती हैं। तो इसलिये मेरा निवेदन है कि शिड्यूल ८ के अनुसार यह इसमें कर दिया जावे तो उत्तम होगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं, सभापति महोदय, इसका विरोध करता हूं। अगर ऐसा कर दिया गया तो हर केन्डीडेट को एक सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के तौर पर साथ में और लगाना पड़ेगा कि यह उस बीमारी से मुक्त है या नहीं क्योंकि शरीर में कई प्रकार की बीमारियां रहती हैं जो ऊपर से नहीं मालूम हो सकती। तो इस आदमी में बीमारी है इसका निर्णय कौन करेगा, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया। लोग कहेंगे, यह भी एक बहाना हो जावेगा, तब फिर एक बवाल और लग गया, सर्टिफिकेट डॉक्टर का लाते फिरो। तो ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल ठीक नहीं है जो शब्द है 'कुष्ट रोग' का वही ठीक है। किसी ने सिफिलिस की बीमारी का एतराज उठा दिया तो भागते फिरो किसी डॉक्टर के पास।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह 'लेप्रोसी' शब्द इसलिये रखा गया है कि यह बीमारी जाहिरा दिखलाई दे जाती है।

Page No.70

श्री सभापति : ऑर्डर, प्लीज़ ऑर्डर।

श्री अर्जुनदास : यह कौन कौन बीमारी का नाम ले गये पुरुषोत्तमलालजी।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप बात न करें। जरा सब्र रखिये और सुनिये मैं निवेदन कर रहा था कि 'लेप्रोसी' का शब्द इसलिये रखा गया है कि यह जाहिरा दिखलाई देती और इससे छूत का डर है। इसलिये यह प्रोविज़न रख दिया है पर इसमें इस प्रकार की अनलिमिटेड लिस्ट रख दी जावेगी तो शायद हर एक मेम्बर शिकायत करेगा और हर एक का डॉक्टरी मुआयना हुआ करेगा। जिसको लेप्रोसी होती है वह खुद भी मीटिंग में आने को तैयार नहीं होगा इसलिये इसको जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टी. बी. ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टी. बी. का रोगी खुद इस्तीफा दे देगा, चुनाव में कन्टेस्ट ही नहीं करेगा।

डॉ॰ बहादुरसिंह : चेयरमैन महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि 'लेप्रोसी' दिखाई देती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सिफिलस क्या दिखाई नहीं देगी जब कि वह सारे शरीर में फूटेगी ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सिफिलस गुप्तांग में होती है।

डॉ॰ बहादुरसिंह : गुप्तांग के अलावा सारे शरीर में भी हो जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल 'लेप्रोसी' ऐसा रोग नहीं कि केवल उसी को एग्ज़ेम्पट करें, क्योंकि वह दिखाई भी देता है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत पुरानी सोचने की चीज थी। मन्त्री महोदय, क्योंकि हैल्थ मिनिस्टर हैं, इस सम्बन्ध में उनकी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वही इसमें संशोधन करते तो ज्यादा अच्छा रहता। वरना मुझे इजाजत दी जाये तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ के सब-क्लॉज़ (१०) में जो संशोधन डॉ॰ बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ॰ बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री पी॰ के॰ चौधरी।

श्री पी॰ के॰ चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मैं क्लॉज़ २४ के सब-क्लॉज़ १३ में अमेन्डमेन्ट मूव करता हूँ :

"Delete the words 'or accepts employment as legal practitioner against such board'."

सभापति महोदय, यह अमेन्डमेन्ट मूव करने का मकसद यही है कि मैं समझता हूं कि किसी बोर्ड के खिलाफ कोई केस ले तो यह डिसक्वालिफिकेशन में नहीं आता है क्योंकि न तो यह कोई ऑफिस ऑफ प्रोफिट होता है। सब-क्लॉज़ १३ को आप पढ़ेंगे तो

(श्री पी० के० चौधरी)

आपको मालूम होगा : "Who is employed as a paid legal practioner on behalf of such board during the term for which he has been elected or accepts employment as legal practitioner against such board, or......."

यह तो मैं समझता हूँ कि डिसक्वालिफिकेशन में आ सकता है पर if he is employed by the Board. यह मेरी समझ में नहीं आता कि बोर्ड के खिलाफ कोई केस ले, वह डिसक्वालिफिकेशन में कैसे आ सकता है। इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है कि यह डिसक्वालिफिकेशन तो नहीं है। अब हम कानून बनाने के लिए बैठे हैं, ठीक है हमारे पास सोवरन पॉवर्स हैं और हम हमारी मर्जी के माफिक कानून बना सकते हैं, लेकिन कानून बनाने के पहले उसके पीछे कोई रीज़निंग होना चाहिए, कोई ग्राउन्डस होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें इक्विटी का भी ख्याल रखना होता है। अब म्युनिसिपेलिटी रहेगी और मान लीजिए म्युनिसिपेलिटी ने किसी का एन्क्रोचमेन्ट किया तो any legal practitioner may take up the case.

अब सवाल यह होता है कि या तो यह क्लॉज़ ऐसा होता कि म्युनिसिपल बोर्ड का कोई मेम्बर अगर वकील हो तो वह केस नहीं ले सकता लेकिन इसमें तो जनरल स्क्रुटिनी का भी टाइम अलाउ नहीं होता, यानी You disqualify him even for contesting the elections. यह क्लॉज़ रखकर। मेरे ख्याल से किसी शहर में जितने भी प्रोमीनेन्ट लॉयर्स होंगे, वह सारे के सारे डिसक्वालिफाई हो जायेंगे। यह तो कभी हो नहीं सकता कि म्युनिसिपेलिटी के जितने भी काम होते हैं वह सारे एब्रव रहते हैं। उसमें लोगों को शिकायत रह सकती है। इसलिए जो यह क्लॉज़ है यह हमारे फन्डामेन्टल राइट्स के ऊपर एन्क्रोचमेन्ट करता है। हां, आप ऑफिस ऑफ प्रोफिट डिफाइन करें, उसमें कोई आये, तो मैं मानता हूँ तो इस तरह से मान लीजिए। मैं तो समझता हूँ कि जितने भी प्रतिष्ठित लॉयर्स हैं, वह सारे के सारे इससे तो डिबार हो जायेंगे चुनावों में खड़े होने के लिए। इसलिए मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है कि इसको डिलीट कर दिया जाये।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सभापति महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं और वह विरोध इसलिए करता हूँ कि यहजो सबक्लॉज़ १३ है, यह बोर्ड के मेम्बर चुन जाने के बाद का है....

श्री पी० के० चौधरी : नहीं, नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : नहीं, नहीं कैसे। पहले आप उसको पढ़िये।

ऐसी हालत में जब कोई वकील बोर्ड का मेम्बर हो जाता है तो एक ओर तो बोर्ड के डिसीज़न की आलोचना करता है और दूसरी ओर मेम्बर बना रहता है। ऐसे आदमी जो बोर्ड की खिलाफत में वकालत करते हैं वे डिसक्वालीफाई करने के लायक ही हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, जैसा किशनगढ़ से आने

(श्री सोहनलाल भटनागर)

वाले माननीय सदस्य ने कहा वह ठीक है। एक बात और भी है कि मान लीजिए कोई वकील मेम्बर है और उसके पास कोई बोर्ड के खिलाफ केस है तो चूंकि वह मेम्बर है इसलिए उसके सामने बोर्ड के सारे प्रॉस एण्ड कॉन्स आयेंगे, जिनकी कि लूपहोल्स वह जानता है और मान लीजिए दूसरी तरफ वह वकील बने और इर्रीटेट करे। इसलिए जो प्रोविज़न इस धारा में रखा गया है वही ठीक है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, इस सिलसिले में मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी एक कॉरपोरेट बॉडी है। उसके मेम्बर होने के बाद वह खुद मेम्बर उस बोर्ड को रिप्रज़ेन्ट करते हैं और वह मालिक की हैसियत में उसको रिप्रज़ेन्ट करते हैं और उस बोर्ड का मेम्बर होने के नाते उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं और वह उसकी फाइल्स को देख सकता है और उसके बाद में वह बोर्ड के खिलाफ वकील बनेगा और उसको वह डिफेण्ड करेगा तो इस तरह की जो यह दुहरी स्थिति है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जिस तरह से है, इसे उसी तरह से रहने दिया जाये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, इस धारा को पढ़ा जाये तो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको मानना चाहिए। क्योंकि इस धारा में स्पष्ट लिखा है कि— "shall be disqualified for being chosed as, and for being, a member of a board--who accepts employ as a legal practitioner against such board." यह तो चुनने पर ही एतराज है। मान लीजिए कि कोई वकील है, उसने बोर्ड के खिलाफ वकालतनामा भर रखा है और बीच में ही कोई नोमिनेशन फॉर्म भरने की तारीख आ जाती है, वह नोमिनेशन फॉर्म भर देता है और चुनाव लड़ता है और अगर मान लीजिए कि वह चुन लिया जाता है और इलेक्टेड डिक्लेयर होता है तो या तो वह चुनाव ही नहीं लड़े और अपने आपको विद्ड्रॉ कर ले या फिर केस से अपने आपको विद्ड्रॉ करे। दोनों में से क्या करे? यह तो मान सकते हैं कि मेम्बर होने के बाद में वकालतनामा नहीं भरे, लेकिन जब नोमिनेशन फॉर्म भरता है और उसमें लिखता है कि हमने बोर्ड के खिलाफ कोई वकालतनामा भरा है तो वह डिसक्वालिफाई कर दिया जायगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस धारा को स्पष्ट करें या फिर रिड्राफ्ट करें अन्यथा जो फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनका संशोधन स्वीकार करें।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : सभापति महोदय, इसमें दो सवाल आते हैं एक वकील और एक मुकदमा। मान लीजिए कि कोई वकील है और वह म्युनिसिपल चुनावों में आ चुका है और उसका एक अपीलेट कोर्ट में केस पेंडिंग है और उस बोर्ड के केस को रिप्रज़ेन्ट करता है। लीगल प्रोफेशन एक्ट के तहत या तो वह अपना वकालतनामा विद्ड्रॉ करे, तो हो सकता है और अगर वह अपना वकालतनामा विद्ड्रा नहीं करता है तो फिर वह प्रोफेशनल मिस-कन्डक्ट में आता है। तो मैं समझता हूं कि अक्सर म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ केसेज नहीं होते हैं क्योंकि जहां पार्टीज़ होती हैं वहां पर दो पार्टीज़ होती हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

पिटीशनर्स और नॉन-पिटीशनर्स । जहां नॉन-पिटीशनर्स में बोर्ड अगर पार्टी नहीं बनता है तो उस हालत में वह नहीं हो सकता । कई केसेज़ में जहां सरकार या गवर्नमेन्ट खुद रिप्रज़ेन्ट करती है, वहां सवाल आता है, लेकिन जिस केस के अन्दर दो पार्टीज़ हैं और उसमें एक पार्टी का वकील है अगर उस वकील ने वकालतनामा दिया है, वह विद्ड्रा नहीं कर सकता और अगर वह करता है तो मिस-कन्डक्ट में आता है । दूसरे म्युनिसिपल पाइन्ट ऑफ व्यू से कोई वकील जैसे वकालत कर रहा है और वह केस अगर म्युनिसिपेलिटी के खिलाफ नहीं है और एक पर्टिक्यूलर पार्टी के खिलाफ है तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह जो वर्ड्स हैं आपके: "or accepts employment as legal practitioner against such board" उसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि वह म्युनिसिपल बोर्ड के खिलाफ हैं या किसी पार्टी के खिलाफ हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सच (such) बोर्ड के खिलाफ हैं ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : The case need not be against the Board. He cannot appear against Municipal Board. On this point, Mr. Chairman, having heard thel Hon'ble Members from Phulera as wel as from Kishangarh, I believe there is no difference of opinioh between the ways of thinking of both the members. The difficulty lies in the phraseology of this sub-clause as it happens is not worded as the Hon'ble Member from Kishangarh desires it to be alright. If we accept the amendment as suggested by the Hon'ble Member there will be no difference of opinion and all will agree. Let the phraseology be made as clear as we can make it. With that intention, I will suggest that the following words be added so that there should be no ambiguity. In this clause we may add—

"Who is employed as a paid legal practitioner on behalf of such board during the term for which he has been elected...and we may add after" "elected" as a member of the board accepts employment as legal practioner against such board.'

As the phraseology today stands, by this he will be disqualified from filing his nomination paper even when one does not know whether he is going to win or not and we all agree on this point that he should not be debarred from filing his nomination paper. So he should not be allowed to continue after his being elected as a member. Therefore, I think these words which I have just now submitted for the purpose of clarification would be added unanimously.

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनु) : Mr. Chairman, Sir, the clause under dispute will give rise to some suspicion. There are two stages in which we can conceive of a legal practitioner appearing in the cases, one is before he is a member of the Board and the second is after he is elected as member. Whether we should accept the principle that if any legal practitioner, before he is a member, pleads a case

Page No.74

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

against the Board we should debar him from contesting the election. The next point is if a member of the Municipal Board pleads any case which is against the Municipal Board or accepts employment as a Legal Practitioner against such Board, he of course, gets disqualified. Because this is the fundamental principle that if anybody accepts or is interested or anybody is trying for getting himself employed in the Municipal Board he should not continue as a member of the Board. So the phraseology as it goes in sub clause (xiii) of clause 24 is quite clear. It debars a legal practitioner from contesting election if he, by chance, happens to plead a case against the Board. If as a lawyer he pleads in the cases against the Board he is debarred I think it is not the intention of the legislators in this. But inadvertantly this flow has crept in in the clause and so we look into it. The intention of the Hon'ble Member, who has tabled this motion of amendment in sub-clause (xiii) of clause 24, is quite clear that a legal practitioner simply by appearance in the case should not be debarred from contesting election as has been indicated by the Member comming from Ajmer. The phraseology gets quite clear if we do that, that after being chosen as a Member of the Municipal Board if he accepts an employment against such Board he should be disqualified from becoming a Member of the Board. This makes the position quite clear. I think the intention of the Hon'ble Member, who has tabled this motion comming from Phulera, is quite clear and we should accept this.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन महोदय...

श्री सभापति : So you are moving your amendment with regard to this sub-clause.

थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि बाद में एक सूची आई है, जिसमें क्लॉज़ २४ सब-क्लॉज़ ३ के बारे में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का अमेन्डमेंट है वह सब-क्लॉज़ ३ के बजाय सब-क्लॉज़ १३ में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री): वह, चेयरमैन महोदय, टाइप की गलती रह गई है। चेयरमैन महोदय, मेरा अमेंडमेंट तो यह है कि यह जो लफ्ज़ इस क्लॉज़ में हैं: "Who is employed as a paid legal practitioner on behalf of such Board during the term for which he has been elected or accepts employment as legal practitioner against such board or..." तो टर्म के अन्दर कोई इम्प्लोइड हो जाता है बोर्ड की तरफ से, वह स्पष्ट है इसके अन्दर इसके अन्दर है "who is employed as a paid legal practitioner on behalf of such Board during the term for which he has been elected or accepts employment as legal practitioner against such board or...." यह एक्सेपटेन्स एज़ मेम्बर है या फॉर्म भरने के पहले हैं, इसके बारे में शक है। इसलिए मैंने इसमें अमेंडमेंट रखा है "during the term for which he has been elected......" यह बिल्कुल आखिर में पढ़ा जाय अब इस प्रकार होगा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

"who is employed as a legal practitioner on behalf of such Board or accepts employment as legal practitioner against such Board during the term for which he has been elected or"

इसमें दोनों बातें कवर हो जायंगी । मैं समझता हूं कि क्लॉज़ की मन्शा भी यही है कि he should not be employed by the Board and he should not appear in the case where the Municipality is a party. इस अमेंडमेंट से दोनों बातें क्लियर हो जायंगी और मैं समझता हूँ कि किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए । अतः इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : जो पहले के केसेज़ चल रहे हैं उनमें वह वकील ऑलरेडी एन्गेज्ड है और आपका नया बोर्ड बन गया और वह नया बोर्ड का मेम्बर हो गया तो जो केसेज़ पहले से चल रहे हैं उनका क्या होगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : विद्ड्रा करना पड़ेगा वकालातनामा ।

श्री मूलचन्द डागा : ठहरिये साहब, विद्ड्रा करना होगा वकालातनामा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ बिल्कुल साफ हो गया है । मेम्बर बनने के बाद में बोर्ड एन्गेज करता है या बोर्ड के खिलाफ खड़ा होता है तो he will be disqualified यह मेरे अमेंडमेंट से बात क्लियर हो गई । उसके पहले वाले केसेज़ का क्या होगा, यह इसके इन्टरप्रिटेशन पर डिपेन्ड करता है, वह शायद कन्टीन्यु कर सकेगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह कन्टीन्यु नहीं कर सकेगा ।

श्री सभापति : One point. Whether the only point is that this Act as passed shall have retrospective effect ? I think, it caues the jurisdiction of a tribunal to come to a conclusion.

श्री पी० के० चौधरी : In view of the amendment moved by Hon'ble Minister, my purpose is served I therefore beg to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ के सब-क्लॉज़ (१३) पर जो अमेंडमेंट श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री मूलचंद डागा : मैंने जो बात कही उसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह नहीं होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह इन्टरप्रिटेशन की बात है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४ के सब-क्लॉज़ (१३) पर श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने अमेंडमेंट रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

सब-क्लॉज़ १४ ।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरा संशोधन इस प्रकार का है कि इस क्लॉज़ को हटा देना चाहिए, और वह इसलिए हटा देना चाहिए कि एक पर्सेन्ट भी किसी के खिलाफ ड्यूज़ चले आ रहे हैं और बोर्ड की तरफ से तकाज़ा नहीं किया जाता है और संभवत: इस दृष्टि-कोण से नहीं किया जाता हो कि इस व्यक्ति को चुनाव में नहीं आने देना है तो उसकी तरफ किसी प्रकार के ड्यूज़ निकाल देंगे। ड्यूज़ निकाल दिये, वे पुराने पड़ गये और वसूल करने की कोशिश नहीं की गई तो यह कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर उसके खिलाफ पैसा बकाया है तो बाकायदा कार्यवाही करें। कोर्ट है वहां से डिक्री हो सकती है, दूसरे तरीके हो सकते हैं।

लेकिन यह तरीका नहीं होना चाहिये कि उसको आप सदस्यता से वंचित कर दें या जनता जिसको चाहे चुनकर म्युनिसिपेलिटी में भेजना, उसको रोक दें। इसलिए यह प्रोविज़न हटा देना चाहिये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : I also move, Sir, to this an amendment that this sub-clause be deleted. Sir, as I can conceive this sub-clause is full of misconceptions. This says 'if there be any taxes or other dues in excess of one year's demand against and particular member...'

३. १ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

he should be disqualified. It is not provided in this Sub-Clause that a notice should have been issued to him before. As I can see, Sir, any good Executive Officer or any Chairman, who desires to see that his opponent may not get elected, even though the opponent in a particular ward could successfully get elected and can beco-cme member of the Municipal Board there is a simple trick that can be played upon. Sir, an easiest trick available is that you can ask a peon to put down that the man was not available and a peon can say that I pasted it on the door of his house. The result would be that the particular individual may not know it for even one year that a certain demand has been made and as such he may come to know of it only at the time of scrutiny that a demand has ever been made from him about more than a year back. Secondly, there may beother dues but what is the significance of other dues ? Does it also include the dues which might have been delayed because of some mistake in the dema-nd ? What is the remedy ? Does it mean that he must make payment Obviously not. The liability of a man may be to pay three hundred rupees butif there is a false statement of dem-and of ten thousand, what is the re-medy ? There is no remedy.

In some other cases a Chairman may issue a demand which was not legally recoverable, a candidate stands

(श्री अर्जुनदास)

disqualified from being elected. Therefore, my strongest feeling is that this particular Sub-clause should be deleted especially when no such provision exists in the Representation of peoples' Act. A member is not disqualified from being elected to the Rajasthan Vidhan Shabha under that Act on this ground Similarly if a person has got some demands from the Municipal Board whether fictitious or not, he should not be disqualified from being elected. As this Sub-clause is full of more mischief. which I cannot understand. I think it should be deleted and a candidate should not be left to the mercy of the Chairman.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : My amendment is for deleting sub-clause (XIV)

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज को डिलीट करने का जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसकी दो वजह हैं। एक तो यह है कि पेमेन्ट ऑफ एरियर्स ऑफ ड्यूज़ या टैक्सेज़ के ड्यूज़ के लिये आज तक जो प्रोवीज़ो रिप्रज़ेन्टेशन्स ऑफ पीपल्स एक्ट में है उसमें यह है कि पब्लिक बॉडीज़ या इन्स्टिट्युशन्स होती हैं, उनके ड्यूज़ रिकवरी के लिये कम से कम किसी भी इलेक्टेड बॉडिज़ के मेम्बरशिप से किसी को डिबार नहीं करना चाहिये। जैसे गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के ड्यूज़ होते हैं, जैसे इन्कम टैक्स ड्यूज़ या और भी कई चीजों के ड्यूज़ किसी में बाकी हैं तो उनके लिये कभी किसी को चुनाव में खड़े होने से डिसक्वालिफाई नहीं किया जाता है।

दूसरी बात क्लॉज में है "in excess of one year's demand" साल भर पहले इत्तला देने के बावजूद भी ड्यूज़ जमा नहीं कर पाये, तो वह किसी भी चुनाव के लिये खड़ा नहीं हो सकता और यदि चुन कर आयगा तो भी मेम्बर नहीं रह सकता। जहां तक डिमान्ड का सवाल है, किस तरह से उसका दुरुपयोग होता है, यह देखने की बात है। इस सदन के सामने भी चार-पांच दिन पहले एक मिसाल आई थी। भरतपुर में ३ म्युनिसिपल कौंसिलर्स को अनसीट कर दिया है। आज का जो मौजूदा एक्ट है उसमें प्रोविज़न है कि चार महीनों तक मीटिंग्ज़ में हाजिर नहीं हो तो वह मेम्बर डिसक्वालीफाई हो सकता है। वे लोग यहां आये थे, शायद मन्त्रीजी से भी मिले होंगे। ऐसे मामलों में होता क्या है कि मीटिंग होती है, तब चेयरमैन के पास में ही चपरासी खड़ा रहता है, उसको चेयरमैन बोलता है कि उनको नोटिस दे दो, वे मीटिंग में नहीं हैं। चपरासी वहीं पर बैठा बैठा लिख देता है कि मैं घर पर गया था, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। चेयरमैन फिर उस चपरासी को ऑर्डर देता है कि उनके घर पर नोटिस चिपका कर आ जाओ। इस पर भी चपरासी बिना उनके घर पर गये वहीं पर बैठा बैठा लिख देता है कि मैं नोटिस उनके घर पर चिपका कर आ गया। इस तरह का जो नोटिस सर्व होता है वह उन तक पहुँच नहीं पाता है। इस तरह की बातें चलती हैं। जो नोटिस सर्व होता है वह उन तक पहुँच नहीं पाता है। छोटे शहरों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें से कोई मौजूदा चेयरमैन का राइवल हो सकता है। चेयरमैन खुद दूसरे आदमी की पॉपुलरिटी के खयाल से उसको अपना राइवल समझता है और यह समझता

(श्री पी० के० चौधरी)

है कि फलां आदमी कमेटी में किसी भी तरह से चुन कर आ गया तो चेयरमैन वही आदमी होगा। आखिर में हरएक व्यक्ति का कुछ न कुछ स्टेटस होता है। वह आदमी यह समझता है कि आज मैं चेयरमैन हूं, लेकिन मेरे से अच्छा व्यक्ति या मेरे से अच्छी स्टेटस-वाला व्यक्ति आ जाय तो मुझे चेयरमैन रहने का मौका नहीं मिलेगा और दूसरा आदमी चेयरमैन बनेगा। क्योंकि अक्सर ऐसे आदमी चुनकर जाते हैं तो वास्तव में ऐसे सुपीरियर आदमी ज़रूर चेयरमैन बन जाते हैं। आज किसी म्युनिसिपेलिटी का एक आदमी चेयरमैन है और दूसरा आदमी वहां पर मेम्बर है तो वह आदमी भी अपने वार्ड में या म्युनिसि-पेलिटी में उस चेयरमैन का राइवल हो सकता है। इस तरह के राइवल आदमियों को फ्रन्ट में आने देने से रोकना हो तो इस तरह की फर्ज़ी कार्यवाहियां चलती रहती हैं और उसको पहले पता तक नहीं चलता जब स्क्रूटिनी का टाइम आता है तभी उसको पता चलता है कि उसको डिसक्वालिफाइ कर दिया गया है। नोमिनेशन के बाद में जब तक स्क्रूटिनी का टाइम नहीं आयेगा, उससे पहले उसको पता तक नहीं चलेगा कि उसको डिसक्वालिफाइ कर दिया है या नहीं। इसलिये यह जो क्लॉज़ है उसको रखने से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रे-शन में ज्यादा फायदा पहुँचता हो या ज्यादा अच्छी तरह से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता हो, ऐसी बात समझ में नहीं आती। आखिर में म्युनिसिपल बोर्ड में १० मेम्बर्स होंगे, २० मेम्बर्स होंगे या बड़े से बड़े बोर्ड में ४० मेम्बर्स होंगे, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करना है, उपाध्यक्ष महोदय, वह होगा १० हजार, ५० हज़ार, एक लाख या दो लाख का। जितने आदमी वहां पर रहते हैं, उन सबसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है और ड्यूज को वसूल करने के लिये नॉरमल मशीनरी होती है, उसके लिये सेट प्रोसिजर होता है और रूल्स और रेगुलेशन्स सब कुछ होते हैं। फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि क्यों किसी आदमी को इसलिये खड़ा नहीं होने देते कि उसने टैक्स बाकी रख दिया है? इसका इन्टेन्शन क्या है? क्या आपका यह इन्टेन्शन है कि ऐसे आदमी को चुनाव में खड़ा होने दिया जायेगा तो टैक्स ठप्प हो जायगा? टैक्स की रिकवरी तो आपको काफी आदमियों से करनी है, फिर बोर्ड के जो दस, बीस या चालीस सदस्य होंगे उनसे रिकवरी नहीं होगी तो आपका कारोबार नहीं चलेगा या आपके पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो उनसे टैक्स वसूल कर सके? तो जो सारे १० हजार, २० हजार शहर में लोग रहते हैं, उनसे किस ढंग से टैक्स कलेक्ट करेंगे? इसके लिए प्रोवीज़न है, मशीनरी है, उस टैक्स को नॉर्मल मशीनरी से कलेक्ट करें, इन सबके ज़रिये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए चुनाव में खड़े होने से रोकते हैं तो मैं समझता हूँ इससे फायदा नहीं होगा, मिसचीफ उससे ज्यादा होगी और मिसचीफ इतनी ज्यादा होगी कि बाद में जाकर दूसरा अमेन्डमेन्ट लाना पड़ेगा कि इस क्लॉज़ को हटा दें। हम जब कानून पास करते हैं तो मैं समझता हूँ कि That is good law जो ज्यादा से ज्यादा सिम्पल हो और सर्टेन हो, जिसमें एम्बीग्यूटी नहीं रहे और जिसके एप्लीकेशन में उसका मिसयूज़ न हो सके। ऐसा कानून हमें बनाना चाहिए, यह नहीं कि म्युनिसिपल बिल पास करेंगे वह २०० पेज का हो, ४०० पेज का हो, that does not go to our weight.

चाहे २० पेज का, ४० पेज का कानून

(श्री पी० के० चौधरी)

बना दें, लेकिन वह सर्टेन हो, निश्चित हो और उसमें जो प्रोविज़न्स हैं, उनका मिसयूज़ न हो पाये, इस ढंग से कानून बनायें, वह ज्यादा ठीक रहेगा। बनिस्पत इस तरह का कानून बनायें जिसमें एम्बीग्यूटी रहती हो और जिसके लिए सब लोगों के दिल में शंका पैदा होती हो कि इसका मिसयूज हमेशा होगा। मैं शर्तिया कहना चाहता हूँ कि आप देख लेना कि इस चुनाव में ऐसा होगा और कुछ लोग बैठ जायेंगे लेकिन बहुत से लोग मिलेंगे कि जो इस क्लॉज़ का फायदा लेकर, जो उनके राइवल हैं, वार्ड में राइवल हैं, टाउन में राइवल हैं, उनको आने से वंचित रखेंगे, यह चीज़ होगी। मेरा कहने का मकसद यह है कि आप दोनों चीजों पर विचार कर लीजिये। एक तरफ तो यह रखिये कि जिस व्यक्ति के ऊपर एरियर रह गया है, जिसके पास से टैक्स कलेक्ट कराना बाकी रह गया है, एक तरफ उसका मिसयूज होता है और जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए पब्लिक में एक किस्म का मिसकन्सेपशन पैदा होगा कि देखिये ये लोग ऐसा कानून बनाते हैं, उसमें ऐसा प्रोविजन रखते हैं, जिसका इस तरह उपयोग होता है कि अच्छे आदमी को आने नहीं देते, इन्फ्लूएन्शल आदमी को आने नहीं देते। मेरा निवेदन यह है कि एक तरफ इसका मिसयूज है, पब्लिक का डिसएप्रूवल है, पब्लिक के अन्दर गलतफहमी आपके कानून के बनाने के बारे में क्रियेट होती है, दूसरी तरफ एक आदमी के अन्दर १०० रुपये, २०० रुपये, ५०० रुपये या १००० रुपये का टैक्स ड्यू है, उसको कलेक्ट करना है, which is more heavier, उसमें कौन सी चीज भारी पड़ती है? मैं समझता हूं कि एक हजार रुपया कलेक्ट करना भारी नहीं है जितना यह भारी है कि पब्लिक में क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन की छाप रहे कि इसका मिसयूज न हो, कोई आदमी इसका मिसयूज नहीं कर सके और जो बड़े आदमी हैं, पॉपुलर लोग हैं, जो वार्ड के अन्दर ज्यादा इन्फ्लूएन्शल हैं, शहर में इन्फ्लूएन्शल हैं, उनको इस तरह से, एक किस्म से लीगल फ्लो का फायदा उठाकर डिबार किया जाय इलेक्शन से, यह ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा नुकसानदायक है। मैं तो कहूंगा कि हम मेम्बरों के आने के बाद के लिए कानून बनायें तो वह कानून समझ में आ सकता है। इलेक्ट होकर माननीय सदस्य आ जाय उसके लिए कानून बना दीजिये, जब मेम्बर बन जाता है और तीन महीने में, छः महीने में ड्यूज़ नहीं देता है तो उसको डिबार कीजिये, उसको सस्पेन्ड कीजिये, इसका प्रोविजन कीजिये, तो एतराज़ नहीं होगा। लेकिन कोई आदमी चुनाव में खड़ा नहीं हो सके, क्यों कि उसके अन्दर ड्यूज़ हैं। अगर उसे ड्यूज़ के बारे में जानकारी हो तो भी ठीक है, लेकिन १५ पर्सेन्ट केसेज़ में इसका दुरुपयोग होगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं रहेगा कि उनके खिलाफ ड्यूज़ हैं। जब नोमिनेशन फार्म भरने के बाद स्क्रूटिनी होगी तो उसका पता लगेगा। तो इसका मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए ऐसा कानून पास नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात है कि दो चीजें उसमें हैं, एक तो है टैक्सेज़ की और दूसरी है अदर (Other) ड्यूज़ की। अदर ड्यूज़ बड़ी वाइड टर्म है। वह समझता है कि टैक्स निश्चित है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, लेकिन अदर ड्यूज़ की टर्म बड़ी वाइड टर्म है। म्युनिसिपेलिटी से उसने कोई जमीन खरीद ली हो या म्युनिसिपेलिटी ने उस पर दावा कर दिया

(श्री पी० के० चौधरी)

हो, यह बड़ी एग्जरेटेड टर्म है। म्युनिसिपेलिटी ने किसी के बारे में कह दिया कि इसने मकान बनाया है, उसमें एक इंच ज्यादा जमीन ले ली है। अभी अजमेर में देखा है कि मौजूदा चेयरमैन ने एक मकान के सामने का पोर्शन तोड़ दिया और कहा कि एन्क्रोचमेन्ट हो गया है। ऐसी जो मिसालें हैं, उनकी हमेशा सारे स्टेट में होने की गुंजाइश है। मकान के बनाते समय यह संभव हो सकता है कि कभी एक इंच ज्यादा जमीन ले ली हो, नहीं भी ली हो, नक्शे में गड़बड़ी हो सकती है। किसी के लिए भी कहा जा सकता है कि इतनी जमीन दबा ली है, इसके लिए इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इतना कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। इसलिए अदर ड्यूज़ पैदा होने के कई तरीके हैं। मान लीजिये कि म्युनिसिपेलिटी की सीवेज है, उसको खरीद लिया हो जमीन में खाद के काम में लाने के लिए, उसके ड्यूज बाकी रह सकते हैं। इसलिए अदर ड्यूज में कई चीजें आ सकती हैं, अदर ड्यूज़ इतना कॉम्प्रेहेन्सिव है कि सारे निवासियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से ड्यूज़ बता सकते हैं। जिसे एग्जीक्यूटिव चाहे, जिसे हम चाहें, उस पर किसी न किसी तरीके का ड्यूज़ बता सकते हैं, जो ड्यूज़ के कारण कॉन्टेस्ट करने से छूट जायगा। कॉन्टेस्ट तो बाद में करेगा, पहले डिसक्वालिफाई होगा स्क्रूटिनी के टाइम पर। मेरा निवेदन है कि यह क्लॉज़ है, इसके अन्दर ज्यादातर गुंजाइश रहती है मिसयूज होने की, इससे फायदा मुझे इतना ज्यादा नहीं दिखता है। आखिर आप दूसरे लोगों से भी ड्यूज़ और टैक्सेज वसूल करेंगे। ४० हजार आदमियों से किस तरीके से वसूल करेंगे? जिस तरह से उनसे वसूल करेंगे उसी तरह से जो चुनाव में खड़े होंगे, नोमिनेशन फॉर्म भरेंगे, ५, १०, २० आदमी, उनसे भी उस तरीके से ड्यूज़ और अदर ड्यूज़ वसूल कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह क्लॉज़ है, इसका काफी मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए इसको डिलीट कर दिया जाय या सूटेबली अमेंड किया जाय। यह हो सकता है कि चुनाव में आ जाय, जब वह म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर बन जाय, उसके बाद इस चीज को लागू कीजिये, उसको नोटिस दीजिये, कुछ कीजिये। लेकिन उसमें भी उसका दुरुपयोग हो सकता है। मान लीजिये पर्टिक्युलर ग्रुप की मेजोरिटी है, वह दूसरे ग्रुप को म्युनिसिपेलिटी से हटाना चाहे तो उसके मेम्बरों के खिलाफ ड्यूज़ क्रियेट कर सकती है और मेजोरिटी से ड्यूज़ का प्रस्ताव पास करके बता सकती है। मान लीजिये कि एक म्युनिसिपेलिटी नौ आदमियों की है, उसमें पांच आदमियों की मेजोरिटी है, बाकी के चार मेम्बरों के खिलाफ ड्यूज़ बता दिये, फिर प्रस्ताव पास करके इन चारों को डिसक्वालिफाई कर दिया। इस प्रकार भी इसका मिसयूज़ होने की गुंजाइश है। इसलिए मेरी तो राय है कि इस सबक्लॉज को बिल्कुल हटा देना चाहिए, आगे-पीछे किसी भी रूप में नहीं रखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणसिंह (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पार्ट १४ को बिल्कुल हटा देने का प्रस्ताव रखा है, उसके साथ में बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने जो इससे दुरुपयोग की आशंकायें और जो एम्बीग्यूटीज हो सकती हैं, इनके विषय में जो बातें कहीं वे बिल्कुल ठीक हैं। इनके अलावा भी मैं यह समझता हूं कि

(श्री नारायणसिंह)

एक प्रकार से मूलत: यह सैद्धान्तिक रूप से भी गलत है कि इस प्रकार का सबक्लॉज रख कर चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। पुरानी एक पद्धति थी कि मतदातृत्व के अधिकार सम्पत्ति से सम्बद्ध थे, सम्पत्ति के अनुसार ही मतदान का अधिकार दिया जाता था ब्रिटिश काल में। उसको हटाया गया केवल मात्र इसलिए कि प्रजातंत्र व्यापक बने, मतदातृत्व के अधिकार भी उसके साथ इतने व्यापक बनें। उसी प्रकार जो खड़े होने का अधिकार है, वह उसके साथ लगा हुआ है। उस अधिकार में हम इस प्रकार का रूप पैदा कर दें कि टैक्स न देने की क्षमता के कारण अथवा कर भाग को न देने के कारण उसको खड़े होने से रोक दिया जाय, मतदान से रोक दिया जाय तो वास्तव में जिस मौलिक सिद्धान्त को लेकर हम प्रजातंत्र को व्यापक बना देना चाहते हैं, मतदान के सिद्धान्त को व्यापक रूप देना चाहते हैं, उसको परोक्ष रूप से अथवा अपरोक्ष रूप से आघात पहुंचाते हैं। तो जहां टैक्स की वसूली का सवाल आता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में प्रोसीजर के द्वारा, वह वसूल हो सकता है और कई दूसरे रास्ते हैं जिनसे वह चीज लाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए किसी को खड़े होने से वंचित रख दिया जाय अथवा इस प्रकार मतदान से वंचित रख दिया जाय, खैर इसमें मतदान का सवाल नहीं है, तो वह बिल्कुल अनुपयुक्त होगा और मैं समझता हूं कि प्रजातंत्रीय भावना के प्रतिकूल होगा। इसलिए यह जो पार्ट १४ है, यह जिस स्वरूप में हमारे सामने है, उसी स्वरूप में इसे बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर कोई खास ऐसा बचाव रखने की आवश्यकता हो कि कोई व्यक्ति, जिसके पास टैक्स इत्यादि देने की क्षमता भी हो, लेकिन विशेष अधिकारों में, विशेष स्थिति में रह कर उसने किसी प्रकार उस टैक्स को इवेड किया हो, नहीं दिया हो और उसके खिलाफ काफी बकाया है तो उसको किस प्रकार से गिरफ्त में लिया जाय, यह दूसरे तरीकों से सोचने की बात है। तो उसके लिये यह सब-क्लॉज लाकर एक ऐसा कदम हम नहीं उठावें जिससे हमारा एक मौलिक सिद्धान्त है कि सम्पत्ति भाव को बिलकुल हटाकर, हम प्रजातन्त्र के चुनावों में एक नया जज्बा लावें। इस भावना पर अगर इस प्रकार की यह चीज रखी जाती है तो उस भावना में न्यूनता आती है और उसको हटाने से मैं समझता हूं कि हम वाकई में एक सही कदम उठा सकेंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी नहीं बोलेंगे। (इस पर भी श्री मोदी के खड़े ही रहने पर) मैंने यह कहा कि श्री मुक्तिलाल मोदी नहीं बोलेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष, श्री पी. के. चौधरीजी ने और डॉ० बहादुरसिंहजी ने जो संशोधन रखे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। इसमें यह रखा है कि जिस व्यक्ति पर टैक्स बकाया होगा वह खड़ा नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष, टैक्स बकाया होने के दो-तीन कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि उसको मालूम नहीं हो, एक्स-पार्टी डिसिजन हो जाता है और उसको पता ही नहीं लगे, नोटिस निकाला हो पर वह मकान पर ही नहीं हो या नोटिस तामील करने वाले ने उसको बताया ही नहीं हो, गैर-आबाद मकान पर लगा दिया हो और उसको

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पता ही नहीं हो । एक बात यह भी हो सकती है कि टैक्स या और किस्म की बकाया हो, उसके फैसले से वह असंतुष्ट हो, उसकी अपील करना चाहता हो या अपील की जायगी या अपील पेंडिंग होगी, तो वह खड़ा नहीं हो सकता, यह तो उसके लिये न्याय नहीं। विधान सभा के सदस्यों के ऊपर चाहे कितना ही बकाया हो, चाहे कितनी ही ड्यूज हों वे खड़े हो सकते हैं। राज्य सभा के लिये, चाहे किसी पर कितनी ही ड्यूज क्यों न हो, कोई भी खड़ा हो सकता है। लोक सभा के लिये, चाहे किसी पर कितनी ही ड्यूज बकाया क्यों न हो, वह खड़ा हो सकता है। पर वह म्युनिसिपेलिटी में खड़ा नहीं हो सकता। कहीं कोई चीज साफ क्लियर नहीं है कि कितने रुपये तक बकाया होगा तो वह खड़ा नहीं हो सकता। टैक्स का बकाया हो सकता है, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि वह दे न सके, म्युनिसिपेलिटी का बकाया है तो वह कोर्ट ऑफ लॉ में जा कर ले सकती है। इस लिये जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि इसको डिलीट कर देना चाहिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, धारा २४ की उपधारा १४ के अन्दर जो श्री पी. के. चौधरी जी ने अमेंडमेंट रखा है, उसके समर्थन में मैं बोलना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, यह जो धारा २४ है ऐसी है कि अगर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस तरह की चीज हो जाय तो यह हिन्दुस्तान सोना उगलने लग जायगा। मैं खुद भी चाहता हूं कि इस तरह की चीज को पार्लियामेंट ...

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की चीज का विश्लेषण नहीं किया, किस तरह की चीज़ हो इसके लिये हम परेशान हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अभी कहता हूं। धारा २४ में कहा है कि जिसके अन्दर टैक्स बाकी है वह म्युनिसिपेलिटी के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। इस तरह की चीज, दूसरी जगह की म्युनिसिपेलिटीज़ के जितने एक्ट हैं उनमें हो और इसके बाद कौंसिल ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट और असेम्बली, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और पंचायतों के चुनाव हों ये सारे चुनाव इतने सीधे तरीके, ईमानदारी तरीके पर हों और इतने ईमानदार आदमी इन सारी चीजों के अन्दर आयेंगे और राज्य शासन के अन्दर आज जो दिलाई हो रही है वह कभी हिन्दुस्तान में नहीं हो सकती। पर यह चीज आज इस असेम्बली में धारा २४ में आई है और कल ही राजस्थान गवर्नमेंट को, चार-छः महीने बाद ही दबाव डालने पर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करने वाले भी हम ही लोग होंगे और कराने वाले भी हम ही लोग होंगे। इसलिये ऐसी चीज इस वक्त नहीं लाई जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लाते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, पर उसका पालन ज़रूर होना चाहिये। एक अमेंडमेंट लाये इस हाउस में उसे पास कर दिया और उसका पालन नहीं हो तो वह चीज अच्छी नहीं। मेरा यही हर माननीय सदस्य से निवेदन है कि आज इस धारा को हम इतनी मज़बूती के साथ, सख्ती के साथ पास करते हैं तो अपने को खुद को चाहिये कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में हमारा यह कार्य होगा कि इसका पूरी तरह प्रचार करके कोई किसी तरह का टैक्स किसी आदमी में बाकी नहीं रहने दें। बनिस्पत सरकार के मुलाजिमों के, वे ज़रूर इस मामले में ढिलाई कर सकते हैं और उनके ऊपर किसी न किसी में टैक्स का रुपया

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बाकी रह सकता है। किन्तु आज जब हाई-कोर्ट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट जज के यहां, कलेक्टर के यहां टैक्स का झगड़ा चल रहा है वर्षों से, वह महीने दो महीने में नहीं निबटता है और उस समय चुनाव होते हैं तो म्युनिसिपेलिटी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको इससे दिक्कत आयेगी। आज ऐसी सख्ती हिन्दुस्तान में नहीं है कि एक कानून पास कर दिया तो पूरी तरह से उसकापालन करें। अगर माननीय मन्त्रीजी पूरी तरह से पालन करने वाले हैं तो मैं तो बाहर निकलते ही उन्हें माला पहनाऊंगा। इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिये। पालन नहीं हो और खाली पास कर दें, तो वह ठीक नहीं है। इसके अन्दर अभी एक चीज रख दें और फिर गवर्नमेंट की तरफ से संशोधन लाकर उसमें संशोधन कर दें; यह ठीक नहीं। हम लोग जो खड़े हुए हैं, हमारे अन्दर भी बहुत सा टैक्स बाकी हो सकता है। यह नहीं है कि जिसमें बकाया हो वह एम. एल. ए खड़ा नहीं हो सकता, पार्लियामेंट में खड़ा नहीं हो सकता। बहुतों के ऊपर तो करोड़ों रुपया बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहेंगे। अपने सम्बन्ध में कहें तो स्वीकार किया जा सकता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने कोई बात माननीय सदस्यों के बारे में नहीं कही है। कही हो तो बता दें। मैंने तो कहा है कि माननीय सदस्यों में से भी खड़े हों, तो उनके ऊपर भी टैक्स बाकी हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने गलत समझ लिया था।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे अन्दर काहे की बकाया है ?

तो माननीय उपाध्यक्ष, ऐसी हालत में जो धारा २४ है और उसके अन्दर सब-क्लॉज़ १४ है उसको अभी न लेकर दो चार दिन बाद में ले लें ताकि उस पर पूरी तरह से फिर विचार कर लें और इधर और उधर बैठने वाले अच्छी तरह से सोच लें। इसके बाद अगर आप पास करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी तो यही बार बार आपसे प्रार्थना है कि कोई भी बिल पास हो, उसका प्रत्येक सदस्य द्वारा पालन होना चाहिये और उसको पालन कराने का प्रयत्न करना चाहिये; यही मेरी प्रार्थना है।

श्री रामचन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की धारा को पढ़ने से खास तौर से इन शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है 'for being chosen as a member of the Board' दूसरा ऐसा है 'for being a member of the Board' किसी म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बन जाना और सदस्यता के लिये खड़ा हो जाना ये दो परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो पहले भाग के लिये मैं यह कहूँगा कि स्वतंत्र युग में जब संविधान के अन्दर भारत के हर एक नागरिक को फंडामेंटल अधिकार दिये गये हैं कि किसी भी संस्था का सदस्य बन सकता है और सदस्यता के लिये खड़ा हो सकता है इस अधिकार का केवल रुपयों के खातिर हनन करना, मैं समझता हूं कि एक प्रकार का अन्याय होगा। इसलिये किसी को किसी एरियर या टैक्स को न देने के कारण मेम्बरशिप के लिये खड़ा होने से रोकना उसके अधिकारों पर एक प्रकार का कुठाराघात करना होगा। इसलिये मेरी यह राय है कि उसको मेम्बरशिप के लिये खड़ा होने के लिये

(श्री रामचन्द्र)

अवश्य मौका दिया जावे और अगर वह इलेक्शन में कामयाब होकर सदस्य बन जावे तो उसको यह मोरल ड्यूटी हो जाती है कि जिस संस्था का वह सदस्य बन गया है, उसके जो भी ड्यूज़ हैं, उनको पहले अदा करे। यह उसका एक फर्ज हो जाता है कि वह इस बोर्ड के टैक्सेज़, जो पहले से उसके जिम्मे बाकी हैं, उनको अदा कर दे; अगर वह अदा नहीं करता है तो यह देखना है कि उसने किसी अदालत में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके लिये कोई कानूनी कार्यवाही तो नहीं चालू कर रखी है। यदि है तो उसका फैसला जब तक न हो जावे तब तक उसको मौका दिया जावे। अगर कोई कानूनी शरण उसने नहीं ली हो तो उसे लाज़मी तौर से मेम्बर बनने के पहले अदा करना होगा। उसके लिये यही प्रश्न रह जाता है कि या तो वह एरियर टैक्सों को जमा करावे या सदस्यता से अलग हो जावे। इसके लिये श्री अर्जनदासजी ने जो संशोधन रखा है मेरे ख्याल से इस धारा में वह बहतर है। आपने इसकी फ्रेज़ोलोजी को इस तरह बताया है:
"Who is in arrears in the payment of any tax to the Board for a period of more than one year of service or notice of demand on him, unless the matter is pending adjudication in a court of law or before an appellate authority."
इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अगर एरियर्स से बचने के लिये अदालत में शरण ली है तो उसको कानूनी शरण से फायदा उठाने का मौका दिया जावे वरना इसके लिये लाजिमी हो जाता है कि अगर वह बोर्ड का सदस्य रहना चाहता है तो टैक्सों को अदा करे।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सब-क्लॉज़ १४ में जो अमेंडमेंट आया है उसका मैं विरोध करने लिये खड़ा हुआ हूं। इस समय तक जितने भी डिस्कशन्स हुए हैं, मेरे ख्याल से वे थोड़े सेन्टीमेन्टल हुए हैं। यह बात कही जाती है कि सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है वह नहीं लगाया जाना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि हम कानून के ज़रिये ऐसे बोर्ड का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और जिस जगह रेस्पोन्सिबिलिटी का शब्द आता है तो लीगली उस पर इतनी कानूनी जिम्मेदारी होती है। इसलिये अगर यह रेस्ट्रिक्शन रख दिया गया है तो भी मैं समझता हूं कि कोई बात नहीं है। यह कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है जो इसके वर्डिंग्ज़ से साफ ज़ाहिर है। वर्डिंग्ज़ ये हैं:
"who is in arrears in the payment of any tax or other dues in excess of one year's demand" जहां तक एक साल की डिमान्ड के बकाया का सवाल है, वहां तो कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी और साल से ज्यादा टैक्सेज़ आदि हैं तो उसके लिए होगी। जब इन सर्कमस्टान्सेज में हम देखते हैं कि साल भर की अवधि से ज्यादा टैक्सेज़ का भार उस पर है तो उसके लिये डिसक्वालिफिकेशन होगी, मैं समझता हूं कि कानून की मंशा बिल्कुल साफ है। उससे बड़ा क्लीयर मामला हो जाता है। हम लोग रेस्पोन्सिबल पर्सन्स का बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो हमें उसमें ऐसे आदमियों को ही लेना चाहिये जो अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी फील करे। डेमोक्रेसी में टैक्सों की गवर्नमेंट होती है और उसी पर चलती है। जो लोग इतने इर्रेस्पोन्सिबल हों जो साल भर तक टैक्स देने की परवाह नहीं करते तो ऐसे लोगों की इन्टेग्रिटी और ऑनेस्टी पर क्या विश्वास किया जा सकता है? उनकी ऑनेस्टी इन्टेग्रिटी पर डाउट ही किया जा सकता है। अगर

(श्री आबिदअली)

उनकी ऑनेस्टी और इन्टेग्रिटी पर डाउट नहीं किया जा सकता है तो भी उनकी केयरलेसनेस ही सही। इसीलिए तो इसमें excess of one years शब्दों का प्रयोग किया है, वह बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रोविजो में साफ कर दिया है वह यह the disqualification mentioned in clause (XIV) shall cease as soon as the arrears are paid. अब तो मेरे ख्याल से कोई बात बाकी नहीं रहती है। जब एरियर पे कर देते हैं तो डिसक्वालिफिकेशन दूर हो जाती है। बाद में उसको पूरा पूरा चुनाव में भाग लेने का अधिकार है।

दूसरा पोइन्ट है डिस्प्यूटेड केसेज का। उसके लिये जो लोग कॉन्टेस्ट करते हैं कि जो ड्यूज सरकार बताती हैं वे नहीं हैं या उनका उस सम्बन्ध में कोई केस अपील में चलता है तो मैं समझता हूँ कि उसके सम्बन्ध में भी यह सब-क्लॉज़ बहुत क्लीयर है। एरियर्स ड्यू तभी होते हैं जब केस फाइनल हो जाता है। अगर कोई केस पेन्डिंग है तो कानून की मंशा में वह फाइनल न हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिये कानून की मंशा इस संबन्ध में भी बिल्कुल साफ है और मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेज में लागू नहीं होगा। अगर चाहे तो माननीय मिनिस्टर इन्चार्ज इसको ले सकते हैं कि पेन्डिंग केसेज होंगे उनमें यह लागू नहीं होगा। इसको प्रोविज़ो में ले सकते हैं मगर जहां तक मेरी राय है यह पेन्डिंग केसेज़ के लिये लागू नहीं होता। अगर जरूरत हो तो प्रोविज़ो में लागू कर दिया जावे मैं यह समझता हूँ कि इतनी रेस्पोन्सिबिलिटी तो लोगों की होनी ही चाहिये इसलिये मैं समझता हूँ कि यह सब-क्लॉज़ बहुत रिज़नेबल है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा २४ के अन्तर्गत जो उप धारा १४ में रखा है उसमें चुनावों में खड़े होने और बाद में सदस्य बनने के सम्बन्ध में सदस्य बनने की अयोग्यता है, उनको दिखाया गया है।

इन अयोग्यताओं के अन्तर्गत एक अयोग्यता रखी गई है और वह यह है कि जिस व्यक्ति पर नगरपालिका के ड्यूज़ हैं, टैक्सेज़ बाकी हैं, एक साल पूर्व उसको जो नोटिस दिया गया है एवं एक साल के अन्तर्गत उसने पेमेन्ट नहीं किया है तो वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है और यदि वह मेम्बर है तो मेम्बर भी नहीं रह सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चुनावों में खड़ा होना अलग सी बात है और मेम्बर रहना दूसरी बात है। इन दोनों बातों को अलग तरीके से देखना होगा। जहां तक चुनावों में खड़ा होना या वोट देने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है, संविधान ने यह गारन्टी दी है कि कोई भी नागरिक जो भारत देश के अन्तर्गत रहता है, किसी निर्वाचन में, चाहे वह नगरपालिका का हो, चाहे वह पंचायत का हो, चाहे वह असेम्बली का हो, और चाहे वह पार्लियामेन्ट का हो, उन निर्वाचनों में अपना वोट दे सकता है और उन चुनावों में खड़ा हो सकता है। इस पर संविधान कोई बाधा नहीं लगाता है कि वह किसी तरह से डिबार किया जा सके वोट देने से या चुनाव में खड़ा होने से। प्रश्न यह आता है कि किसी व्यक्ति में नगरपालिका के टैक्सेज़ या ड्यूज़ बाकी हैं, यदि वह नगरपालिका का सदस्य बन जाता है, उस स्थान का दुरुपयोग करते हुए ड्यूज़ देने में विलम्ब करेगा और संभव है आगे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वह उस स्थान का दुरुपयोग भी कर सकता है। यह बात समझ में आती है, लेकिन यह कोई गारन्टी नहीं है कि यदि वह चुनावों में खड़ा होगा तो निश्चित रूप से जीतेगा ही। चुनावों में खड़ा होना अलग बात है और चुनाव जीत कर मेम्बर रहना दूसरी बात है। इन दोनों को अलग अलग रूप से सोचना होगा। चुनाव में खड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि चुनाव में इसलिए खड़ा हो रहा हो और यह कल्पना हो कि वह जीत कर ही आ जायगा, इसलिए उस स्थान का दुरुपयोग करेगा। यह कल्पना करना भी ठीक नहीं है। यदि मेम्बर बन गया और वह उस स्थान का दुरुपयोग करेगा, यह दूसरी बात है, उसके लिए प्रतिबन्ध होना चाहिये। हम यह विचार करते हैं कि इस २४वीं धारा के अन्तर्गत यह प्रोविज़न रखा गया है कि चुनाव में खड़े होते समय उसमें ड्यूज़ बाकी हैं और एक साल के नोटिस देने पर भी एक साल के अन्तर्गत उसने जमा नहीं कराये हैं, इसलिए वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं, उस पर तो व्याघात होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सामने जो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण होना चाहिये, यह उसके भी प्रतिकूल पड़ता है, क्योंकि चुनाव में खड़ा होने मात्र से ड्यूज़ का पेमेन्ट नहीं होगा या जो धनराशि बाकी है वह उसको पे नहीं करेगा या उस स्थान का दुरुपयोग करेगा, यह कल्पना नहीं की जा सकती जब तक कि वह चुन कर न आ जाय। इसलिए ऐसा प्रतिबन्ध चुनाव के साथ रखना कोई न्यायसंगत बात नहीं है।

दूसरी बात आती है कि उसको एक साल के पहले नोटिस दिया गया तो यह उसके विचार में है भी या नहीं। कई माननीय सदस्यों ने बताया और कई जगह के उदाहरण दिये भी जा सकते हैं कि नगरपालिका का चेयरमैन या पदारूढ़ व्यक्ति यदि यह चाहता है कि अमुक व्यक्ति मेरे समकक्ष खड़ा हो कर चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह चुनाव चेयरमैनशिप के लिए हो या मेम्बरशिप के लिए हो, उसके पेरेलल खड़ा होने के डर से उसको डिबार करने के लिए, उसको अलग रखने के लिए इस प्रकार के हथकंडे उसके द्वारा अपनाये जा सकते हैं। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं कि नगरपालिकाओं की फाइलें की फाइलें बदल दी गई हैं और झूठे नोटिस दिये जाते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ ड्यूज़ बाकी होने का दावा किया जाता है नगरपालिका की ओर से, तो वह कहता है कि मेरे ऊपर कोई ड्यूज़ नहीं हैं। नोटिस जो उसको दिया जाता है उसके लिए भी मैं आपको अर्ज करूंगा। सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत भी अदालतों द्वारा नोटिस दिये जाते हैं और नगरपालिका का सिपाही भी नोटिस को चस्पा करने के लिए जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत दिये गये नोटिस में भी, हालांकि विधिवत् होने पर भी, कई खामियां रह जाती हैं, लेकिन जब नगरपालिका का सिपाही जाता है तो अमुक व्यक्ति के मकान के दरवाजे पर चिपका देता है और चिपकाया भी इस तरह से जाता है कि एक मिनिट बाद ही उसका पता नहीं लगता। उस व्यक्ति को इस हालत में यह पता नहीं लगता कि किस प्रकार का नोटिस दिया गया, लेकिन वह सिपाही तो लिख देगा कि फलां तारीख को नोटिस चस्पा किया। उस सिपाही का लिखा हुआ ही वेलिड माना जावेगा। इसलिए इस प्रकार

(श्री दयाकृष्ण विजय)

का प्रतिबन्ध रखना कि चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, एक प्रकार से अन्याय होगा और इस प्रकार से उसको चुनाव में खड़े होने से रोक देना बहुत ज्यादा गम्भीर बात है। उसको तो यह मालूम भी नहीं है कि उसके ऊपर इस प्रकार के ड्यूज हैं। जो व्यक्ति उनसे उस प्रकार से दुश्मनियां निकालना चाहते हैं, उनको डिबार करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं। जो राइट संविधान द्वारा उनको चुनाव में खड़ा होने का दिया गया है, उनको इस तरह से वे अलग रख सकते हैं और अलग रखने की साजिश भी हो सकती है। इस दृष्टिकोण से भी मैं निवेदन करूंगा कि यह धारा अनुपयुक्त है।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पूर्व वक्ता द्वारा यह बात कही गई कि यह तो सेंटीमेन्टल बात है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इसको सेंटीमेन्टल बात कहा जा रहा है यह सेंटीमेन्टल बात नहीं है। सेंटीमेन्टल बात तो वह हुई कि कोई धार्मिक बात हो और उसको उभाड़ा जा रहा हो। लेकिन यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा मोरल की बात कही जाय तो कहने वाले का उल्टा ज्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है, नैतिकता की बात कही जाती है तो उसी का ही मजाक उड़ाया जाता है। छल-कपट का हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अनुसंधान कर लेता है और उससे ज्यादा दुरुपयोग हुआ इसका। कानून बनते हैं इसलिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि उसका गलत उपयोग तो लोग नहीं करते हैं, बावजूद इसके कि लाभ मिल सकता है। आज लाभ गौण हो गया है और कानून में जो प्रोविज़न्स हैं, उनसे प्रकट होने वाले छल, कपट ज्यादा उभर आये हैं और लोग उनका ही ज्यादा आज उपयोग करते हैं। लोग आज ईमानदारी और नैतिकता की बात करना पसन्द नहीं करते, लोग तो दूसरों को गिराने की साजिश करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उनसे जो चीजें उत्पन्न हो सकती हैं कानून में, उनकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस धारा को डिलीट करने का जो संशोधन रखा है उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा से नुकसान ज्यादा है। जो व्यक्ति चुन कर आया है उसको कुछ समय देना चाहिये, दो महीने, तीन महीने का समय देना चाहिये, जिससे कि वह दो-तीन महीनों में, यदि उसके विरुद्ध कोई पेमेन्ट होना बाकी है तो पेमेन्ट कर सके और यदि वह पेमेन्ट नहीं करता है तो वह सियोमोटो अपनी सदस्यता से वंचित समझा जावेगा, ऐसा प्रोविजन आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रावधान से वह अपने आप डर से कि, पे नहीं करूंगा ड्यूज़ को तो सदस्यता से वंचित कर दिया जावेगा, पेमेन्ट कर देगा और जो शंका है वह भी दूर हो जावेगी। इससे कानून भी स्पष्ट हो जायगा कि जो व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य रहना चाहता है उस पर यदि कोई ड्यूज़ हैं, एरियर बाकी हैं, उसका दो-तीन महीने में पेमेन्ट नहीं हो जाता है तो वह सदस्य नहीं रह सकेगा, सदस्यता से अलग हो सकेगा। यह भय ही काफी है। लेकिन इस प्रकार का प्रावधान रखना कि वह चुनाव में ही खड़ा नहीं हो सकता, यह संविधान की अवहेलना करना है। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, उस व्यक्ति के प्रति अन्याय है और

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यह व्यावहारिक दृष्टि से भी मान्य नहीं कहा जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको डिलीट करने के पक्ष में हूं ।

(करतल-ध्वनि)

मेरा ख्याल है कि म्युनिसिपल कमेटी के ड्यूज़ और टैक्सेज़ क्या होते हैं, यह बात सदन में साफ हो जाय तो उसके बाद कोई शंका नहीं रहती है । टैक्सेज वे हैं जो म्युनिसिपल कमेटी को अदा करने के हैं, म्युनिसिपल कमेटी को लेने के अधिकार हैं । म्युनिसिपल कमेटी दान नहीं लेती किसी से । दान देना और नहीं देना यह देने वाले के हाथ में है । म्युनिसिपल कमेटी सर्विस देती है, म्युनिसिपल कमेटी के ड्यूज़ होते हैं उसके बदले में और उनको वसूल करने के लिए भी मशीनरी प्रोवाइड होती है । इसलिए उस आदमी पर, खड़े होने वाले पर इस प्रकार की डिसक्वालिफिकेशन लगाना एक गलत प्रथा होगी क्योंकि एक साधारण नागरिक के अधिकार वह भी रखता है । सिविल राइट्स और कानूनी अधिकार उसके भी अधिकार हैं । सिर्फ वह व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हुआ है इसलिए उस पर वह फोर्स हो जाय । जिस तरह के ड्यूज़ कहे गये हैं, वे ड्यूज़ हैं भी या नहीं, यह भी एक प्रश्न है । म्युनिसिपल कमेटी के पास ड्यूज़ को वसूल करने की मशीनरी रहती है, उसके लिए उस आदमी पर डिस्क्वालिफिकेशन लगाना कहां तक उचित होगा, मैं उसको न्यायसंगत नहीं समझता ।

लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ से बात उठायी गई है कि ड्यूज़ जिनमें बाकी हों, जिनमें कुछ आउटस्टेंडिंग हों, उनके बारे में ड्यूज़ कमेटी के सामने वे प्रश्न जाते हैं, उन पर निर्णय होता है, उनमें डिक्री भी हो सकती है और उन पर उनका सामान कुर्क भी किया जा सकता है । तो केवल इस आधार पर कि इसमें म्युनिसिपल ड्यूज़ बाकी हैं इसलिये इसको चुनाव में खड़ा न होने दिया जाय, यह उचित नहीं है । जिन लोगों में ड्यूज़ बाकी होते हैं, वे यदि म्युनिसिपल कौन्सिल में पहुंच जाते हैं तो कई मर्तबा यह कोशिश करते हैं कि उसमें कानूनी कार्यवाही नहीं हो सके और अपने पद का इस तरह से मिसयूज़ जरूर करते हैं । इस सिलसिले में एक आदमी को खड़ा होने के लिये डिस्क्वालिफिकेशन माना जाय तो यह नाजायज़ है । म्युनिसिपल कमेटीज़ को टैक्सेज़ लगाने की ताकत दी गई है, उसके अनुसार जिस किसी नागरिक में म्युनिसिपल ड्यूज़ हों, टैक्स बाकी हो, वह किसी मेहरबानी से म्युनिसिपेलिटी को देते नहीं, बल्कि म्युनिसिपल कमेटी जो सर्विस करती है, उसके जो ड्यूज़ होते हैं, उनको लेने का राइट्स हैं । यदि कोई नागरिक देता नहीं है, तो उसके खिलाफ दावा कर सकते हैं, अगर कोई ड्यूज़ नहीं देता है तो उसकी ज़मीन-जायदाद को नीलाम करके वसूल की जा सकती है । इस बारे में सब-सेक्शन (৮) को पढ़ कर सुनाता हूँ, जिसके शब्द हैं उनका मतलब मैं समझता हूं, माननीय मन्त्री मुझे समझा दें । वह है, साहब :

"Who holds any place of profit in the gift or disposal of the Board." क्या लैंग्वेज है, क्या भाषा है, इसका क्या मतलब है ? आप देखिये "Who holds any place of profit in the gift or disposal of the Board,"

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir, on a point of order. The House has already passed sub-clauss (5) of Clause 24, and now the Hon'ble. Member is reopening it for discussion of the House.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will realise it, he will kindly not open......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा क्वेश्चन यह था, जो मैं नोटिस में ला रहा हूं, सिर्फ मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। सांप निकल गया, केवल पूंछ पर मारामार हो रही है।

श्री श्रीमानसिंह : आप यदि किसी बात को समझते नहीं हैं तो उसका दोष सारे सदन पर थोड़े ही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसमें मैं भी शामिल हूं। मेरा तो यही निवेदन था कि सांप तो निकल गया, उसकी पूंछ पर मारामार हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : वह सांप नहीं रहा है, वह तो माननीय सदस्यों द्वारा पारित क्लॉज़ है।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir. Was any question put to the House by the Chair on sub-clause (5) ? I think no question has been put, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Sub-clause (5) had no amendments at the same time.

श्री अर्जुनदास : But no question has been put by the Chair whether we accept the sub-clause or not.

श्री उपाध्यक्ष : It will be put when clause 24 is taken.

श्री अर्जुनदास : Then it is open to the Hon'ble. Member to discuss it. The question has not even been put, therefore, he has a right to speak on it.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि सदन के कन्सीडरेशन के लिये मैंने उस क्लॉज़ का उद्धरण दिया, अब सदन के सोचने की बात है इस सारे मामले के अन्दर क्या निर्णय ले ? मान लीजिये, किसी म्युनिसिपल बोर्ड की एक फुट ज़मीन ऐसी है जो किसी के काम नहीं आती और बोर्ड उसके लिये निर्णय कर देता है कि फलां आदमी के यह एक फुट जमीन काम आ सकती है वह अपने उपयोग में ले सकता है। अगर वह ले लेता है उसके जिन्दगी भर जान पर आ जायगी, उसका फल उसको ही केवल भुगतना होगा यही बात नहीं, उसके बेटे-पोतों पर भी आ जायगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऑफिस ऑफ प्रोफिट अभी कोई तय हुआ नहीं है, ऐसी हालत में या तो माननीय मन्त्री, इसमें जो वर्ड्स यूज़ किये गये हैं उनको ठीक प्रकार से करके पुनः पेश कर सकते हैं, नहीं तो सरकार से अपील करूंगा कि वे मुझे इसका अर्थ समझा दे या दूसरा सब-क्लॉज़ इस पर रख दें।

४ म० प०

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २४ के सब-क्लॉज १४ पर दो संशोधन आये हैं, एक संशोधन तो श्री पी० के० चौधरी ने रखा है और दूसरा अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है। मैं एक संशोधन का तो समर्थन करता हूं और एक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस तरह की

(श्री चन्दनमल वैद)

दलील दी गई कि हर एक आदमी का यह फंडामेंन्टल राइट है कि वह किसी चुनाव में खड़ा हो सकता है और वोट दे सकता है। टैक्सेज यदि कोई पे नहीं करता है, किसी बोर्ड या गवर्नमेन्ट के टैक्सेज नहीं दे सका है तो मेरे ख्याल से उसे यह फंडामेन्टल राइट नहीं कि किसी संस्था के चुनाव के लिए उसे खड़ा होने दिया जाय। जो व्यक्ति जायज़ टैक्स भी देना नहीं चाहता, उसको किसी संस्था के चुनाव के लिए खड़ा होने दिया जाय, यह किसी भी देश के फंडामेन्टल राइट्स में नहीं आ सकता। अगर किसी बोर्ड या सरकार के टैक्स कोई पे नहीं करता है, उस पर अगर यह डिस्क्वालिफिकेशन लगाते हैं कि वह किसी बोर्ड के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता तो यह जायज़ और सही बात होगी। म्युनिसिपल बोर्ड और सरकार की तुलना हम नहीं कर सकते, विधान सभा की सदस्यता के लिए, पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए है, यदि कोई व्यक्ति टैक्सेज पे नहीं करता है तो भी इनकी सदस्यता के लिए खड़ा हो सकता है और मेम्बर बन सकता है। सरकार और म्युनिसिपल बोर्ड में फर्क है। सरकार को अधिकार जो मिले हुए हैं, वे म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं मिले हुए हैं। इस बारे में म्युनिसिपेलिटी की तुलना सरकार से करना गलत होगा। मेरा यह निवेदन है कि इस तरह से बन्दिश रखी जाय। जिस तरह का क्लॉज़ बना हुआ है उससे बड़ी गलतफहमी होगी। इसका इन्टरप्रिटेशन लिया गया है कि वह डिमान्ड मिलने के एक साल बाद नहीं दे। इसमें जो शब्दावली लिखी है उससे प्रकट यह नहीं होता है: 'who is in arrears in the payment of any tax or other dues in excess of one year's demand Demand mesns only tax. it does not mean notice. डिमान्ड नोटिस का मतलब नहीं। एक साल से ज्यादा का एरियर बाकी हो गया। मान लीजिए मुझ पर सन् १९५८ का टैक्स बाकी है, मुझे एक जनवरी, १९५९ तक टैक्स दे देना है, अगर दो जनवरी तक मैं नहीं देता, तो मेरे साथ में एक साल दो दिन का डिमान्ड हो गया। मुझे एक जनवरी को टैक्स दे देना चाहिए। Demand means only tax यह फ्रेज़ोलोजी गलत है। इसके जो वर्डिंग्ज़ हैं उनसे गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस वास्ते अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, वह ज्यादा वाजिब है। उसमें साफ लिखा हुआ है एक साल गुज़र जाय, इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स नहीं दिया है तो वह फिर चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। तो नोटिस देने के बाद १९५८ का मेरा केस एरियर में रहा। १९५७ का चुक गया। उसमें एक-दो दिन की भी देर हो गई, तो १९५७ का टैक्स मैंने नहीं दिया, ऐसा मान लेंगे और नोटिस आ जावेगा और इसके बाद एक साल गुजर गया मान कर कह देंगे, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। फिर एक बात और हो सकती है, मान लीजिये उसके पेमेन्ट में किसी को कोई शंका है और एतराज है और उसने उसको किसी सिविल कोर्ट में चैलेन्ज कर रक्खा है या करने जा रहा है तो भी उस को माफ नहीं किया जावेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जो, संशोधन रक्खा है वह बिल्कुल वाजिब है। वह सरकार की मंशा को भी पूरा कर देता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पंवार।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): इस संशोधन पर काफी गरमा-गरम बहस सदन में हुई है और मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

हर पहलू से देखा गया है पर फिर भी उचित पहलू से नहीं देखा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जनतान्त्रिक संस्थाओं में कौन सी चीज प्रतिबन्ध रूप में मानी जावे और कौन सी नहीं, इसके पीछे कुछ सिद्धान्त रहते हैं। अधिकतर बहस दो पक्षों की सुनी। कुछ का कहना यह था कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध होगा तो इसका दुरुपयोग होगा, यह एक दृष्टि हुई। इस दुरुपयोग को अगर रोका जा सके तो सुन्दर चीज होगी। दूसरों का कहना यह रहा कि ऐसा प्रतिबन्ध रहना चाहिये, नहीं तो कुछ सदस्य ऐसी विशेष परिस्थिति में होते हैं कि वे एक संस्था के सदस्य होने के बाद अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। यह भी एक दृष्टि है। पर प्रतिबन्ध का विचार इन दृष्टियों से नहीं चलता। एक सदस्य ऐसी सुन्दर परिस्थिति में है कि जिसकी निष्पक्षता में शक नहीं किया जा सकता, पर वह भी दुरुपयोग कर सकता है। तो इसलिये इस को इन दृष्टियों से नहीं देखा जा सकता। हमें इसके लिये इसका इतिहास देखना होगा कि इस प्रतिबन्ध की बात प्रारम्भ कहां से हुई और क्यों हुई? इसका प्रारम्भ इंग्लैंड के पार्लियामेंट के इतिहास से मिलता है। सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ सदस्यों के आचरण पर शंका हुई जिनको बादशाह खड़ा कर देता था और बाद में राजा का पक्ष लेकर वे हर बात वहां करते थे, तो इस पृष्ठ-भूमि में यह जरूरी समझा गया कि सदस्यों की कुछ क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये। दूसरा परिणाम यह रहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में या किसी भी पार्लियामेन्ट में जो भी सदस्य हों वे ओपन माइन्ड से किसी भी बात पर विचार कर सकते हैं या नहीं। कहीं उनका दिमाग बांधा हुआ तो नहीं है कि इस दृष्टि से हम यहां विचार करेंगे। यह बात देखने की है कि अगर उसकी ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन है कि जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी प्रश्न पर भी यह व्यक्ति खुले दिमाग से बहस नहीं कर सकेगा, वह हर किसी प्रश्न को विशेष प्रकार के चश्मे से ही देखेगा और निष्पक्ष विचार कर ही नहीं सकेगा तो उस पर निश्चय ही प्रतिबन्ध होना चाहिये। यह मेरी मान्यता है और इतिहास से उसे बल प्राप्त है। मगर इसके विपरीत कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें से अनेकों पर तो वह निष्पक्ष बुद्धि से विचार कर सकता है, पर एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिन पर वह निष्पक्ष बुद्धि से विचार नहीं कर सकता, क्योंकि उन एक या दो में उसको व्यक्तिगत दिलचस्पी है। ऐसे एक-दो मामलों को लेकर उसकी सदस्यता पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। हां, जिस समय वे विषय विचाराधीन हों उस समय उन पर इतना प्रतिबन्ध हो कि वे उस पर अपना वोट नहीं दे सकते तो यह की एक दृष्टि है। तो इन दृष्टियों से हमें इस प्रश्न को भी देखना है। क्या वह व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सा टैक्स न देने के कारण, अगर सदस्य बन कर आ गया तो किसी भी प्रश्न पर निष्पक्षता से विचार नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें टैक्स बाकी है, इसलिये उसकी बुद्धि पर इतना असर हो गया है कि अन्य सभी प्रश्नों पर वह निष्पक्षता से विचार ही नहीं कर सकता? कहां रोशनी होनी चाहिये, कहां स्कूल खुलना चाहिये, कहां डिस्पेन्सरी खुलनी चाहिये, कहां सड़क बननी चाहिये, कहां नल लगना चाहिये और अन्य जनता की सहूलियत की कहां क्या व्यवस्था होनी चाहिये, ऐसे जितने प्रश्न हैं उन पर चूंकि टैक्स उस पर ड्यू है इसलिये वह निष्पक्ष बुद्धि से इन में से किसी भी प्रश्न पर निष्पक्ष बुद्धि से

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

विचार करने वाला नहीं रहा, ऐसी बात मानी नहीं जा सकती। टैक्स का बाकी रहना ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कि जिससे उसकी बुद्धि निष्पक्ष ही न रहे, यह माना नहीं जा सकता। हां, यह माना जा सकता है कि उसके टैक्स के मामले को लेकर कोई प्रश्न अगर वहां आता है तो उसको उसमें भाग नहीं लेने देना चाहिये, उसमें उसको वोट नहीं देना चाहिये, यह प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

अब कहा गया कि पार्लियामेन्ट और विधान सभा में इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है, तो इसके पीछे सिद्धान्त यही है। किसी आदमी ने इन्कम टैक्स नहीं दिया तो इसी पर आप उसकी बुद्धि को शंकित दृष्टि से नहीं देख सकते। आप यह नहीं कह सकते कि पार्लियामेन्ट में आने वाले हर मामले पर वह स्वतन्त्रता से विचार नहीं कर सकता। क्योंकि हम ऐसा नहीं मान सकते, इसलिये ऐसा प्रतिबन्ध वहां नहीं लगाया गया। तो इसमें इतना मात्र काफी है कि जिन पर टैक्स ड्यू है, उनसे सम्बन्धित प्रश्न जब भी म्युनिसिपल बोर्ड के सामने आवें तो वे वोट न दे सकें। ऐसा उसमें है भी।

श्री अर्जुनदास : क्लॉज़ ६३.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : तो अगर ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया तो प्रजातन्त्र के स्थापित सिद्धान्तों के विपरीत यह चीज़ होगी।

मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रुपये-पैसे की बन्दिश गलत चीज है। पर यह एक सीमा तक सही मानी जा सकती है कि किसी आदमी पर टैक्स चढ़ा हुआ है और वह इस परिस्थिति में नहीं है कि तुरन्त चुका सके, तो ऐसी हालत में स्वतः उस मसले पर उसका वोट देना फोरफीट हो जाता है। उसका भी मेरे ख्याल से कानून में जरूर प्रोविज़न होगा। तो उसको उस वोट देने से रोका जाने तक ही सीमित रखना चाहिये- यह सोचा जा सकता है कि यह किसी दूसरी स्टेट या स्टेटों से लिया गया हो। अगर ऐसा किया गया है तो मैं समझता हूं कि यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। अगर कोई गलत परम्परा या गलत चीज हम मानते हैं तो उसे नहीं मानना चाहिये। तो मेरी इस सदन से यही अपील है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जावे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किये हैं मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं दोनों संशोधनों का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आया कि इन आर्ग्युमेन्ट्स की यहां क्या आवश्यकता थी कि अगर किसी में कुछ टैक्स ड्यू है, तो यह माना जावे कि उसकी बाकी के सवालों पर कोई निष्पक्ष विचार करने की बुद्धि नहीं रह जावेगी। उसके बाद एक बहुत अच्छा भाषण हुआ जिसमें सिद्धान्त की बात कही गई और दूसरे आर्ग्युमेन्ट्स दिये गये। तीसरा आर्ग्युमेन्ट यह दिया गया कि अगर यह सब - क्लॉज रहा तो अच्छे और पॉपुलर लोग नहीं आ सकते। एक ने यह भी कहा कि यह वोटिंग राइट पर भी आघात करता है। फिर एक माननीय सदस्य ने यह भी रखा कि टैक्स पे नहीं करने से या एरियर होने से किसी सदस्य की विज़न डिस्टोर्ट नहीं होती। तो उसको भी सदस्य बनने के राइट्स होने चाहिये और ऐसे सदस्य मसले पर अच्छी तरह से सोच सकते हैं और

(श्री श्रीभानसिंह)

जब उस पर इवेज़न का सवाल आया है, जहां कि टैक्सेज़ एरियर में हैं तो वहां पर उनको डिबार कर दिया जाये, तो इसमें न तो कोई सिद्धांत इन्वोल्व है और न यह जनतांत्रिक परम्परा के अनुकूल है। मगर राइट्स एन्ड ड्यूटीज़ का सवाल आता है तो भारत के संविधान में जो फन्डामेन्टल राइट्स दिए हुए हैं, उनको आप एक्सर्साइज़ करना चाहते हैं, लेकिन जहां आपके राइट्स हैं वहां कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। सबसे पहले ड्यूटी यह है कि जो टैक्सेज़ गवर्नमेन्ट के द्वारा या उसकी किसी संस्था के द्वारा लेजीटिमेटली लेवी किये जायें उनको आप पे करें। आप एक इन्स्टिट्यूशन को इन्वोल्व करना चाहते हैं, लिटिगेशन के अन्दर कि वह सिविल कोर्ट में जाये और दावा करें और दावा करके अपने राइट्स को एस्टेब्लिश करें, उस पर आप शंका करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि इसके अन्दर दुरुपयोग की बात नहीं है। क्योंकि इसके अन्दर एक क्लॉज़ है जिसके अन्दर डिसक्वालिफिकेशन की पॉवर्स हैं, वह चेयरमैन पर नहीं रखी हैं। वो पॉवर्स रखी हैं स्टेट गवर्नमेन्ट पर। तो स्टेट गवर्नमेन्ट भी उसका दुरुपयोग करेगी, यह भी कहा जा सकता है मगर जो माननीय सदस्यों ने आर्ग्युमेन्ट्स दिये थे, वे ये थे कि इन पॉवर्स का दुरुपयोग चेयरमैन कर सकता है, तो वह चेयरमैन नहीं कर सकता। रहा सवाल यह कि कोई टैक्स किसी इन्डिविजुअल पर लेजीटिमेटली असेस होता है, तो जो असेसमेन्ट की प्रोसीडिंग्स दी हुई हैं कि कितना उसको टाइम दिया जायेगा, किस तरह वह असेस किया जायेगा, कब जाकर वह टैक्स जायज़ समझा जायेगा और कब तक वह एक्शन नहीं लें? जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब आपके फन्डामेन्टल राइट्स हैं to seek election and to vote in election तो आपके ये फन्डामेन्टल राइट्स नहीं हो सकते to evade taxes. आप एक तरफ तो सिविल एमीनिटीज़ चाहते हैं और वह इस हद तक चाहते हैं कि उसके लिए आप विलायत तक का स्टेन्डर्ड चाहते हैं और दूसरी तरफ, मुझे कहने में झिझक नहीं है कि, टैक्स इवेज़न को ट्रीट करें कि वह नेशनल क्राइम है। टैक्स लेवी करने के पश्चात् जो फायदे उनसे होते हैं, उनसे पूरा फायदा उठाते हैं और टैक्स पे नहीं करते हैं, तो वह सबसे ज्यादा नेशन के अगेन्स्ट क्राइम करते हैं........

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Supposing...

श्री श्रीभानसिंह : It is not supposing, it is a fact. टैक्स को वे एरियर में रखते हैं और पे नहीं करते और फिर अपने राइट्स एक्सर्साइज़ करना चाहते हैं और वह फिर मेम्बर बनना चाहते हैं और खड़े होते हैं to have a broader vision और इसके साथ जोड़ा जाय they will not have a broader vision, but the most narrow and parochial vision. They will come to the Board not in order to serve their own interest वह सबसे बड़ा सेल्फिश इन्ट्रेस्ट होगा। वह बोर्ड के ऊपर इन्फ्लुएन्स करेंगे कि वह टैक्स माफ करायें, जो पेपर्स हैं उनको डिस्टोर्ट करें और फिर पेपर्स को डिस्टोर्ट करके पोज़ीशन का जो मिसएडवान्टेज़ उठाया है या एडवान्टेज़ उठाया है उसको उठाकर यह चाहें कि हम लोकल इन्स्टिट्यूशन्स के मेम्बर भी हो सकें और मेम्बरशिप कन्टिन्यू भी कर सकें। यह आर्ग्युमेन्ट कैसे हो सकता है? He will serve his own interest and that self-interes will be paramount. तो टैक्स पे

Page No.94

(श्री श्रीमानसिंह)

करने में और एरियर पे करने में where did that honesty go when taxes were to be paid, उनको इवेड करने में तो he is the most honest man और वहां पर जाकर he will be most honest यानी what is the criteria of honesty ? जो एक लोकल सेल्फ इन्स्टिट्यूशन टैक्स लेवी करती है, उसको कोई इवेड करता है then how can he claim to be honest ? Certainly I will be one to doubt his honesty and I will have no hesitation to say that he is neither honest to himself nor to the institution under which he wants to serve that area. फिर ऑनेस्टी कहां गई ? ऑनेस्टी का कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए । क्योंकि राइट्स हम चाहते हैं तो उसके बाद हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, उनको भी तो हमें फुलफिल करना चाहिए । उनको तो हम फुलफिल नहीं करना चाहते हैं, ऑनेस्टी का कोई क्राइटेरिया नहीं, फिर भी हम कह दें कि उसका बेस्ट विज़न है । या तो फिर बेस्ट विज़न का इन्टरप्रिटेशन हमारा गलत है कि बेस्ट विज़न उन्हीं की हो सकती है कि जो यह जानते हुए कि हमारी स्वायत्त शासन संस्थाएं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हैं, आज उनको पैसे की जरूरत है, उनकी इन्कम बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे ही व्यक्ति पहुँचे जो कि इन्कम के लिए घातक हों जिनके ऊपर टैक्स का एरियर हो और वह व्यक्ति जाकर संस्थाओं में भर जाते हैं तो वह लोकल इन्स्टिट्यूशन्स फंक्शन कैसे कर सकती हैं ? प्रोपर्टी राइट्स की पहले एग्ज़ाम्पल दी गई । मैं मानता हूँ लेकिन इसके अन्दर कोई प्रोपर्टी राइट्स पर असर नहीं है । इसके अन्दर तो यहां म्युनिसिपेलिटी के जो टैक्सेज़ हैं और जो एरियर हैं जो आपकी प्रोपर्टी पर असेस किया है, गरीब आदमी पर यह असेस नहीं होगा, यह टैक्स तो प्रोपर्टी ओनर पर ही असेस होगा, जो आदमी पे कर सकते हैं उन पर यह होगा । अब एरियर ज्यादातर कौन करेगा ? एरियर ज्यादातर मेम्बर करेंगे । एक मेम्बर के पीछे जो सर्किल होगा जिसे साइकोफेंस का सर्किल कहा जाए उन पर यह एरियर होगा । बोर्ड के मेम्बर कहेंगे आज यह चीज भेज दीजिए, वह चीज भेज दीजिए और जो लेजिटिमेन्ट चार्जेज बोर्ड भेजेगा उसको वह पे नहीं करेगा, क्योंकि उनके सपोर्टर्स बोर्ड में बैठे हुए हैं । अगर ऐसे ही सदस्य बोर्ड में पहुँच गए तो लोकल सेल्फ संस्थाएं कभी रिप्रज़ेन्टेटिव इन्स्टिट्यूशन्स नहीं होंगी और उसको तो मैं कहूंगा it is a partnership of dacoits, a partnership of gangesters, who have sworn not to pay taxes and to evade taxes, to sabotage the very institutions for which they have taken oath or affirmation to serve it for the betterment of that area तो ऐसे आदमी जब वहां पहुंचेंगे और फिर भी हम कहें कि दुरुपयोग कर लिया जाएगा, यह सिद्धांत के खिलाफ है । जनतंत्र का सिद्धान्त यह है और तब-तक ही आपकी डेमोक्रेसी चलेगी आपके देश में, जब तक कि आप ऑनेस्ट रहेंगे और ऑनेस्टी में सबसे पहले यह चीज आती है कि जो नेशन के नेशनल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, जिनसे हम पूरा फायदा उठाते हैं, जो लेजिटिमेट टैक्स वह लेवी करती हैं, हम उनको पे करते जाएं और उनसे हम दूसरी तरफ फायदा लेते जायं । मगर इवेड करने का सिद्धांत मान लेंगे और इसे जनतांत्रिक परम्परा मान लेंगे तो कम से कम यहां तो ऐसा जनतंत्र नहीं होना चाहिए । क्योंकि विलायत के अन्दर

(श्री श्रीमानसिंह).

मैं नहीं समझता कि ऐसा होता है। वहां की किसी भी लोकल इन्स्टिट्यूशन में जाकर देखिये, हरएक में यह प्रोविज़न मिलेगा कि जिस लोकल इन्स्टिट्यूशन में किसी का कोई इन्ट्रेस्ट हो या इम्पलाइड इन्ट्रेस्ट हो, किसी तरह का भी अगर इन्ट्रेस्ट इनवोल्व हो, उस आदमी को डिबार किया जाय कि न वह मेम्बर बन सकेगा और न वह खड़ा हो सकेगा। तो सीधा सिद्धान्त है कि जिस आदमी ने साल भर तक टैक्स को इवेड किया, उसको नोटिस दिया गया और वह नोटिस को नज़रंदाज करता गया। भरतपुर की एक मिसाल दी, तो वहाँ तो किसी तरह से भी जा सकता है, बाई पोस्टल आॅर्डर जा सकता है या नोटिस लेजिटिमेटली दिया जा सकता है। दूसरी मिसाल यह हो सकती है कि चेयरमैन गलत दे दे, मगर यहां तो स्टेट गवर्नमेन्ट को पॉवर्स हैं। तो क्या क्राइटेरिया है यह कहने का कि उस आदमी ने साल भर तक इवेड किया? मगर हम यह आर्ग्युमेंट्स लगाते हैं इन्स्टिट्यूशन्स पर कि वे नोटिस देंगी, उनको प्रोपर नोटिस सर्व नहीं करेंगी। दूसरी तरफ यह हो सकता है कि वह आदमी इवेड करता है। यह एक सिम्पल चीज है और जनतान्त्रिक सिद्धान्त है कि अगर कोई टैक्स इवेड करता है तो वह नेशनल क्राइम करता है और जो एरियर्स पे नहीं करता है तो वह भी क्राइम करता है और उस आदमी के हाथ में पॉवर दी जाती है for that man to become a tyrant. यह पॉवर दी जाती है कि जो कोई भी इस एक्ट के अन्दर म्युनिसिपेलिटीज़ की पॉवर्स और फेसिलिटीज़ हैं, उनका सिम्पली इतना दुरुपयोग करे, इतना सिम्पल दुरुपयोग करे कि जितने भी टैक्सेज़ और एरियर्स हैं, इनको इन्फ्लूएन्स करके माफ करा ले। This is the only purpose कि कोई आदमी उसका मेम्बर बनेगा, तो वह मेम्बर सेवा करने के लिए नहीं बनने का है। उसका पहला एम यह होगा कि मुझ पर हजार या दो हजार का एरियर है वह किसी तरह माफ करा ले और कराने के बाद शायद बगुलाभगत की तरह सेवा में लगा रहे, तो वह कोई जनता की सेवा नहीं करेगा। सेवा तो सबसे बड़ी वह स्वयं की करेगा और स्वयं की सेवा यह होगी कि अपने पर जो टैक्स और एरियर्स हैं उनको माफ करा ले।

यह लेजिटिमेट क्लॉज है कि पहले उसको डिबार किया जाय। जिसने टैक्स पे नहीं किया है, वह इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। टैक्सेज़ एज़ ए मेम्बर इवेड करता है, टैक्सेज़ को इवेड करता है और एरियर्स को पे नहीं करता है और म्युनिसिपेलिटीज़ की जो इन्न्यूमरेबल सर्विसेज़ हैं, उनका फायदा उठाता है और फायदे की एवज में जो कुछ भी एरियर्स निकलते हैं, उनको स्वयं एक म्युनिसिपल मेम्बर पे नहीं करता है, तो उन मेम्बर्स को मेम्बर नहीं रहने देना चाहिए। यह सिम्पल डेमोक्रेटिक या जिसको कहा जाय कि बेस्ट प्रिन्सिपल जो हो सकता है डेमोक्रेसी के फंक्शन करने का या डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन के फंक्शन करने का, या कोई आदमी यह क्लेम करे कि मेरे जो फन्डामेन्टल बेसिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के राइट्स हैं, तो उसको राइट एक्सर्साइज़ करने का है, सारे प्रिन्सिपल्स, राइट्स, ड्यूटीज, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स, ये सब चीजें इस सब-क्लॉज़ में इन्कोरपोरेट की गई हैं। इसलिए दोनों संशोधनों को, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कि, एक्सेप्ट नहीं करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने ईमानदारी की परिभाषा बतलाई और ईमानदारी के नाम पर काफी बड़ी दलील दी। आजकल ईमानदार आदमी वह है जो कि जान-बूझ कर टैक्स को इवेड करता है। तो आपने उसे तोड़-मरोड़ कर रखने की कोशिश की। जिन माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, उनकी भावना में न इवेज़न का सवाल था, न डिसऑनेस्टी का सवाल था, न बेईमानी का सवाल था, न टैक्स न देने की भावना का सवाल था। यह तो एक व्यक्ति-विशेष की बात थी, जो कि म्युनिसिपल कमेटी, नगरपालिका के लिए खड़ा होना चाहता है, उसने नोमिनेशन पेपर्स फाइल किया है, उस समय अचानक उसे मालूम होता है कि उससे कुछ टैक्स, जो म्युनिसिपल कमेटी ने मांगा था जो कि उसे मालूम नहीं था, बकाया रह गया है, इसलिए उसका नोमीनेशन पेपर रिजेक्ट किया जाता है। उसके आगे क्लॉज साफ है कि म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर हो जाने के बाद रह नहीं सकता है बकाया। लेकिन जब इस बात पर इतना जोर दिया जा रहा है कि सरकार द्वारा उस आदमी को डिबार किया जा रहा है, जिस आदमी का कोई इन्टेन्शन नहीं है, क्योंकि एक छोटी-मोटी बात आदमी के ध्यान में नहीं रहती है। जान-बूझ कर इस प्रकार का आरोप भी लगा देते हैं। मैंने एक घटना स्वयं देखी है कि म्युनिसिपेलिटी के अन्दर मेम्बर लोगों का, जिनमें कुछ ड्यूज थे, जब वोट ऑफ नो कोन्फीडेन्स का रिज़ोल्युशन आया था, उस समय नोटिस दे दिया गया और उनको डिस्क्वालिफाई कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। उनको कैसा और किस बात का टैक्स है, यह सवाल करने का भी अधिकार नहीं दिया गया और उस प्रोविज़न का फायदा उठाया गया। सवाल यह था कि जो इवेज़न नहीं करता है, जिसका इरादा नहीं है, अगर कोई आदमी इस प्रकार से डिबार कर दिया जाय, अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाय, तो अब आपने उसे अधिकारों की रक्षा के लिए क्या बताया ? कर्तव्य और अधिकारों की बात याद दिलाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस बात का कर्तव्य पालन करते हुए भी उसको मालूम नहीं "who is in arrears in the payment of tax or other dues in excess of one years' demand." अगर ऐसा मालूम हो कि टैक्स जान-बूझ कर नहीं दिया गया है तो उसके लिए दूसरा प्रोसिस खुला है। आप यह समझते हैं कि वह टैक्स देने वाला नहीं है तो उसकी प्रोपर्टी या वैल्थ पर अटैचमेंट करके उसको वसूल किया जा सकता है। सिर्फ एक टैक्स नहीं देने की वजह से उसको कह दिया जाय कि नोमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिया गया। जिस वक्त मेम्बर या कोई सदस्य अपना नोमीनेशन पेपर फाइल करे, उसको इस कारण विशेष से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाय, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात थी, लेकिन बात का बतंगड़ बनाया जा सकता है, लम्बा-चौड़ा खींचा जा सकता है कि यह डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल है, सिद्धान्त है और मुख्य सिद्धान्त है। ऐसे मामलों में छोटी छोटी टैक्निक्लटीज़ को लेकर उस नोमिनेशन पेपर को रद्द किया जाय और कहा जाय कि साहब इस तरह की पॉलिसी हो। लेकिन यह पॉलिसी प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है कि मामूली सी बात के लिए किसी व्यक्ति-विशेष की सेवाओं से, जो वह म्युनिसिपेलिटी को देना चाहता है, जनता को वंचित किया जाय। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे आदमी काम के बीच में इतने लदे हुए होते हैं कि

(श्री मूलचन्द डागा)

उनको छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रहता है, अगर उनको ध्यान दिलाया जाय तो वे बकाया टैक्स जमा करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको मालूम नहीं है कि आपके घर में कौन आता है और कौन जाता है ?

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : I think that is subject to his challenge.

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो यह समझता हूँ कि वे बड़े बिजी होते हैं। उनको बहुत काम होता है तो उनको यह छोटी-छोटी बातों का म्युनिसिपेलिटी का टैक्स दिया गया या नहीं, ध्यान नहीं रहता है। अन्यथा वे अपने आप काम कर लिया करते हैं, अगर आप नोटिस दे दें तो। कोई एम० एल० ए० इन बातों का ध्यान रखता है तो टैक्स अपने आप दे दिया जायगा। आखिर में एक म्युनिसिपल मेम्बर के नाते जो खड़ा होता है, उस पर म्युनिसिपेलिटी का बकाया टैक्स है तो उसे आप कहते हैं कि you are disqualified, तो यह मखौल होगा प्रजातन्त्र के सिद्धान्त का। मैं समझता हूँ कि आप आइडेन्टी कार्ड नहीं लेकर आये तो अन्दर नहीं जा पायेंगे। छोटी छोटी बातों के लिए आप ऐसा प्रोविजन रखना चाहते हैं, इस प्रकार बातें रखना चाहते हैं अगर वे बातें हैं तो वे ईमानदार होंगे और अगर यह रह जायगा तो सब बेईमान ही बेईमान रह जायेंगे। इस क्लॉज को डिलीट नहीं किया जायगा।

श्रीज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आपके मार्फत बात करनी चाहिए। उनके सीधी बात करने पर मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी और मेरी आंखें बराबर मिलती जा रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : एक महोदय ने बतलाया कि वे डाकू हैं या चोर हैं, जो उसमें घुस गये हैं और जितनी सारी उनकी भाषा थी, वह सारी खर्च कर दी और टैक्सेशन की सारी पॉलिसी ले डाउन कर दी। मैं समझता हूँ कि इसमें छोटी सी बात यह थी कि इसके अन्दर से यह डिलीट कर देना चाहिए, ताकि एक टेक्निकल ओब्जेक्शन के लिए वह डिस्क्वालिफाइड न हो जाय। सवाल सीधा यह था, ऐसा मैं समझता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सब-क्लॉज़ पर काफी बहस-मुबाहसा हो चुका है। मैं समझता हूँ, जितनी दलीलें दी गई हैं, उनके पीछे यह तथ्य नहीं हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ कि वाकई टैक्स न देने वाला भी डिस्क्वालिफाई न हो। जिन माननीय सदस्यों ने अमेन्डमेन्ट रखा है, जो माननीय सदस्य उसके सपोर्ट में बोले हैं, उनकी दलील यह नहीं थी कि अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया है, नोटिस सर्व होने के एक साल बाद तक भी, तो उसको डिस्क्वालिफाइड न माना जाय, यह दलील उनकी नहीं थी। बल्कि बहस यह यह थी कि इस प्रोविजन का दुरुपयोग होने वाला है, मेम्बर या चेयरमैन बनने से पहले या बाद में। वैसे माननीय सदस्य इस बात को मानते हैं कि सिद्धान्त ठीक है। टैक्स न देने वाला आदमी टैक्स को इवेड करता है और एक साल तक बकाया रखता है और डिमान्ड नोट की कोई परवाह नहीं करता है तो वह चुनाव के लिये क्वालिफाई न होना चाहिये, यह बात सब मानते हैं। लेकिन क्योंकि इसका दुरुपयोग होने वाला है,

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इसलिये इसे हटाना चाहिये, सारी दलील यह है।

अब सवाल यह है कि इसका दुरुपयोग कैसे होगा? पहले का जो राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट है, उसमें प्रोविज़न है कि यदि किसी के जिम्मे तीन-चार महीनों से टैक्स बकाया है, तो ipso facto he will be debarred. हालांकि लिबरली देखते हैं तो तीन-चार महीनों तक सूचना नहीं हुई और कह दिया कि तुम्हारे जिम्मे टैक्स है, इसलिये डिसक्वालिफाई कर दिया। लेकिन जो मौजूदा एक्ट में प्रोविज़न है वह इसमें नहीं रखा है। लेकिन किसी को इस तरह की शिकायत होगी तो गवर्नमेन्ट के सामने उसका मामला जायगा, फिर उसको नोटिस सर्व होगा, १९३ में इसके लिये प्रोविज़न रखा है और वह अपना एतराज पेश करेगा और उसके बाद में प्रोविज़न रखा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्रोविज़न कहां रखा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके बाद में प्रोविजो रखा है क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ (डी) में। डिसक्वालिफिकेशन रिमूव हो जायगी, यानी यदि किसी चेयरमैन ने किसी के खिलाफ ड्यूज़ निकाली और उसको कहता है कि तुम डिसक्वालिफाई हो तो वह गवर्नमेन्ट के सामने आयगा और वाकई उसमें ड्यूज़ नहीं हैं तो मेम्बर बनने में दिक्कत नहीं आने वाली है।

अब सवाल यह है कि मेम्बरशिप के लिये एक आदमी फॉर्म भरता है उस समय दिक्कत आने वाली है। उसके बारे में निवेदन है कि यह मामला भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आने वाला है कि वाकई एक साल से उसके अन्दर ड्यूज़ बकाया हैं या नहीं। जैसे मैं फॉर्म भरता हूं और कोई आदमी शिकायत करता है कि मेरे में म्युनिसिपेलिटीज़ के ड्यूज़ हैं और डिमान्ड नोट के बावजूद भी जमा नहीं कराया है, तो यह सवाल भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जायगा और वह तय करेगा कि यह केस डिसक्वालिफिकेशन में आता है या नहीं। आम तौर से रिटर्निंग ऑफिसर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट या सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं और वे डिसाइड करेंगे कि इस आदमी में कोई एरियर बकाया है या नहीं और यदि है तो एक साल पुराना है या नहीं या उसने दे दिया है? ये तीनों बातें रिटर्निंग ऑफिसर देखेगा और फिर डिसाइड करेगा और उसके बाद भी यदि कोई बात होती है और जायज तौर पर पेमेन्ट नहीं किया है तो he should be removed from membership......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of information, Sir, जायज है या नहीं डिमान्ड, इसको रिटर्निंग ऑफिसर कैसे तय करेगा? डिमान्ड है या नहीं इसको तो वह देख लेगा, लेकिन जायज है या नहीं इसको वह कैसे तय करेगा? How he will go through it?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें लैंग्वेज़ है "who is in arrears in the payment or any tax or other dues in excess of one year's demand."

मान लीजिये रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है और थर्ड आदमी कहता है कि उसमें टैक्स बकाया है और वह कहता है कि मेरे जिम्मे तो बकाया नहीं है, मैंने तो पेमेन्ट कर दिया तो, पहले तो वह रिटर्निंग ऑफिसर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तय करेगा कि उसमें टैक्स बकाया था या नहीं और अगर था तो उसने पेमेन्ट कर दिया या नहीं, इन दोनों बातों को वह देखेगा।

श्री अर्जुनदास : How about other dues ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओब्जेक्शन पेश करने वाले को साबित करना पड़ेगा कि इसके खिलाफ बकाया है या नहीं। यदि मुझमें बकाया है तो मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरे में बकाया है, लेकिन शिकायत करने वाले को साबित करना पड़ेगा। वह रेकार्ड पेश करायगा या किसी भी तरह से साबित करेगा कि डिमान्ड नोट दिया गया था, लेकिन इसने पेमेन्ट नहीं किया, इसलिये इसको डिबार किया जाय। इसके बाद में मुझे कहने का मौका मिलेगा कि डिमान्ड नोट की बात गलत है, मैंने तो पेमेन्ट कर दिया है। इन सब बातों की जांच करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर यह तय करेगा कि डिसक्वालिफिकेशन की बात जायज है या नहीं। इसलिये इसमें मिसयूज होने की गुंजाइश नहीं है। धारा १४२ में नोटिस ऑफ डिमान्ड का प्रोविजन रखा है और नोटिस ऑफ डिमान्ड सर्व होने से पहले उसको एक बिल दिया जाता है, धारा १४१ की तहत, इस पर भी अगर वह पेमेन्ट नहीं करता है तो उसके बाद में दुबारा नोटिस ऑफ डिमान्ड दिया जाता है और उसके बाद भी उसको पूरे एक साल का मौका दिया जाता है ड्यूज जमा कराने के लिये और उसके बाद में डिसक्वालिफिकेशन की बात आती है। इसलिये इसके मिसयूज होने की बात नहीं है। मेरे सामने भी कुछ शिकायतें आई, कुछ केसेज आये, जिनकी अपील चल रही है, जैसे भरतपुर के केस के बारे में अभी यहां कहा गया। लेकिन इस एक्ट में यह बात नहीं है

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैटर कोर्ट में चलाया जाय और साल भर बीत जाय तो क्या होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस दिन आपको जरूरत पड़े आप जमा करा दीजिये, अगर आप में ड्यूज नहीं हैं यह कोर्ट तय कर देता है तो बाद में भी आपको वापिस मिल जायेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : झूठा ही कैसे जमा करा दें ?

श्री आबिदअली : कोर्ट स्टे ऑर्डर दे सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: कोर्ट भी स्टे ऑर्डर दे सकता है। यही प्रोविजन यू० पी० के एक्ट में भी मौजूद है और दूसरी जगह भी है। टैक्स न देने वाला आदमी यदि इवेड कर रहा है, उसको यदि प्रोटेक्शन देने की बात आपके दिमाग में है तो मुझे कुछ नहीं कहना है और यदि दुरुपयोग की बात है तो मैं अदब से अर्ज करूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On the point of information, Sir, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चहाता हूं और वह यह कि किसी आदमी ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवा लिया है उसको कम्पाउन्ड करने की ताकत खुद कमेटी देती है यानि उन्होंने इस केस का एक हजार रुपये में कम्पाउन्ड कर दिया और उसके बाद डिमान्ड नोट दिया, यानि एक आदमी ने केस कम्पाउन्ड किया, लेकिन उसने रुपये जमा नहीं कराये....

Page No.100

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो समझ गये, आगे चलिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक मामले को कम्पाउन्ड कर दिया और म्युनिसिपेलिटी ने कह दिया कि तुमने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करा लिया है उसके बदले में हजार रुपये म्युनिसिपेलिटी को दे दो और कन्स्ट्रक्शन को वैसे ही बना रहने दो, हम इसे माफ कर देंगे, तो इसके लिये यह जायज है या नाजायज यह बात रिटर्निंग ऑफिसर कैसे कहेगा । किसी सदस्य के रिमूवल की पॉवर्स आपके पास हैं, आप उसको किसी भी समय रिमूव कर सकते हैं लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर यदि यह तय करे कि यह ड्यूज जायज है या नाजायज तब तो उसको सिविल केस की तरह प्रोसीड होना पड़ेगा और इसमें टाइम लगेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केस को कम्पाउन्ड करने की बात का जहां तक ताल्लुक है उसमें दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, तभी कम्पाउन्ड होता है । यदि किसी केस को कम्पाउन्ड करता है तब तो उसकी ड्यूटी ज्यादा हो जाती कि वह उसका पेमेन्ट करे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कम्पाउन्ड का अमाउन्ट चेयरमैन ने तय कर दिया ।

श्री आबिदअली : कम्पाउन्ड के मायने यह हैं ।

श्री अर्जुनदास : Is there any provision under which the Returning Officer has the powers to decide whether the amount is really due or not ?

श्री आबिदअली : There is no need for such a provision.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिटर्निंग ऑफिसर यह डिसाइड करेगा कि उसके जिम्मे कोई एरियर है या नहीं ।

श्री अर्जुनदास : No, no, he will not decide. You have not tried to understand......

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Member has right of reply. So let the Hon. 'ble Minister continue.

श्री अर्जुनदास : I am putting him wiser.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! No more informations are to be sought from the Hon. ble Minister-in-charge of the Bill. He will continue his debate.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्यों से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये अदब से अर्ज करूंगा कि जब यह सवाल पैदा होगा कि उसके जिम्मे एरियर ऑफ पेमेन्ट है तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उसको कहने का अधिकार होगा कि मेरे जिम्मे कोई एरियर नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन......

श्री उपाध्यक्ष : Order please. !

श्री अर्जुनदास : If there is a provision let him say it.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! You have the right to reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जब कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा होता है, मैंने भी बहुत से

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इलेक्शन्स लड़े हैं, माननीय सदस्यों को भी बहुत से इलेक्शन्स का अनुभव है, जब कभी कोई केन्डीडेट फॉर्म भरता है, उसके अगेन्स्ट कोई आदमी ऑब्जेक्शन करता है कि इस वज़ह से यह डिसक्वालिफाइड है, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि यह इस तरह डिसक्वालिफाइड है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। जिस पार्टी का कोई केन्डीडेट खड़ा हुआ है और उसके खिलाफ किसी ने ऑब्जेक्शन किया है कि उसके अन्दर इतनी रकम बकाया है, इसलिये वह डिसक्वालिफाइड है, तो वह यह कहने का अधिकारी है कि मेरे जिम्मे कोई रकम बकाया नहीं है और सुनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को तय करने का अधिकार है। इसमें जितने क्लॉजेज़ हैं, उन सब पर यह बात लागू होती है। म्युनिसिपल इलेक्शन में ही नहीं, जनरल इलेक्शन में यह होता है कि बहुत से कहते हैं कि फलां केन्डीडेट २५ ईयर्स का नहीं है। उसके लिए टाइम दिया जाता है, बहस होती है और फिर डिसीज़न होता है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को कहने का अधिकार है कि यह बात सही है या नहीं है, वह एवीडेन्स ले सकता है, उसके बाद वह डिसाइड करेगा। ऐसा अधिकार दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों सूरतों में इसका मिसयूज़ होने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए मैं माननीय सदस्य से अर्ज करूंगा कि इस तरह का कानून हमारे यहां था, वह १० साल से अब तक चला आ रहा है....

श्री पी० के० चौधरी : One minute, Sir. In the yesterday's informal meeting, we were given to understand that it will be deleted. So I would request......

श्री श्रीभानसिंह : No, no. I was persent in that meeting. No such...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मीटिंग में आप भी मौजूद थे और माननीय सदस्य भी मौजूद थे। आप तय कर लीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : Other Hon'ble Members were there. You agreed to delete it.

श्री अर्जुनदास : I have put it in my book 'deleted.'

श्री उपाध्यक्ष : Well, whatever has been decided outside the House is not to be taken into consideration here.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, इसमें यह ख्याल पैदा हो रहा है, इसलिए इसको डेफर कर दिया जाय और फिर डिसीज़न ले लिया जाय।

(करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : Sub-clause (14) is deferred.

Shri Badri Prasad Gupta, amendment pertaining to sub-clause (1).

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा अमेन्डमेंट सिर्फ इतना है, "In part (1) delete the words 'or to transportation.'" क्योंकि अब ट्रान्सपोर्टेशन का कोई एक्ट नहीं रहा। इसलिए मैंने यह अमेन्डमेन्ट मूव किया है कि ट्रान्सपोर्टेशन के इस वर्ड को डिलीट कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If somebody gets imprisonment for life and he is released after 14 years, what appen then ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह इससे कवर हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Six months.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes, 'who has been sentenced by a criminal court to imprisonment for a term exceeding six months......'

वह लिखा हुआ है। इससे यह कवर हो जायगा।

श्री अर्जुनदास : I think there might again be complications. If you look to the Proviso (b), "the disqualification mentioned in clause (i) shall cease to operate after the expiry of three years from the date of the release of the disqualified person from imprisonment'. In view of that please see if you really propose to delete it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री आबिदअली : What is the difference then ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह इसलिए है कि कोई आदमी कन्विक्टेड आदमी है, उसके छूटने के तीन साल के बाद उसकी डिसक्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। इसमें फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाउज २४ के पार्ट सब-क्लॉज़ १४ के सिवाय........

श्री पी० के० चौधरी : the proviso I have got an amendment.

श्री उपाध्यक्ष : We have deferred sub-clause (XIV).

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, in the proviso I have an amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Which proviso ?

श्री पी० के० चौधरी : Proviso to clause 24.

श्री उपाध्यक्ष : That proviso is relating to sub-clause (XIV) which is deferred.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, that proviso relates to claus 24......

श्री उपाध्यक्ष : It relates only to sub-claus (XIV).

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, it relates to the clause as a whole. The proviso :—"Provided that the disqualification mentioned in clause (ii)...," 'Provided that the......disqualification mentioned in clause (i)......'' So it relates to the whole clause.

श्री उपाध्यक्ष : It relates to sub-clause (XIV).

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, to the whole.

श्री अर्जुनदास : Proviso relates to sub-clause (ii) and sub-clause (i) and not sub-clause (XIV).

श्री उपाध्यक्ष : You just see the heading......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्रोविज़ो के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आगे जो अमेन्डमेन्ट है, आप उसको मूव करने दीजिये।

श्री पी० के० चौधरी : कहां मूव करेंगे ? Hardly 10 minutes now.

श्री उपाध्यक्ष : It is hardly 10 minutes now. So we adjourn to meet tomorrow at 11.00 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ४ बजकर ४७ मिनट पर शुक्रवार दिनांक २८ नवम्बर, १६५८ को मध्यान्हन पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

३६६१

कलेक्टर, जयपुर द्वारा पुलिस लाइन्स में सस्ती दर पर बन्दूकों का बेचा जाना ।

सरकार द्वारा जलबोर्ड का वाइन्ड-अप करना ।

लालसोट से गंगापुर रोड पर डामर बिछाने का ठेका ।

जयपुर जिले में मुख्य सड़कें एवं फीडर रोड्स ।

उम्मेदाबाद पंचायत के सरपंच का पूर्णरूप से अशिक्षित होना ।

जिला झालावाड़ में सन् १९५७-५८ में पनवाड़ी की फसल में बीमारी ।

अकोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच के निर्वाचिन का स्थगन ।

निवाई, डिस्ट्रिक्ट टौंक से बिजली का पॉवर हाउस हटाना ।

बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के हिसाब का ऑडिट ।

बीकानेर स्टेट क्लब में गैर कानूनी ढ़ंग से शराब पीते हुए पकड़े जाना ।

ग्राम सुल्तानपुर, तहसील दीगोद की पंचायत में सही प्रतिनिधियों का अभाव ।

स्कम्भ

राजस्थान दिवस समारोह पर सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के लिए स्वीकृत धनराशि ।

जयपुर जिला बोर्ड के भूतपूर्व सदस्यों को मोटर का टी० ए० देना ।

सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालयके स्टोर्स का फिज़िकल वेरीफिकेशन ।

उम्मेद मिल्स, पाली के मजदूरों को मिलने वाला वेतन, मंहगाई भत्ता ।

सन् १९५२ से आज तक ज़िला बाड़मेर में बन्दूकों के नये बने लाईसेन्स ।

ज़िला बोर्ड का रुपया सार्वजनिक काम में न लगाकर घरू काम में लगाना ।

म्युनिसिपल क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी देख रेख ।

मदनगंज पुलिस कर्मचारियों के अनैतिक कामों की जांच की मांग ।

पंचायत २३ बी० बी० के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ।

बैजनाथ आत्मज रामचन्द्र मीना ग्राम ढ़ावा तहसील दीगोद की भूमी ।

आयुर्वेदिक विभाग में हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति ।

गांव काणूजा से झाला की चौकी तक सड़क बनाने की कार्य निमित्त सर्वे ।

कस्बा बौंली में नगरपालिका की मांग ।

किशनगंज तहसील में स्थित तलावड़ा के तालाब का पुन: निर्माण ।

उपाध्यक्ष, नगरपालिका, किशनगढ़, के विरुद्ध शिकायतें ।

जयपुर की गन्दी बस्तियों को समाप्त करने की योजना ।

तहसील दीगोद ग्राम पोलाई कलां की बलाइयों की बस्ती में चक्की लगाना ।

आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि० ७२ आर० बी० को भाखड़ा क्षेत्र में भूमि अलॉट करना ।

शेरगढ़ तहसील के ग्राम सांई में पीने के पानी कमी ।

सदन की कार्यवाही में से कुछ विवादास्पद शब्द हटाने विषयक ४०४०

डॉ० बहादुरसिंह ने श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा प्रश्न संख्या ८६० के सम्बन्ध में प्रयुक्त 'पक्षपात' शब्द को कार्य विवरण से पृथक् करने हेतु प्रार्थना की, जो अस्वीकृत हुई ।

दिनांक २० नवम्बर, १९५८ को उपाध्यक्ष द्वारा मतदान में भाग लेने सम्बन्धी आपत्ति ४०४१

श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति को अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार किया ।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७ ४०४२

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

उपरोक्त विधेयक के खण्ड २, ३, ८, ९, १२, १३ व १५ पर विचार किया गया, जो स्थगित किये गये थे । खण्ड २, ३, ८, १२ व १३ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये तथा खण्ड १५ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ । खण्ड ९ आज भी स्थगित रहा ।

इनके अतिरिक्त, खण्ड २२ व २३—खण्ड २२ बिना संशोधन के तथा खण्ड २३ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये । एक नया खण्ड २३-ए भी जोड़ा गया ।

खण्ड २४ पर विचार हो रहा था कि सदन की बैठक स्थगित की गई ।

शुक्रवार, दिनांक २८ नवम्बर, १९५८ की कार्य सूची

अशासकीय कार्य

(१) कृषकों की आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु 'न मुनाफा न नुकसान' के आधार पर बीज वितरण।

(२) राजस्थान के भूमि-सुधार कानूनों को शीघ्र क्रियान्वित हेतु कार्यवाही।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ८४५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF 62 GUNS OF 12 BORE S.B.B.L. SOLD Rs. 46.35 NP. INCLUDING SALES TAX—NAME OF PERSONS TO WHOM THEY WERE SOLD.

1. Shri Mohan Lal Dyani s/o Kanahaiya Lal
2. „ Kalyan Singh s/o Seobux Singh
3. „ Hari Krishan Sharma s/o Gulzari Lal
4. „ Shyam Bahadur Saxena
5. „ Amba Lal s/o Laxmi Narain
6. „ Laxman Singh s/o Kushla Ram
7. „ Ramsurat Singh s/o Hukam Singh
8. „ Ram Pratap Purohit s/o Gopi Nath
9. „ Deo Vallabh Sharma
10. „ Chiman Singh s/o Chotu Singh
11. „ Devi Singh
12. „ Vasudeo Singh
13. „ P. L. Banerji
14. „ Bahadur Singh
15. „ Sugan Ram
16. „ Dr. B. N. Consul
17. „ Inder Singh s/o Udai Singh
18. „ Chait Ram s/o Nathu Ram
19. „ Sal Singh s/o Gopal Singh
20. „ Radhey Shyam s/o Kanahaiya Lal
21. „ Vijaisingh s/o Bhanwar Singh
22. „ Bhagirath Prasad s/o Kanahaiya Lal
23. „ Jagdish Singh s/o Sheo Singh
24. „ Daulat Singh s/o Zalim Singh
25. „ Laxman Singh

26. „ Narendra Chand Johri
27. „ Arjun Singh s/o Prithvi Singh
28. „ Mool Singh s/o Marzad Singh
29. „ Jai Singh s/o
30. „ Jagraj Singh s/o Sher Singh
31. „ Ram Singh
32. „ Gopi Chand s/o Gordhan Singh
33. „ Kailash Nath Bhargava
34. „ Om Prakash s/o Harshiv Lal
35. „ Panna Lal s/o Keshva Deo Bhargava
36. „ Ambika Prasad
37. „ Zamuna Dutta Sharma
38. „ Moti Lal
39. „ Aizaz Ali
40. „ Udai Singh s/o Shri Jaswant Singh
41. „ Bhagat Singh s/o Jai Singh
42. „ Laxmi Narain s/o Angat Singh
43. „ Jaswant Singh s/o Ramji Lal
44. „ Raghubans Kumar Garg
45. „ Vashiullah Khan
46. „ P. N. Seth
47. „ Madan Mohan s/o Balu Ram
48. „ Udai Singh IPS
49. „ Kanwar Pal Singh s/o Sardar Singh
50. „ Maharajuddin s/o Sirajuddia (Mistry)
51. „ Bhoop Singh s/o Badal Ram
52. „ Kishore Singh s/o Shaitan Singh
53. „ Shiv Lal

54. ,, Badruddin

55. ,, Chatu Singh s/o Rool Mal Singh

56. ,, Nanag Ram s/o Deva Bux

57. ,, Bhanwar Singh s/o Bhik Singh

58. ,, Lalit Narain Sharma, IPS

59. ,, Mukan Kishore Dube s/o Gaja Nand

60. ,, Shyam Lal s/o Basanta Ram

61. ,, Nanu Mal Sharma

62. ,, Badri Narain.

STATEMENT OF 41 GUNS OF 12 BORE S.B.B.L. SOLD 74.25 NP. INCLUDING SALES TAX—NAME OF PERSONS TO WHOM THEY WERE SOLD.

1. Shri Ratan Chandra s/o Roop Chand
2. ,, Jagdamba Prasad s/o Fateh Bahadur
3. ,, Moth Singh s/o Raghunath Singh
4. ,, Bharat Singh s/o Ugam Singh
5. ,, Ram Singh s/o Daulat Singh
6. ,, Ramesh Cnandra Misra s/o Gajraj Singh
7. ,, Naresh Chandra Sud s/o Ganga Bishan
8. ,, Ram Singh s/o Tara Singh
9. ,, Bhanwar Singh s/o Richpal Singh
10. ,, Kalyan Bux s/o Govind Narain Sharma
11. ,, Mohammad Hamid s/o Abdul Rashid
12. ,, Raghunath Singh s/o Kishore Singh
13. ,, Sadhu Singh s/o Ram Singh
14. ,, Mahima Nand s/o Ravi Dutta
15. ,, Ganpat Ram s/o Devi Sahai
16. ,, Kirpa Shanker s/o Ram Chander
17. ,, Moti Singh s/o Shri Dan
18. ,, Madan Singh s/o Shri Moti Singh
19. ,, Umrao Singh s/o Gordhan Singh
20. ,, Hari Singh s/o Tul Singh
21. ,, Bhanwar Singh s/o Sugan Singh
22. ,, Shish Ram s/o Prabhu Dan
23. ,, Devi Singh s/o Bhagirath Singh
24. ,, Shimbhu Dayal s/o Ganpat Ram
25. ,, Narain Singh s/o Arjun Singh
26. ,, Zalim Singh s/o Khaju Singh
27. ,, Pal Jain s/o Sohan Lal
28. ,, Ram Dayal s/o Bala Ram
29. ,, Om Prakash s/o Surendra Dutta
30. ,, Uma Shanker s/o Laxmi Datta

31. Shri Umed Singh s/o Bhup Singh
32. ,, Laxmi Narain s/o Ramji Lal
33. ,, Madan Singh s/o Laxmi Nararin
34. ,, Amer Singh s/o Ram Singh
35. ,, N. C. Dutta, IPS
36. ,, Man Singh s/o Laxman Singh
37. ,, Kanahaiya Lal s/o Gori Lal
38. ,, Sobhag Singh s/o Chand Singh
39. ,, Babu Lal Verma s/o Nathu Ram
40. ,, Jitesh Kumar Dutta s/o Duresh Kumar
41. ,, Nahar Singh

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८४६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING ROADS IN JAIPUR DIVISION DURING SECOND FIVE YEAR PLAN.

MAIN ROADS (MAJOR DISTRICT ROAS)

(1) NEW CONSTRUCTION.

1. M/R from Sambhar to Kuchaman.
2. M/R from Dudu to Malpura.

2. IMPROVEMENT.

3. B/T of road from Shahpura to Jhunjhunu via Nimkathana.
4. B/T of road from Sambhar to Kuchaman.
5. B/T of road from Dausa to S. Madhopur via Lalsot.
6. B/T of road from Lalsot-Gangapur road.
7. B/T of road Dudu-Sambhar road.

FEEDER ROADS (OTHER DISTRICT & VILLAGE ROADS)

(1) NEW CONSTRUCTION

1. M/R from Chomu to Kaladera Rainwal.
2. M/R from Asthal to Pratapgarh with a link to Ramgarh.
3. M/R from Bhandarej to Lalsar via Ranoli.
4. M/R from Dudu to Lalsot via Chaksu.
5. M/R from Kotputli to Bansol.
6. M/R from Kotputli to Behror (Part lenght 12 miles)
7. M/R from Jhotwara to Kalwar via Hotaj.
8. M/R from Basi to Tunga.
9. M/R from Chaksu to Kotkhawda.
10. M/R from Village Dewari to link Jaipur-Tonk road.

11. M/R from Bhilwara to Goner.

12. M/R from Khatipura to Sirsi.

33. M/R from Bhilwara to Marh.

14. M/R from Paota to Kotputli.

15. M/R from Khejroli to Govindgarh.

(2) IMPROVEMENT.

16. Improvement of road from Chomu to Samod.

17. M/R from Sikandra to Gudha via Geejgarh.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ८५६ का उत्तर देखिये)

जयपुर जिला बोर्ड के भूतपूर्व सदस्यों की सूची जिनको मोटर का टी०ए० दिया गया है :

१. श्री हजारीलाल मुनीम ।

२. श्री आनंदराम ।

३. श्री रामदेव पटेल ।

४. श्री हंस डी० राय ।

५. श्री राजेन्द्रकुमार जैन ।

६. श्री रामकिशोर शर्मा ।

७. श्री अमृतलाल जैन ।

८. श्री गोवर्धनसिंह चौहान ।

९. श्री नवलकिशोर शर्मा ।

१०. श्री हरदेव यादव ।

११. श्री रामचन्द्र बैनीवाल ।

१२. श्री कल्याणसिंह मौरीया ।

१३. श्री स्वर्गीय रावकुवेरसिंह गुप्ता ।

१४. श्री हनुमानशरण ।

१५. श्री भानुप्रतापसिंह ।

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ८८२ का उत्तर देखिये)

ग्राम सांई तथा उसके आसपास की ढाणियों में दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है :

ग्राम का नाम	कार्य विवरण	स्वीकृत रकम	दी गई रकम	प्राप्त कर्त्ता का नाम
१. सांई	सांवरिया कूप खुदाई	१०००	१०००	श्री जसवंतसिंह, सरपंच
२. सांई	डोलीवाला घेरा को गहरा करवाना व बंधवाना	१०००	१०००	श्री नार खां सिपाही,
३. सांई	इन्दावाला कूप खुदाई	१०००	१०००	श्री जसवंतसिंह, सरपंच
नेशनल वाटर सप्लाई एन्ड सेनीटेशन स्कीम, १९५५-५६				
१. सांई	डोलीवाला कुआ बंधवाना व खेल-कोठी बनवाना	१०००	१०००	श्री नार खां, सिपाही
२. सांई	सांवरिया कूप को बंधवाना व खेल कोठी बनवाना	१०००	१०००	श्री जसवंतसिंह, सरपंच
नेशनल वाटर सप्लाई एन्ड सेनीटेशन स्कीम, १९५६-५७				
१. सांई	इन्दावाला कूप गहरा खुदाई व बंधवाना	१०००	५००	श्री जसवंतसिंह, सरपंच
२, सांई	पीछू का कुआ की मरम्मत	१०००	३३३	श्री डूंगरसिंह
३. सांई	जांगवा वाले कुये को गहरा खुदवाना	१०००	७५०	श्री जसवंतसिंह सरपंच

————

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ८६२ का उत्तर देखिये)

LIST OF PERSONS WHOSE LICENSES WERE CANCELLED IN DISTRICT BARMER WITH IN THE PERIOD FROM 1952 to 1958. (31-13-58)

S. No.	Name of arm licenses holder.	Regions of Cancellations of licenes.
1.	Thakur Mohabat Singh of Sihdhari.	Expired,
2.	Sri Kishan Singh of Codamallani.	as the weapons were reported to be stolen away by decoits.
3.	,, Siramal of Khandap.	Gun was stolen away by decoits.
4.	,, Man Singh	Rifle reported to be stolen away by decoits.
5.	,, Rijumal s/o Nandiram of Barmer.	Expired.
6.	,, Sugal Chand of Bakhasar.	suspected to be an associated of decoit Balwant Singh.
7.	,, Babu s/o Malana of Fakiron-Ka-Niwas.	Due to his old age.
8.	,, Ram Singh of Bakhasar.	Due to his association with decoit Balwant Singh.
9.	,, Achal Singh s/o Jaswant-Singh of Arag of Tehsil, Sheo.	He failed to get his license renewed in time.
10.	,, Ram Singh s/o Bijay Singh, Bakhasar.	Paohibitted bore.
11.	,, Karan Singh s/o Bijay Singh of Bakhasar.	Due to his close conection with decoit Balwant Singh and due to his doubtful character.
12.	,, Bhoor Singh s/o Bijai Singh Bakhasar.	due to his close connection with decoit Balwant Singh.
13.	,, Abdul Gafoor s/o Neamoo of Salaba B. S. Sedwas.	He was suspected to be smugglar.
14.	,, Rugh Nath.	Refused to renewal license.
15.	,, Sukha.	He failed to purchase gun.
16.	,, Tikama Ram	Failed to purchase weapon in time.
17.	,, Vishnaram	Failed to purchase the gun in time.
18.	,, Jan Mohmad.	He was suspected to be smuggler.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २७ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४००६	२१	कितने ही दिन मरे हुए	कितने ही दिन भैंसे को मरा हुआ
४०१६	११	डियरेनेस	डियरनेस
४०१८	२	That has been challange.	That has been challenged,
४०२०	१७	(जौहर	(जौहरी
४०३४	१५	की अनूपस्थिति मे)	की अनुपस्थिति में
४०४२	६	भ्री पी० के० चोधरी	श्री पी० के० चौधरी
४०४७	१८	डिरिक्रोशन	डिस्क्रीशन
,,	२३	प्रोविड़न	प्रोविजन
४०५७	२	श्री चन्नदमल वैद	श्री चन्दनमल वैद
,,	२५	श्री बद्रीप्रासाद गुप्ता :	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :
४०६४	४	सेके क्सन	सैक्शन
,,	११	सस्य	सदस्य
४०६५	१२	यह जी	यह जो
४०८१	६	लोगों की संख्या और	लोगों की संख्या कम है और
४०९०	२५	from the basis	Form the basis
४०९१	६	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता :
४१०३	अन्तिम से ७	रिटनिंग	रिटर्निंग
४११२	३	theree weeks.	three weeks
४१२४	३	डिाबर	डिवार
४१३१	अन्तिम से ४	for contesting	for contesting
४१३३	,, ,, २	chosed as,	chosen as,
,,	अन्तिम पंक्ति	employ as a	employment as
४१३५	२७	thel	the
,,	२८	wel	well

१	२	३	४
,,	३०	opinioh	opinion
४१४०	६	canes	causes
४१४३	३	reforl	refore
,,	५	snch	such
,,	६	Shabha	Sabha
,,	२६	इन्स्टट्यूशन्स	इन्स्टिट्यूशन्स
४१४६	२	एग्ज्ररेटेड	एग्जाजरेटेड
४१५१	अन्तिम से ६	और में	और मैं
४१५४	११	ईमानदारी तरीके	ईमानदारी के तरीके
४१५६	अन्तिम से ६	नहीं	नहीं
४१६१	अन्तिम	mesns	means
४१७५	२७	मेन्टूस	मेन्ट्स
४१६३	अन्तिम से २	the pro-	In the pro-
४१६७	१७	निर्वाचिन	निर्वाचन
४२०३	२५	Kanahaiya Lai	Kanahaiya Lal
४२०८	५	ROAS)	ROADS)
,,	२२	lenght	length

....